

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9 बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का बत्तीसवां दिवस संख्या :22

गुरुवार,
20 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्‍नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम, राम सा।

अनेक माननीय सदस्य: राम, राम।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामने भी।

अनेक माननीय सदस्य: होली की राम राम।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्यों, होली के बाद नहीं आओगे क्या? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: सभी को।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले दे दें, पूर्व संध्या पर दी जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नहीं दी जाती है, बाद में होती है, तो संध्या कहाँ है, अभी तो वो बेला है।

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राम राम करने के बाद बैठा ही नहीं इसलिए कि वापस खड़ा होऊँ, फायदा क्या है उससे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: आज शुरूआत आप ही कर रह हो।

राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

339. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कुल सृजित व रिक्त पदों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने एवं आवश्यकतानुसार नये पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार प्रदेश में नये यूनानी कॉलेज स्थापित करने तथा पृथक यूनानी विभाग की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) जी हां। आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों, यूनानी चिकित्सकों व नर्स-कम्पाउण्डर के जिलेवार स्वीकृत पदों व दिनांक 31.12.07 को रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-‘क’ में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद भरने पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है। यूनानी चिकित्सकों के 30 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सितम्बर, 2007 में विज्ञप्ति प्रसारित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं।

नर्स/कम्पाउण्डर के 419 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजने को कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन औषधालयों के साथ नवीन पद सृजित करने की कार्यवाही की जाती है।

(3) राजकीय क्षेत्र में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है क्योंकि राज्य में वर्तमान में दो यूनानी महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं।

यूनानी का पृथक विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य में वर्तमान में यूनानी चिकित्सा पद्धति के 105 चिकित्सालय/औषधालय हैं जिनके लिये एक उपनिदेशक (यूनानी) व तीन सहायक निदेशक (यूनानी) के पद सृजित हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह तो स्वीकार किया है कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के पद 31.12.07 को रिक्त हैं और उसका विवरण भी दिया है। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह पद कब से रिक्त हैं? 31.12.07 को रिक्त हैं लेकिन कब से? पहला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने यह कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों के पद भरने पर राजस्थान उच्च न्यायालय की रोक है तो फिर आपके सी.एम. एण्ड एच.ओ. जो हैं वो मैरिट लिस्ट काहे की बना रहे हैं? आयुर्वेद का काम जिला आयुर्वेद अधिकारी करते थे सलैक्शन का, चयन का, मैरिट बनाने का, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सी.एम. एण्ड एच.ओ. आयुर्वेद और यूनानी की मैरिट लिस्ट बना रहे हैं, क्या यह सही है?

यह इसलिए हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले इस सदन में पंडित दाउदयालजी जोशी, श्रीमती उजला अरोड़ा, वैद्य भैरूलालजी भारद्वाज जैसे लोग, जिनका आयुर्वेद और यूनानी देसी चिकित्सा पद्धतियों में विश्वास था, आज यह सरकार इसके प्रति बिलकुल गम्भीर नहीं है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कृपया आप यह बताएं कि एक तो

यह काम आपने सी.एम.एच.ओ. को क्यों दिया है और उच्च न्यायालय की रोक है तो क्यों कर रहे हैं? दूसरा, यह पद रिक्त कब से हैं?

क्योंकि स्थिति देखिये आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास भी तालिका है, आप जरा अध्ययन करें क्रमांक 12-झुन्झुन्, चार में से तीन पर दिक्त, भरतपुर जहां से मैं आता हूं, सात में से छ पद रिक्त चल रहे हैं वैद्यों के और बारां, जहां से समाज कल्याण मंत्रीजी आते हैं, इनका तो खैर पता ही है यह क्यों लगने देंगे, तीन के तीन ही पद रिक्त, झालावाड़ से माननीय मुख्यमंत्रीजी आती हैं, तीन में से तीन पद ही रिक्त चल रहे हैं और बांसवाड़ा, इंगरपुर और प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्रों की तो स्थिति यह है कि शत-प्रतिशत पद खाली चल रहे हैं। इससे ज्यादा खराब स्थिति हो नहीं सकती।

इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि कब से रिक्त चल रहे हैं, यह भी बताएं और मैंने जो सवाल पूछे, उनके जवाब बताइये।

श्री उपाध्यक्ष: अब कब से वाला तो आपने पूछा है नहीं इसके अन्दर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वो भी पूछूंगा, अभी एक सेकण्ड सप्लीमेंट्री।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न में तो है नहीं, कब से पूछा है, अलग-अलग कोई तारीख ... (व्यवधान) ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): काहे का? अब जब रिक्त बता रहे हैं तो सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता कि कब से रिक्त चकल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: पूछ तो सकते हो पर कब से वाली बात तो वह बड़ा ... (व्यवधान) ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, तो बताएं आप, इनके पास तो जानकारी है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल पूरी जानकारी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 में 25 नवीन औषधालय खोले गये थे जिनमें से 20 आयुर्वेद पद्धति के औषधालय खोले गये थे गत सरकार के कार्यकाल में। 1999-2000 में 100 आयुर्वेद औषधालय खोलने की घोषणा की गयी थी लेकिन वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक उन नवीन औषधालयों हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया था इसलिए रिक्त रह गये।

इसी क्रम में गत सरकार के कार्यकाल में 1999-2000 में 50 यूनानी औषधालय को लेकर घोषणा की गयी ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी गयी सरकार को ही नहीं भूले हैं, अभी तो इनके वो ही भूत चढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: तो पुरानी बात पूछ रही हो आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बजट का प्रावधान रखा है हमने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, बताओ आगे। बताइये।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 50 यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की गयी थी किन्तु 1999-2000 से लेकर 2003-04 तक उन नवीन औषधालयों हेतु

बजट का प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे वो नहीं खोले जा सके और वो पद जितने बने थे वो रिक्त रह गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब बात है, मेरा सवाल यह था कि आपके पद सृजित कितने हैं? सृजित से मतलब वो होता है जिसके लिए आपका बजट में प्रावधान है, वो नहीं है, वो तो खाली घोषित ही होता है या प्रस्तावित होता है। जब आपके सृजित पदों में से रिक्त हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं तो कि यह जो रिक्त आप बता रहे हो कि यह वैकेंसीज हैं तो यह वैकेंसीज कब से हैं? यह आप बताएं, माननीय मंत्री महोदय, फिर मैं आगे पूछूंगा। वह कब भरेंगे, नहीं भरेंगे आप तो केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की थी और उसमें बजट का प्रावधान आपके जो सृजित पदों की सूची दी है इसमें यह जो रिक्त बताये हैं यह कब से रिक्त चल रहे हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आपके टाइम से रिक्त चल रहे हैं, इन लोगों ने बजट में प्रावधान ही नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बताएं न एक-एक की तारीख, हमारे टाइम से ही रिक्त चल रहे हैं फिर आपने चार साल क्या किया?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन्होंने तो बजट का प्रोविजन ही नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर चार साल आपने क्या किया? हमने किया वो ही किया क्या आपने भी?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम तो रेगुलर भर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या भर रहे हैं, एक भी भरा हो तो बता दो आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुन लें आप। 43 यूनानी चिकित्सकों के पद रिक्त हैं उसके विरुद्ध 30 आर.पी.एस.सी. को सितम्बर, 2007 को विज्ञप्ति जारी कर दी थी, अब जितने और खोलने हैं आयुर्वेद औषधालय 40, उनको भी इस बजट में प्रावधान है और रिक्तियां आर.पी.एस.सी. को भेजी जा रही हैं।

नर्स, कम्पाउण्डर के 904 रिक्त पदों के विरुद्ध 419 आर.पी.एस.सी. को अर्चना भेज रहे हैं और उसे हफ्ते में, इसी दस दिन के अन्दर-अन्दर भेज दी जायेगी। क्योंकि 200 तो पहले भेज दी थी और बाकी और अभी भेज रहे हैं, 419 इसमें हो जायेगी। हम तो रेगुलर भेज रहे हैं, अब बजट का प्रावधान नहीं है, नये खोल लो, अब वो तो जिस को, जो वो सरकार भी वो ही दोषी है। आज राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं वरना वो बताते कि किस कारण से प्रावधान नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा दूसरा सवाल यह था कि क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी और जिला यूनानी अधिकारियों के बजाय सी.एम. एण्ड एच.ओ. इन वैकेंसीज की मैरिट लिस्ट बना रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं? उसका जवाब आपने दिया ही नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग में डाइरेक्टर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद भी हमने अलग सृजित कर रखा है। 2007 में जो हमने सीनियरिटी लिस्ट प्रकाशित की वो आयुर्वेद विभाग ने की है सी.एम.एच.ओ. ने नहीं की है और उसके अगेंस्ट में जो स्टे मिला है भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 यह आने के बाद में जिनको पहले अनरिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने भर्ती ली है और पदोन्नति भी ली है वो परिलाभ से वो भारतीय कानून के कारण वंचित रहे हैं। जिनको एक व्यक्ति को सिर्फ इसमें उसकी हानि हुई है, उन्होंने जाकर स्टे लिया है बाकी और कोई बात नहीं है। सीनियरिटी चैलेंज नहीं हुई, आपत्ति के आधार पर यह वापस लिया गया और वो बात भी सही है ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि अब आप यह बता दें कि चलिये, यह कब से खाली चल रहे हैं वो तो छुट्टी, अब इन पदों को आप कब तक भर देंगे? ...(व्यवधान)...

क्या क्या जवाब, यह जवाब आप दे रहे हो कि यह देख रहे हैं, अभी हैल्थ मिनिस्टर भी नहीं हो आप और हैल्थ मिनिस्टर थे तब भी आपके पास आयुर्वेद विभाग नहीं था, घनश्यामजीको तो फिर भी आयुर्वेद और यूनानी के ऊपर महारत हासिल है, ये तो फिर भी जवाब दे सकते हैं, आप तो जानते ही नहीं हो यूनानी क्या होती है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैं नहीं बोल रहा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पूछें क्या, गुलबशा क्या होता है? बताओ आप। पूछें दो-चार दवाओं के नाम, पूछें क्या? और आप कह रहे हो यह जवाब दे दो।

मोहन/चौहान/ 20032008/1110/1b

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यूनानी के कुल 43 रिक्त पद हैं ...(व्यवधान)... यह आधी बीमारी तो आपकी लगाई हुई है। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह इनकी लगाई हुई है बीमारी ? ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यूनानी के कुल 43 पद रिक्त हैं ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कुल 43 पद यूनानी के रिक्त हैं, 30 की अभ्यर्थना भेजकर उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई, 13 पद जो रिक्त रहे हैं प्लस इस वर्ष जो खुलेंगे, उनकी भी अभ्यर्थना भेजने के लिए, हम पेपर्स मूव कर रहे हैं, 904 रिक्त पदों में से नर्स कम्पाउण्डरों के ...(व्यवधान)... 419 तो अभी आर.पी.एस.सी. को इसी वक्त जा रहे हैं, दो सौ तो सैंक्शन हो गई लेकिन दो सौ और साथ में जोड़ कर भेज रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माफ करना, मंत्री जी, मेरा सवाल तो टोटल आयुर्वेद के आपके जो वैद्यों के 683 और यूनानी हकीमों के 43 और जो आयुर्वेद कम्पाउण्डरों के 904,

यह जो टोटल आपकी वेकेंसीज हैं, यह वेकेंसीज कब तक फील-अप कर दोगे, आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों का पूछ रहा हूं, दोनों का ही सवाल है मेरा।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आयुर्वेदिक चिकित्सकों का जब तक स्टे वेकेट नहीं होता, वह भर्ती नहीं हो सकती।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कम्पाउण्डों की ? ...(व्यवधान)... कम्पाउण्डर्स में स्टे कहां है ?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसमें कोई स्टे नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो आप तो 200 भर रहे हो, 904 में से 700 तो अब भी वेकेट हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 419 भर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 400 भरेंगे फिर भी 500 तो फिर भी खाली रह गये ...(व्यवधान)... 500 तो फिर भी खाली रह गये ...(व्यवधान)... तो आपके आधे से ज्यादा तो अब भी बाकी रह गये ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फेजेज में भरेंगे ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और आपके मुख्य मंत्री के क्षेत्र में एक भी पद भरा हुआ नहीं है, आपके आदिवासी क्षेत्र में एक भी भरा हुआ नहीं है, इनको तो प्रायोरिटी देंगे कि नहीं देंगे, कब तक भरेंगे, यह बताएं आप ?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आयुर्वेद के जो रोग लगाये हुए हैं, इनको धीरे धीरे निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा, हम आधे से ज्यादा पद तो भर ही रहे हैं और वह भी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम भेज रहे हैं अभ्यर्थना भेजने के लिए और वह भी सैंक्शन आने के बाद हो जाएगी, अभी तो पहुंचो पहले। कर भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्सट क्वेश्चन, श्री प्रह्लाद गुंजल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, एक सवाल और है ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं नहीं, अब नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लास्ट एक सवाल, छोटा सा सवाल है, माननीय यह क्या है, यह तो मैं मानता हूं, आप जानते हो क्या इसको? आपको क्या पता है, आयुर्वेद यूनानी का, मैं आसन से टाइम मांग रहा हूं, बाप बीच में मत बोलिया कीजिए, चार बार कह दिया चीडिया ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पुरानी सरकार ने तो एक चपरासी की ही भर्ती नहीं की। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसकी ? ...(व्यवधान)... हम राष्ट्रपति बनाते हैं, चपरासी की भर्ती करने का काम तुम्हारा है, कांग्रेस राष्ट्रपति बनाती है, यह चपरासी की भर्ती करने का काम तुम्हारा है,

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ नहीं किया। ... (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह चपरासी भर्ती करने का काम तुम्हारा है। हम राष्ट्रपति बनाते हैं, उप राष्ट्रपति बनाते हैं, माननीय प्रतिभा पाटिल जी को कांग्रेस ने बनाया, डा. हामिद अंसारी को कांग्रेस ने बनाया ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) ... माननीय सदस्य, ... (व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में रोक-टोक मत कीजिए ... (व्यवधान) ... माननीय सदस्य, आपस में नहीं ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 000

श्री उपाध्यक्ष: माहिर आजाद जी। आप बैठिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा काम मैं स्वयं करता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह सुना था ... (व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): साहब, कोई नहीं कर रहा हूँ, यह तो इनका भी पता है, यह तो बोलने के लिए बोल देते हैं, चपरासी के हैं क्या वह ? ... (व्यवधान) ... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके मुखातिब हूँ, मेरा सवाल यह है कि हम यह सुनते आते थे आज तक कि हाकिम बदल जाता है लेकिन हुक्म नहीं बदलता। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिसमें माननीय राजाखेड़ा से आने वाले प्रद्युम्न सिंह जी वित्त मंत्री थे और सांगानेर से आने वाली इंदिरा मायाराम जी आयुर्वेद मंत्री थी, 50 नये यूनानी चिकित्सालय खोलने की घोषणा इस विधान सभा में की थी लेकिन ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ... (व्यवधान) ... कोई अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

- मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000
- श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000
- श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।
- श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000
- मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000
- श्री संयम लोढा (सिरोही): 000
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000
- श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000
- श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) ... नहीं, कुछ भी अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) ...
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। ... (व्यवधान) ...
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- श्री उपाध्यक्ष: एक ही बात में क्या आपस की बात में बढ़ गये आप ? ... (व्यवधान). माननीय सदस्य।
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) ... माननीय सदस्य, आप व्यक्तिगत लांछन मत लगाइए एक दूसरे पर, कुछ भी अंकित नहीं होगा। ... (व्यवधान) ...
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- श्री उपाध्यक्ष: आप कोई आरोप नहीं लगा सकते ... (व्यवधान) ... कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) ...
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000
- श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान) ... आपस के आरोप प्रत्यारोप कुछ भी अंकित नहीं होंगे आपके रिकार्ड में ... (व्यवधान) ... छोड़ो बात ... (व्यवधान) ...

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए, बीच में कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।
...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह व्यक्तिगत आरोप आपस में अंकित नहीं होंगे
...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन के सभी सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सदस्य, यह इस तरह की परम्परा मत डालें कोई भी आपस में ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, बैठिए, अब आप माननीय सदस्य, आपने बहुत कह दिया, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, माननीय सदस्य, बैठिए आप ...(व्यवधान)... बैठिए, आप बीच में नहीं, माननीय लोढा साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कहोगे वह कुछ भी अंकित नहीं होगा। मेरा मसों से यह निवेदन करना है कि ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Ars/usc/1120/1c/20032008/1

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कुछ भी नहीं ...(व्यवधान) कोई भी चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। मेरा निवेदन है ...(व्यवधान) माननीय सदस्यों से निवेदन यह करना है कृपया आप एक दूसरे पर सीधे लांछन नहीं लगाएं। यह सदन की गरिमा के खिलाफ है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य गण बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट अमराराम जी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: बीच में अभी नहीं, इनका है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: किस बारे में है?

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: बताइये क्या कहना चाहते हैं, पहले कहिये आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: अब यह बीच में प्रश्नकाल के अन्दर ही, माननीय सदस्य कुछ नहीं, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह इस तरह से बीच में इसमें ..

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप इस बारे में मुझे वैशम में आकर के बता देना क्या बात है, क्या नहीं है। माननीय सदस्य, आपस में उत्तेजना पैदा होने वाली ऐसी बात मत कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उत्तेजना की बात नहीं है, आप प्लीज मेरी बात सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो बीस साल से मैं सदन में आ रहा हूं, मैंने एक शब्द कभी असंसदीय बोला हो या किसी के बारे में बोला हो, आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लें ...(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुन लें प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की भी आप प्रोसीडिंग निकाल लें, मैंने एक भी शब्द कोई असंसदीय बोला हो तो ...

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैट मी कम्पलीट ... (व्यवधान) प्लीज बैठ जाइये, मेरी बात खतम कर लेने दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कह रहे हैं मैंने नहीं बोला आप इसको मान लीजिय।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री उपाध्यक्ष: अगर कोई असंसदीय है तो वह अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह आज की बात नहीं है। मैं आपसे प्रोटक्शन चाहता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ, आज मेरा जो सवाल था, लिस्टेड सवाल था, आयुर्वेद और यूनानी से संबंधित था।

श्री उपाध्यक्ष: पूछो आप पूछो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पाली का उसमें कोई मतलब नहीं, माननीय सदस्य के क्षेत्र का मतलब नहीं। मैं पिछले दस दिन से आप उठाकर देख लें, मैं जब बोलने खड़ा होता हूँ इन्होंने जब भी डेढ़ डेढ़, एक एक घंटे का भाषण दिया है तो अगर मेरा डिस्टरवेंस एक शब्द हो तो आप मुझे इस सदन की बची हुई कार्यवाही से निलम्बित कर दें, मैं इस सदन में नहीं ...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मेरी बात कह लेने दीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या पुरानी बात कर रहे हैं, ... (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लें, मैं निवेदन यह कर रहा था जब मैं बोलने खड़ा होऊँ तब दो सदस्य यह तय कर लें कि मुझे बोलने देना नहीं है और आसन मेरी रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैंने उनको कभी डिस्टरवेंस किया हो आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: कोई डिस्टरवेंस नहीं।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज जो स्थिति हुई, एक बार खड़े हुए, मैंने मना कर दिया, दुबारा खड़े हुए फिर एक बात बोल देना और बिना कोई बात के बात कहना यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे जब अलाऊ करें तो आपसे प्रोटक्शन की आशा करता हूँ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं बेवकूफ बातों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे सकता और बोलिये समझदारी की बात करें तो मैं तो उसकी बात कर सकता हूँ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं बेवकूफ लोगों की बेवकूफी की बातों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम सवाल यह था हाकिम बदल जाता है लेकिन हुकम नहीं बदलता। पिछली कांग्रेस सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आप भी एक तरफ तो हर्बल खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसके लिए गार्डन दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही उन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबन्ध उस समय नहीं किया और इसलिए यह प्राबलम आयी, यही कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने सुना नहीं, दुबारा सुन लूंगा, आपसे कमजोर आवाज तो नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): झुन्झुना संभलाया है और मुसलमानों को राजी करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद और वो यूनानी दवाखाना

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब यह देखिये मुसलमानों को ... (व्यवधान) अब इसका मतलब कोई चिकित्सा पद्धति मुसलमानों को, यह प्रद्युम्न सिंह जी हो क्या रहा है? आप इस हाउस को हिन्दू और मुसलमान बनाना चाहते हो क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि वित्तीय प्रबन्ध किया हो तो बता दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वह जवाब देंगे मुख्य सचेतक जी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या सवाल है क्या जवाब है

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं निवेदन यह कर रहा था आप तो यह बता दें कि यह प्रावधान किया था, उन्होंने बजट में किया है या नहीं किया, आप उसको मानते हुए इसके ऊपर भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब तो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी पधार गये हैं और उनको जानकारी होगी। यूनानी के पचास यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की गयी थी 1999-2000 में और 1999-2000 से लेकर 2003-04 तक एक भी पद को भरने का

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

वित्तीय प्रावधान नहीं रखा। इसी प्रकार सौ आयुर्वेद औषधालय खोलने की घोषणा की थी और 1999-2000 से लेकर 2003-04 तक एक भी पद भरने का वित्तीय प्रावधान नहीं रखा है।

जहां तक यूनानी पद्धति से संबंधित चिकित्सकों का है वह पद भरने का मैंने आपको बता दिया कि 43 में से 30 तो भेज दिये तीन रिटायरमेंट के कारण खाली हुई हैं और दस कोई डेप्युटेशन पर और वालेंट्री रिटायरमेंट लिये हैं उसके कारण हुई है। वरना अभ्यर्थना हम सारी की सारी भेजते हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों के पद 683 जो रिक्त हैं, स्टे वेकेट कराने का प्रयास कर रहा हूँ और एक डेडिकेटेड अधिकारी भी इसमें लगाया हुआ है और शीघ्र उसको भरवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्सट क्वश्चन। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री क्वश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात सारी, बहुत हो गया माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): बहुत हो गया, सारा समय बर्बाद हो गया, एक सप्लीमेंट्री क्वश्चन करना चाहता हूँ, मेहरबानी करें, मुझे इजाजत दें, मैं यह पूछना चाह रहा था, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती में न्यायालय का स्टे है। स्टे किन मुद्दों को लेकर था और उन मुद्दों का ...

श्री उपाध्यक्ष: बात कर लेना, बता देंगे ... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उन मुद्दों को लेकर यह हुआ था और उन मुद्दों को ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या मुद्दा है?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): जिन मुद्दों को लेकर न्यायालय ने स्टे दिया था उस स्टे को बाई पास करके सी एम एच ओ से भर्ती करवाने का क्या कारण था? यह पूछना चाह रहे हैं और यह सारा मामला उसी के कारण रुका है।

श्री उपाध्यक्ष: वह आप पूछ लेना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): भावना इसके साथ छिपी हुई थी उस भावना को इन्होंने बाई पास कर दिया, आयुर्वेद के अधिकारियों को ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आयुर्वेद का इतना बड़ा महकमा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

जिला कोटा के वन क्षेत्र में स्वीकृत अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

240. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटा जिले में ऐसी सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है, जो वन क्षेत्र से होकर गुजरती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इन सड़कों को अब कब तक बनवाने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (1) जी हां। कोटा जिले में वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़कों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(अ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

1. डोलया से गिरधरपुरा
2. मांडलिया से पंचपहाड़
3. मांडलिया से मंदि गढ़
4. सलावद खुर्द से बड़ोदिया आंतरी

(ब) मिसिंग लिंक योजना

1. चंबल पुल एप्रोच मंडावरा रोड एम डी आर - 4

(2) जी नहीं। उक्त सड़कें संरक्षित वन क्षेत्र/ वन्य जीव अभ्यारण्य में से गुजरती हैं और वन विभाग से सक्षम स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सड़क निर्माण करवाया जाना संभव होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जिन पाँच सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है, सवाल केवल उन पाँच सड़कों का नहीं है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसी समस्या सैंकड़ों गांवों में है और जो मार्ग आज भी गांव के परम्परागत सम्पर्क मार्ग हैं, वन्य क्षेत्र और अभ्यारण्य क्षेत्र होने के बाद भी उन मार्गों के अतिरिक्त गांव के व्यक्तियों के पास कोई रास्ते नहीं। वन विभाग से हजारों ट्रोली पत्थर रोज निकल जाय, सैंकड़ों ट्रक लकड़िया काटकर रोज निकल जाएं तो वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं और गांव को जो असुविधाओं में जी रहे हैं, जंगलों में जी रहे हैं, जिनके लिए पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं बहुत नितान्त आवश्यक होती हैं, जब उनको विकास के लिए सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और तुरन्त ही वन विभाग एक बड़ा अडंगा बनकर खड़ा हो जाए।

मेरे कहने का आशय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जब यह समस्या लगातार पूरे राजस्थान में आ रही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के छोटे अधिकारी रोज वन विभाग के चक्कर लगाते हैं, सड़क का काम प्रारम्भ करते हैं तो वन विभाग के अधिकारी आकर एफ आई आर की और जेल में डालने की धमकियां देते हैं और इस विवाद के चलते राजस्थान के सैंकड़ों गांव आज भी सड़क बनने से वंचित हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस गम्भीर समस्या पर खाली नीचे आकर आपके एक्स ई एन की जिम्मेदारी लगा दी, एस ई की लगा दी।

vns/usc/11.30/20.3.2008/1d/1

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): जारी...और फोरेस्ट डी एफ ओ और वन विभाग के अधिकारी आपस में उलझते रहें। कुश्ती करते रहे। गांवों का विकास रुकता रहे। इससे एक कदम आगे बढ़कर कभी आपने मंत्री और सचिव स्तर पर वार्ता करके जो राजस्व रिकार्ड में गांव के रास्ते दर्ज हैं, आज भी उन गांवों के परम्परागत मार्ग हैं। उन पर सड़कें बनाने में कोई अवरोध पैदा न हो इसके बारे में कोई नीतिगत चर्चा की गयी, या आगे कोई चर्चा करने का विचार है ताकि आने वाले समय में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर पिछले वर्षों में लगभग 29,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। इन सड़कों में से 170 सड़कें ऐसी हैं जो वन क्षेत्र से होकर गुजर रही थीं जिन पर आपत्तियां हुईं। 85 सड़कों की हमें सक्षम अधिकारियों से स्वीकृतियां मिल गयीं और 85 सड़कें अभी पेंडिंग हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब से फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की धारा 2 के सख्त इम्प्लीमेंटेशन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आये हैं तब से इस पूरी प्रक्रिया में वन्य क्षेत्र में गैर वन्य कुछ भी काम करें इसके लिये स्वीकृति लेनी पड़ती है। स्वीकृति में भी लम्बा समय लगना वाजिब है क्योंकि सबसे पहले तो किसी भी राजकीय रिकार्ड में वन्य भूमि के रूप में दर्ज वन क्षेत्र का गैर वानिकी उपयोग के लिये प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत नोडल आफिसर के पास जाता है जो अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक है। उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भेजते हैं। हमारा विभाग उनको भेजता है। फिर जिले के उप वन संरक्षक प्रस्तावित मौके का मुआयना करते हैं और उसके बाद वह अपनी सिफारिश के साथ वापस नोडल आफिसर को भेजते हैं। नोडल आफिसर वापस उनको शासन सचिव, वन विभाग को भेजता है। शासन सचिव, वन विभाग उनको भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में मंजूरी के लिये भेजते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरी समस्या के समाधान के लिये 2006 से 2008 के बीच में मुख्य सचिव ने तीन बार बैठक ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दो बार बैठक ली दोनों विभागों के प्रमुख शासन सचिवों के साथ। हमारे प्रमुख शासन सचिव, पी डब्ल्यू डी ने दो बार बैठक ली और प्रत्येक महीने एक बार पी सी सी एफ के साथ हमारे अधिकारी बैठते हैं। हर महीने लगातार बैठकें हो रही हैं और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सड़कें स्वीकृत हुई हैं उसमें 85 सड़कें ऐसी हैं जो वन क्षेत्र से गुजरने के कारण, वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरने के कारण जिनमें रोकथाम, रुकी हुई हैं। इनको भी पूरा करने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण के लिये कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य जहां से आते हैं उन्हीं के संभाग में कोटा बाई पास इसके लिये मार्च, 2004 से हम अनुमति

लेने के लिये, भारत सरकार तक यह मामला गया और हमें स्वीकृति अब मिली है 5.12.2007 को, मतलब इतना लम्बा समय इन औपचारिकताओं को पूरा करने में लग जाता है। निश्चित तौर पर विभाग चिंतित भी है और हम प्रयास भी कर रहे हैं। पर सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देश और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हमें उसी रूप में कार्यवाही करनी पड़ती है। इसमें पूरा प्रयास करेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आम आदमी को जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है क्या आपने कभी इस विषय में कोई नीतिगत प्रस्ताव भेजा है? इस पर कोई अमेंडमेंट लाकर, कोई विधेयक लाकर, कोई नियम कानून बनाकर इसका सरलीकरण किया जाए ताकि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो मैक्सिमम सड़कें हैं जिनमें व्यवधान हो रहा है वन विभाग के कारण, भारत सरकार कोई ऐसी नीति बनाये, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और भारत सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप आता है, केन्द्रीय मंत्रालय का, तो क्यों नहीं भारत सरकार इस बारे में पहल करे कि कोई नीतिगत निर्णय भारत सरकार इस प्रकार का करे। सर्वोच्च न्यायालय के और आपके विभागीय निर्देशों के बाद विभागीय कार्यवाही में कोई सड़कें पाँच-पाँच साल तक अगर उसकी परमिशन नहीं आती है तो क्यों गांव का आदमी पाँच साल तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे? लगातार सात साल बाद भी हम एक के बाद एक कानून उलझन में उसको मूलभूत सुविधा प्राप्त करने से पीछे धखेलते जाएंगे तो आखिर कोई आप नीतिगत प्रस्ताव इस बारे में भारत सरकार को भेज रहे हैं या इस बारे में कोई आपकी नीतिगत चर्चा हुई है? जरा माननीय मंत्री महोदय, यह जानना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आपके ... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न का जो इन्होंने उत्तर दिया है, मिसिंग लिंग मण्डावरा से चम्बल पुल तक जिसका काम रुका हुआ है, कारण बताया है कि अभयारण्य क्षेत्र और वन क्षेत्र में आती है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप स्वीकृति का उल्लेख कर रहे हैं कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही सम्भव होगा। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसी चम्बल नदी पर मण्डावरा पर पुल बनाया गया था जब आपके माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी थे। उन्होंने चम्बल पर पुल बनाया इसी रोड पर कंटिन्यूशन में, उसी के लिए मिसिंग लिंक में इस सड़क को मंजूरी दी गयी है। क्या उस समय उस सड़क के जो, नियम तो उस समय भी था। क्या उस सड़क की स्वीकृति वन विभाग से ली गयी थी?

दूसरा, यह सड़क स्वीकृत होने के बाद इस पर मेरी जानकारी के अनुसार एक करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। 30 लाख रुपये इन्होंने लगाया। तो स्वीकृति विभाग ने प्राप्त करी थी? और जब प्राप्त नहीं करी थी तो फिर इस सड़क को अधूरा क्यों छोड़ दिया? इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इन्होंने अथाह प्रयास किये। 2004 से 2007 में स्वीकृति मिली

कोटा बाईपास पर पुल बनाने की। क्या इनकी प्राथमिकता शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की अलग-अलग है? यह सारी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में रुकी हुई हैं। शहरी क्षेत्र में तो पूरा महकमा लग गया, पूरी भारत सरकार और राजस्थान सरकार जुड़ गयी मगर जहां पर ग्रामीण क्षेत्र का सवाल आता है आप उसको प्राथमिकता में उस रूप से क्यों नहीं लेते हो जो एक अरबन एरिया में लेते हो?

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और है। एक सवाल और पूछ लेता हूं। आपके माध्यम से मुझे इतनी जानकारी लेनी थी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सवाल तो जनरल सवाल है। ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय मंत्रीजी, जो आपकी पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें काण्ट्रेक्टर बनाते हैं वह खुद न बनाकर के रोड को दूसरे को सबलेट कर देते हैं। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी यह प्रश्न दूसरा है, माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): और उसके कारण से आपकी सड़कें एक-एक साल, दो-दो साल लेट हो रही है, काम भी नहीं हो रहा है इसलिए इस बारे में उन संवेदकों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं या दुबारा इनको करवाएंगे। यह भी एक पूरे जिले में, बारां जिले में, कोटा जिले में, सम्पूर्ण राजस्थान में यह समस्या है, इसके बारे में जरा बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने नीतिगत सवाल उठाया है। राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री सड़क योजनाओं के लिए मिनिस्ट्री आफ फोरेस्ट को लिखा भी है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो सड़कें निर्मित हैं उनको इन प्रावधानों से मुक्त किया जाए परन्तु चूंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कानून विज्ञ हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले के अन्दर एम्पावर्ड बोर्ड तक बना रखा है और अब तो एम्पावर्ड बोर्ड निरीक्षण करने आता है और एम्पावर्ड बोर्ड के निरीक्षण के बाद भी समय लग जाता है। पर माननीय सदस्य ने सही कहा है कि इन पूरी पेचीदगियों की वजह से समय लग जाता है।

जिस चम्बलपुल एप्रोच मण्डावर रोड की आपने बात की है, निश्चित तौर पर यह घडियाल सैंकच्युरी में आती है सड़क। उसमें पुल तो बन गया पर एप्रोच रोड के लिए जो पहले भी बनी थी, इसमें तो अब हमसे सवाल यह किया जा रहा है कि जो पहले सड़क बनी तब अनुमति नहीं ली। अब उसकी अनुमति भी लो, हमने इसके लिए प्रयास किया है। मुख्य वन्य जीव पालक, जयपुर को इसके प्रस्ताव बनाकर हमने भेज रखे हैं और पूरा प्रयास है कि समय पर यह सड़क भी पूरी हो। आपने सही कहा इस पर 122 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं

और वन विभाग की आपत्ति के कारण इस काम को अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, मुख्य सचिव के स्तर पर दोनों विभागों के शासन सचिव और पी.सी.सी.एफ. सबको बैठकर बैठक करके, और यही कारण है लगातार हमने इस पर ध्यान दिया तभी सड़कें, जिसमें 85 सड़कें इसमें वन विभाग के नो-आब्जेक्शन मिला है, जिनको हमने बनाया भी है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक्टर सुरेश चौधरी। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य आप। ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय, आपने यह जो कहा, मंत्री महोदय, आप बता दें मेरे विधान सभा क्षेत्र की जिन चार सड़कों का जिक्र है, वन विभाग से स्वीकृति कब तक प्राप्त कर लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने बता दिया डिटेल में। ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कब तक प्राप्त कर लेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई निर्धारित समयावधि है? ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कब तक ... (व्यवधान) ठीक है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ट्राइबल राइट्स बिल में जो दिया है ... (व्यवधान) सरकार ने अभी जो बिल पास किया है ट्राइबल राइट्स बिल का उसमें अस्पताल, स्कूल, सड़कें उसके लिए कोई प्रोविजन किये हैं। क्या उन नियमों के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके प्रोविजन नहीं हो सकते? ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी आया ही है बिल तो। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पास हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? ... (व्यवधान) जिस बिल पर प्रधान, ग्राम सभा कर रही है और आप कह रहे हैं कि आया ही नहीं इससे बड़ी और क्या विधान सभा की दुर्गति होगी कि विधान सभा के कानून बनाने वाले हमारे *** को भी मालूम नहीं कि कानून बन गया, नियम बन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का प्रावधान उक्त बिल में है तो निश्चित तौर पर उसका अध्ययन करके जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है उसका निश्चित तौर पर अध्ययन करके अगर उसमें कुछ चीजें उन्होंने निकाली हैं तो निश्चित तौर पर उसका ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जल्दी सड़कें बने, उसके लिए प्रयास करेंगे और रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिन सड़कों के बारे में उन्होंने मूल सवाल किया है, वह कब तक उन सड़कों के बारे में एन.ओ.सी. ले लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी औपचारिकताएं विभागीय स्तर पर पूरी करके फोरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने

*** अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अलग-अलग तारीखों को भेजी है, आप कहें तो मैं तारीख कोट कर दूँ, एक-एक सड़क की।
... (व्यवधान)

श्याम/चौहान/20.03.2008 11.40 1e

जो आपने सवाल उठाया है मैं आज ही मेरे अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि इन सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के लिए जो कुछ भी कानूनी औपचारिकतायें शेष रही हैं उनको पूरा करके प्रयास यह रहेगा कि एक महीने के अंदर-अंदर इन का काम कराने का प्रयास करेंगे, जब तक कि हमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल जाये तो।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ. सुरेश चौधरी।

विधान सभा क्षेत्र भादरा, नोहर एवं तारानगर के ग्रामों में साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचाई सुविधा

341.डा. सुरेश चौधरी (भादरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भादरा के 12, नोहर के 9 तथा तारानगर के 2 कुल 23 गांवों को साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचाई सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अभी तक इस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल): सर्वे कराने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। सर्वे रिपोर्ट के बाद विचार किया जायेगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूँ राज्य सरकार का और राज्य सरकार के जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री जी का कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नोहर-भादरा विधान सभा क्षेत्र दो अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र हैं और वहां 2003 के बाद पहली बार चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे सैटलमेंट का मामला हो, चाहे सिंचित क्षेत्र विकास का मामला हो, इस सरकार ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा काम सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में किया है चाहे वह री-फिटिंग के मामले में दो करोड़ रुपये देकर के किया हो, चाहे खाला नाला निर्माण के लिए 181 करोड़ रुपये देकर किया हो, चाहे क्रोस रेगुलेटर का हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से दो-तीन सवाल पूछना चाहूंगा, नम्बर एक, यह सर्वे का कार्य माननीय मंत्री जी कब तक हो जायेगा। नम्बर दो, क्या सरकार साहवा लिफ्ट कैनाल की तरह राज्य की सभी सिंचाई परियोजनाओं में बहते हुए पानी से सिंचाई करने के बजाय, फ्लड इरिगेशन के बजाय स्पिंकलर और ड्रिप की जो सिंचाई पद्धति है उससे सिंचाई अनिवार्य करने का विचार रखते हैं। यदि हो तो कब तक और नहीं तो क्यों?

तीसरा, साहवा लिफ्ट कैनाल का जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसको सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए क्या सिंचाई विभाग ने अलग से कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, यदि हां तो वह क्या है और उससे काश्तकारों को क्या-क्या फायदा है? क्या सरकार इस पायलट

प्रोजेक्ट को दूसरी सिंचाई परियोजनाओं में भी अनिवार्य रूप से लागू करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रयास करेंगे कि सर्वे का काम दो महीने में पूरा हो जाये।

दूसरा, साहवा लिफ्ट की तरह अन्य योजनाओं में भी फव्वारा सिस्टम और ड्रिप सिस्टम के संबंध में राजस्थान में पानी की कमी है, लिमिटेड फैक्टर पानी है इसलिए इसका आप्टिमम यूटिलाइजेशन हो तो जहां-जहां पर भी किसान पानी के उपयोग के लिए फव्वारा और ड्रिप लेना चाहते हैं उनको सब्सिडी भी दी जाती है। जितनी भी लिफ्ट योजनाएं हैं उसमें दस प्रतिशत एरिया हमने शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबमें लिया हुआ है। यह काम हमने शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो नर्मदा का पानी आ रहा है, पूरे ढाई लाख हेक्टेयर में यह स्पिंकलर सिस्टम से ही सिंचाई एक अनुपम उदाहरण हमारा शुरू होने जा रहा है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): क्या सभी सिंचाई परियोजनाओं में इसको कम्पलसरी करने का विचार रखते हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह जो फार्मूला चल रहा है, लोगों का लगाव पैदा होगा तो सरकार तो जो जनता चाहती है उसी के हिसाब से काम करती है।

श्री उपाध्यक्ष: नेकस्ट क्वेश्चन, श्री हीरालाल निवाड़ी।

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु नवीन राजस्व न्यायालय

342. श्री हीरालाल (निवाड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. राज्य में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं तथा इन न्यायालयों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल कितने मामले लंबित हैं?

2. क्या सरकार राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए नये राजस्व न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने वह कहां-कहां?

3. क्या सरकार राजस्व अधिकारियों को राजस्व मामलों के शीघ्र व सुगम निपटारे के लिए निजी सहायक, कम्प्युटर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी): 1. राज्य में राजस्व मंडल सहित 322 राजस्व न्यायालय हैं तथा इन न्यायालयों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक 295220 मामले लंबित हैं।

2. जी हां। वर्ष 2008-09 में 26 सहायक कलेक्टर न्यायालय क्रमशः लालसोट (दौसा), गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), अलवर (अलवर), बानसूर, अंता (बारां), चौहटन (बाड़मेर), बायतू (बाड़मेर), बीकानेर शहर (बीकानेर), कुम्हेर (भरतपुर), नदबई (भरतपुर), उच्चैन (भरतपुर), जयपुर में जयपुर शहर, बस्सी, फागी, चौमू, आमेर, कोटपूतली व सांभर, करौली (करौली), दीगोद (कोटा), कोटा (कोटा), रियांबडी (नागौर), रायपुर (पाली), सीकर (सीकर), पिंडवाड़ा (सिरोही) एवं कुचामन (नागौर) सृजित किये जा रहे हैं।

3. राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को मामलों के शीघ्र व सुगम निपटारे के लिए कम्प्यूटर उपकरण एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जा चुका है। सभी न्यायालयों के लिए शीघ्र लिपिक/निजी सहायक के पद सृजित किये हुए हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और राजस्व मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस नये बजट में 26 एसीएम कोर्ट कार्यालय खोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 322 राजस्व न्यायालयों में 295220 प्रकरण लंबित हैं, जो एक एसडीएम कोर्ट के लिए एक हजार औसतन आता है और यह भी 15-15, 20-20 साल से लंबित हैं तो इस तरह से आम जनता को, किसान को किस प्रकार न्याय मिल पायेगा। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आप इन लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए क्या कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा ज्युडिसियल आफिसर्स को काफी सुविधाएं हैं, शेट्टी आयोग की सिफारिश से न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं काफी बढ़ गयी हैं, उनके विपरीत जो राजस्व अधिकारी हैं इनको यह सुविधाएं नहीं मिली हैं, यहां तक कि इनको सहायक, निजी सहायक, कनिष्ठ लिपिक, इनके ऑफिसेज और रेजिडेंस भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह भी राजस्व कार्य करते हैं, उसी तरह के फैसले देते हैं तो यह सब सुविधाएं नहीं मिलने से, स्टाफ नहीं मिलने से, ऑफिस नहीं मिलने से इनकी एफिसेंसी में कमी आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्व मंडल के आदेश क्रमांक 12929 दिनांक 24.09.1998 के द्वारा 85 सहायक कलेक्टर कार्यालय एवं 24 उप खण्ड कार्यालयों में निजी सहायकों के 109 पद सृजित किये गये थे और बाकी बचे कार्यालयों के लिए 92 निजी सहायकों के नये पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव 2005-06 में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे गये थे। यदि हां तो 1998 से यह पद नहीं भरे गये हैं, क्या कारण है, कृपया बताने का कष्ट करें। राजस्व अधिकारियों को कानून व्यवस्था का जिम्मा होने के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं, उससे जो यह राजस्व के कार्य हैं वह भी पिछड़ते जा रहे हैं। मेरी मांग है की कानून व्यवस्था के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए और जो राजस्व न्यायालय के अधिकारी हैं इनके लिए कार्यालय, उनके आवास, सहायक और लिपिक के जो पद हैं उनको कब तक पूरा कर लेंगे, कृपया बताने की कृपा करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने उप खण्ड कार्यालय कार्यरत हैं जहां पर एसीएम कोर्ट नहीं हैं, क्या सभी जगह सरकार एसीएम कोर्ट खोलने का विचार रखती है क्योंकि मुकदमों को अंबार लगा हुआ है और दूसरा यह है कि अभी जो 26 एसीएम कोर्ट खुल गये हैं यह कब तक काम शुरू कर देंगे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजसमंद में माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि रेलमगरा एक तहसील क्षेत्र है और वहां हमने एसीएम कोर्ट की मांग की है, क्योंकि मुकदमे लंबित हैं और मैंने निवेदन भी किया है कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलमगरा में यह कोर्ट खोलने की मंशा रखेगी। साथ ही उप तहसील कुंवारिया जिसको तहसील में क्रमोन्नत करने के लिए भी मैंने निवेदन किया था, क्या कुंवारिया उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत का विचार रखते हैं क्या?

jyg/usc/20.3.8/11.50/1f

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सिविल न्यायालयों या राजस्व न्यायालयों में कोई भी वाद दायर होने के बाद निर्णय होने की निश्चित समय अवधि तय करने का इरादा रखते हैं क्या?

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ, पहले मेरा जवाब माननीय मंत्रीजी से दिलवाइए।

श्री अमराराम (धोद): निश्चित समय में वाद निर्णित करने के लिए क्या कोई टारगेट फिक्स करके शीघ्र न्याय दिलाने का इरादा रखते हैं? राजस्व न्यायालयों में दस साल तक, पन्द्रह साल तक वाद चलते रहते हैं, पीढियों तक चलते रहते हैं, क्या इनको समयबद्ध निर्णित करने का आप कोई इरादा रखते हैं, अगर रखते हैं तो कितना समय तय करेंगे?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बाद में पूछ लेना।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में मैंने अपने उत्तर में सारी बात बता दी। यह जो केस पेंडिंग बताएं हैं वह हमारे अलग-अलग 322 न्यायालय हैं उनमें पेंडिंग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल अजमेर में 40,200 है, उसके बाद संभागीय आयुक्त स्तर पर, आयुक्त स्तर पर, जिला कलेक्टर, एस डी एम, ए सी एम, इन सभी लेवल पर होते-होते इन 322 न्यायालयों में 2,95,290 है। इनकी समय-समय पर मोनिटरिंग भी की जाती है। हमने राजस्व मण्डल से लेकर नीचे तक के सभी न्यायालयों में कितने राजस्व मामले निपटाएंगे, इसकी एक पूरी सारणी बनी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके उपरान्त भी आप देखेंगे कि हमने यह महसूस किया कि राजस्व न्यायालयों में पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती जा रही है और एस डी एम और ए सी एम लेवल पर राजस्थान में हमने 26 और ए सी एम कोर्ट खोलने का निर्णय लिया है और यह ए सी एम कोर्ट खोलने का निर्णय इसलिए लेना पडा कि 1,91,727 जो 192 एस डी एम न्यायालय स्तर पर 1,91,727 केस हैं और सहायक कलेक्टर के यहां 12,700 हैं, राजस्व अधिकारियों के पास 12,847 हैं और एस ओ होता है वह भी आर ए ए का काम करता है, उनको भी अलग से अधिकार दिए हुए हैं।

इस प्रकार से जब हमने यह सारी बातें की, आवश्यकता समझी क्योंकि एस डी एम पूरा समय नहीं दे पाते हैं तो उनके कार्य का विभाजन करके उनके केसेज को हमने ए सी एम को डाइवर्ट करके उनको निस्तारण करने को दिए हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 2004 से पूर्व के जो 2,10,817 शेष थे और दायर हो गए, 64,934, योग हो गया 2,75,751 और हमने निस्तारण किया 51,713, निस्तारण भी हो रहे हैं लेकिन आज जिस प्रकार से लिटिगेशन वगैरह बढ़ रहा है, छोटी-छोटी जोत हो रही है, उसके बाद में भी जो अब्दुल रहमान का निर्णय आया, उस निर्णय के आधार पर जहां भी प्रतिबंधित मामले थे, उसके अंदर यदि उनका रेफरेंस भी चल रहा है, इस प्रकार से उनकी संख्या की बढ़ती जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 93,761 मामलों का निस्तारण किया तो 1,16,271 मामले और शामिल हो गए, दायर हो गए, इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो हमने एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर यह बात कही है कि 2001 से पहले के जितने केसेज किसी भी न्यायालय के अंदर यदि पेंडिंग है तो पहले उनको निस्तारित किया जाए। उसके अंदर हमने राजस्व मण्डल के लेवल पर 50 वाद प्रति सदस्य उनको डिस्पोजल करने का एक महीने के अंदर उनको यह टार्गेट दिया हुआ है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरा एक प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इस प्रकार सारे के सारे में जैसा निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है...।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपने 26 एस डी एम कार्यालय खोल दिए। मैं कह रहा हूँ कि जहां एस डी एम कैम्प कोर्ट चल रहे हैं उनको ही आपने स्थायी नहीं किया, क्या आप एस डी एम कार्यालय खोलेंगे? ... (व्यवधान)... वहां कैम्प कोर्ट वर्षों से चल रहे हैं, उनको ही आपने स्थायी नहीं किया। ... (व्यवधान)...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति भोपालसागर, पंचायत हैडक्वाटर पर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का आप विचार रखते हैं और ए सी जे एम कोर्ट खोलने का विचार रखते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): प्रश्न संख्या 343.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नए राजस्व न्यायालय कहां खोले जाने थे उसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। ... (व्यवधान)...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... हमारे यहां ए सी एम कार्यालय की सख्त आवश्यकता है। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब दिलवाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... आ गई बात सारी।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल लिया है, आप बीच में न बोलें।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप माननीय मंत्रीजी से मिल लेना, आपकी कोई समस्या हो तो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): 000

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हो गए, आप बैठ जाइए। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। ...(व्यवधान)... फिर आप बीच में बोल रहे हैं। श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिल गया जवाब, मैं संतुष्ट हूँ।

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चिकित्सकों के रिक्त पद

343. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? चिकित्सालयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मेड़ता क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् चिकित्सकों के कितने पद कहाँ-कहाँ समाप्त किए गए। विवरण मय स्थान सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) मेड़ता क्षेत्र के अस्पतालों की वर्ष 2004 से 2008 की आउटडोर मरीजों की चिकित्सालयवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी): (1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

के रिक्त पदों की स्थिति, रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र, मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिया बड़ी में समानीकरण योजना के अंतर्गत एक चिकित्सा अधिकारी का पद आदेश दिनांक 05.06.2007 के द्वारा समाप्त किया गया है।

(3) जी हां, कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर/राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(4) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के वर्ष 2004 से 15 फरवरी, 2008 तक के आउटडोर रोगियों का चिकित्सा संस्थानवार एवं वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मेड़ता अस्पताल में एक निश्चेतक चिकित्सक का पद 2005 से खाली है। यह खाली होने से वहां जो ऑपरेशन होते हैं या डिलीवरी होती है उसमें कितने मरीजों को परेशानी आती है, यह पद आप कब तक भर देंगे?

Gpc/akt/20032008/1200/1g

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एनेस्थेटिक के पद जहां पर रिक्त हैं वो न तो कांट्रेक्ट पर मिल रहे हैं। हमने अभी एक केश कोर्स करवाया चार महीने का, एक बैच निकल गया। उनमें से एक मेड़ता में एक चिकित्सा अधिकारी को वहां पर पदस्थापित करवा देंगे। बाकी अन्य रिक्त पदों का जहां तक प्रश्न है नागौर जिले में ऑन कांट्रेक्ट 64 चिकित्सकों की स्वीकृति जारी की गई थी, इसके विरुद्ध 63 पद भरे हुए हैं, मात्र जनवरी, 2008 से एक पद रिक्त हुआ। 64 भरे थे, एक रिक्त हुआ है उसको भी शीघ्र भरने का प्रयास करेंगे।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रियां बड़ी जो पंचायत समिति क्षेत्र है और काफी हलका ग्रामीण क्षेत्र से आता है उसमें दो पद ही रिक्त हैं और दोनों ही रिक्त पद हैं एक मेडिसन का, एक सर्जरी का इसलिए वह आप कब भरने जा रहे हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चिकित्सा अधिकारी के दो पद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रियां बड़ी में कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन, जूनियर स्पेशलिस्ट की दिक्कत आ रही है क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में जूनियर स्पेशलिस्ट नहीं आता इसलिए मैं अन्य स्थान पर जहां पर अधिक पद हैं उनमें से कम करके यहां पर जरूर पदस्थापित कर दूंगा यह बैन खुलते ही।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्री जी, इतना और जवाब दें जिन पदों पर चिकित्सक राजस्थान में ड्यूटी पर नहीं आते ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): वे वहां पर उपलब्ध नहीं होते, वे अपना क्लीनिक खोलकर कहीं और चले जाते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न राजस्थान से संबंधित है, पूरी चिकित्सा प्रणाली का है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान का है तो ..(व्यवधान).. यह प्रश्न मेड़ता विधान सभा क्षेत्र तक ही सीमित रखा है माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): एक मिनट में जवाब दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र का है ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: यह राजस्थान के बारे में नहीं पूछ है माननीय सदस्य, उन्होंने।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): डाक्टरों को लगाने के, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करने के लिए निर्देश देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न देखिए। मेड़ता विधान सभा क्षेत्र से संबंधित पूछा है उन्होंने। सब विधान सभा क्षेत्रों के बारे में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): राजस्थान का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान का मामला है ..(व्यवधान).. चिकित्सा विभाग की मांगों पर पूछ लेते। प्रश्न मेड़ता विधान सभा क्षेत्र का है ..(व्यवधान)..

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): जहां इनकी पोस्ट ही नहीं है वहां पर डेपुटेशन पर हैं। यह नीतिगत सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। ..(व्यवधान)..

श्री संयम लोढा (सिरोही): ये एनेस्थेसिया के बारे में तो मंत्रीजी आप फरमा दें कि राजस्थान में जहां-जहां ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप ..(व्यवधान).. कोई अंकित नहीं होगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): 000

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। बैठिए माननीय सदस्य।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जानते हैं एनेस्थेसिया ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: चिकित्सा विभाग की मांग के समय में भरपूर चर्चा विस्तार से हो चुकी है। ..(व्यवधान)..

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री रणवीर सिंह गुढा, सदस्य की ओर से राजस्थान विधान सभा के परिसर एवं सदन में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाने आदि के संबंध में।

मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि विधान सभा परिसर में या विधान सभा सदन के अंदर कौनसी मूर्तियां लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, सदन के अंदर इसकी चर्चा एक तरह से नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे वैशम में मिल लीजिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह नियमों में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिए इस पर मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य ..(व्यवधान).. इस पर सदन में चर्चा सदन के बारे में नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य, परम्परा नहीं है ..(व्यवधान)..

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): संविधान निर्माता की मूर्ति है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): प्रजातंत्र का सम्मान करने की मांग आपसे कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: आप मुझसे बैठकर बात करके ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य, यहां कोई कहेगा लगनी चाहिए, कोई कहे नहीं लगनी चाहिए। इसमें चर्चा सदन के बारे में नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य ..(व्यवधान)..

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): राजा-महाराजाओं की मूर्ति के लिए राज्य सरकार ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न हैं ..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप, कह दिया मैंने। आप मुझे मिल लेना।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): केवल दो मिनट का समय लूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अतः इस पर मैं अनुमति देने में असमर्थ हूँ। माननीय सदस्य, कोई समय नहीं दिया जाएगा।

2. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम द्वारा सामान ढोनी के रिक्शे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी के लाइसेंस नहीं देने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री रामनारायण मीणा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजनान्तर्गत निर्मित दुकानों का लोगों को स्वामित्व नहीं मिलने एवं बेदखली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पावरमेंट कमेटी द्वारा मार्गदर्शन दिये जाने के उपरान्त भी आरा मशीनों का स्थानान्तरण एवं हस्तान्तरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव हाल ही में घटित घटना से संबंधित नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। वैसे भी आज पर्ची पर माननीय सदस्य को इस विषय पर बोलने का अवसर उपलब्ध है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

श्री खुशवीर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपयोग हेतु ईंट बनाने वालों से टैक्स वसूली की रोकथाम के संबंध में।

श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से स्वतंत्रता सेनानी मगाराम जाट का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथडाऊ (जिला जोधपुर) से हटा देने से जनता में व्याप्त रोष के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी हाल ही में घटित घटना से संबंधित नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह एवं श्री संयम लोढ़ा को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के केलवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

2. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से ईसरदा बाँध के ओवरफ्लो पानी को मोरेल एवं डील बाँध में डलवाने की व्यवस्था करने के संबंध में।

3. श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की ग्राम पंचायत सुनेल की चुंगी के बदले क्षतिपूर्ति अनुदान की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने के संबंध में।
4. श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से जिला इंगरपुर के थाना चितरी में दर्ज मुकदमा नं. 79/07 में लिखे 45 लोगों के दर्ज नाम हटाकर मुकदमे को सरकार द्वारा वापस लेने की आवश्यकता के संबंध में।
5. श्री मदनमोहन सिंघल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कामां की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।
6. श्री जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव, जैसलमेर एवं शेरगढ़ में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में।
7. श्री देवी शंकर भूतड़ा, सदस्य की ओर से ब्यावर स्थित सिटी डिस्पेंसरी को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने के संबंध में।
8. श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सड़कों के निर्माण एवं सम्पर्क सड़कों के पुनःनिर्माण के संबंध में।
9. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से परसरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों के 157 दिन से हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
10. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के अग्निशमन केन्द्रों में पर्याप्त एवं प्रशिक्षित कार्मिक नियुक्त करने के संबंध में।
11. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत रोहिड़ा एवं वासा पंचायत समिति पिण्डवाड़ा की नई आबादी भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में।
12. श्री धमेन्द्र मोची, सदस्य की ओर से भाखड़ा नहर सिंचाई प्रणाली की नहरों, माइनरों एवं खालों को पक्का करने के संबंध में।

चूंकि आज सदन में विधायी कार्य अधिक है और उसमें समय लगना स्वाभाविक है, अतः माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ माना जा रहा है।

श्री खुशवीर सिंह।

शून्यकाल

सीडी प्रकरण, अजमेर नगर सुधार न्यास पर जवाब की मांग

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जो प्रकरण आया था सीडी, अजमेर नगर सुधार न्यास का, आपने फरमाया था कि आज सरकार जवाब देगी 12 बजे। उसको 48 ऑवर्स हो गये हैं। कृपया वह जवाब दिलवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय के बारे में आपने कोई निश्चितता नहीं की थी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कल कहा था 24 घण्टे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने यह फरमाया था कि सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अमराराम (धोद): संसदीय कार्य मंत्रीजी, कल सदन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था 24 घण्टे में जवाब आ जाएगा और सदन में रख दिया जाएगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप प्रोसीडिंग देख लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो यह कहा था कि 24 घण्टे या 48 घण्टे में इसका जवाब दे दो, यह समयसीमा में नहीं बांधा था।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 24 घण्टे बोला था।

सुरेन्द्र/अरुण/20.3.2008/12.10/1h

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई समय सीमा में नहीं बांधा था। उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा में कहीं नहीं बांधा था।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 24 घंटे का बोला था। 24 घंटे में जवाब, आप देख लें प्रोसीडिंग को।

श्री अमराराम (धोद): 24 घंटे से पहले तो हट ही गये वो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो अलग बात है।

श्री अमराराम (धोद): उनको तो चलता कर दिया आपने। उन्होंने 9 करोड़ रुपये लेकर.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात सुनें। माननीय सदस्य, आपके स्थगन प्रस्ताव पर वैसे कहा था कि सरकार से जवाब मांगा है, जवाब अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, आज नहीं हुआ है तो परसों हो जाएगा। उसमें आपकी बात पर बराबर सुनवाई की जाएगी। (व्यवधान) सरकार की तरफ से कार्यवाही हो रही है। (व्यवधान)

श्री हेमराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 24 घंटे में आना चाहिए। 24 घंटे के अन्दर जवाब देना था। आसन के आदेश की पालना सरकार नहीं कर रही है इससे ज्यादा और क्या होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप लिखो मत। नहीं लिखें। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, देख लेते हैं उसमें। प्रोसीडिंग देखकर के बतायेंगे आपको। (व्यवधान) बैठिये आप। बात तो सुनें थोड़ी। बैठिये आप। बात सुनें आप। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: क्या हद हो गई? माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: कौन कह रहा है? पता नहीं है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार को सब पता है, पूरा विस्तृत जवाब दे दिया जाएगा। माननीय सदस्य, पहले सरकार का जवाब सुन लीजिये। सरकार का जवाब तो सुनिये पहले। जवाब सुनिये पहले कि वो क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। लेट मी कम्पलीट प्लीज। आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री हेमराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब दिया नहीं तो आप क्या बोलेंगे। पहले आप जवाब यहां दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए उसके बाद में आप बोलेंगे। जवाब ही नहीं दिया तो आप क्या बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विराजो-विराजो। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर कल आपने व्यवस्था देते हुए कहा था कि जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से उत्तर आ जाएगा उसके बाद.....

श्री हेमराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 24 घंटे के लिए कहा है। आप कार्यवाही उठाकर के देख लीजिये, 24 घंटे का कहा है। यह जल्दी से जल्दी.... (व्यवधान) 24 घंटे का कहा था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। आप सुन लें बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी क्या, इस पर आपने कहा कि 24 घंटे, 48 घंटे में जवाब आ जाएगा और उसके बाद सरकार को पूरी जानकारी होने के बाद यह जो सारे अधिकार आपके पास हैं, आप फिर किसी विषय पर सरकार का स्टेटमेंट चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, स्थगन पर अपनी व्यवस्था देंगे। पर पहले आपके सम्मुख सारी जानकारी आप तक प्रेषित करने की जिम्मेदारी सरकार की है इसको हम स्वीकार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के बाद सारी जानकारी जुटा कर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज नहीं तो दुबारा जब बैठेंगे तब तक यह पूरी जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बात तो सुनें। माननीय सदस्य, बात सुनें आप। कोई बात नहीं सुनते हो आप। माननीय सदस्य, वो बात कह रहे हैं उसमें क्या बात है? (व्यवधान) बैठिये आप। ऐसा कौनसा दो दिन के अन्दर पहाड़ टूट रहा है? यह कोई बात हुई क्या? क्या बात हो गई? एक्शन लिया जा रहा है, वो देंगे जवाब। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष की व्यवस्था पर तो....

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले बैठिये। पहले आप सुनें। पहले सुनें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। कोई अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप स्थान ग्रहण कीजिये, स्थान ग्रहण कीजिये पहले। आप बैठिये पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, आपने 24, 48 घंटे के लिए कहा था... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठ जाओ। अब बात सुनें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुनो तो सही। प्रोसीडिंग है सारी। पहले 48 घंटे और फिर आपने 24 का पेश किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को एक-दो घंटे, तीन घंटे सारा विवरण देने के विलम्ब हो सकता है। आपके पास भेज रहे हैं, आप वैशम में जब जाएं तो आपको मिल जाएगा। इनको भी बुला लीजिये, समय आप जैसा करना चाहें कर लें। इसमें विवाद की क्या बात है? (व्यवधान) आप अपने वैशम में आकर के बातचीत कर लें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज दे देंगे? आप कह दीजिये कि आप दे देंगे। समय तय कर देंगे। वैशम में तो समय तय कर देंगे, जवाब तो आप हाउस में दे दो, जवाब तो अभी दे दो आप। (व्यवधान)

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात इनको दिखा देंगे, वैशम में जाकर उपाध्यक्ष महोदय, आप भी चले जाएं, कर लेंगे वहां पर तय। समस्या क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जानकारी मेरे पास आ जाएगी उस वक्त आपको बुलाकर..... (व्यवधान) अभी तक आई नहीं है। 23 घंटे का मतलब यह 11 बजे, 12 बजे थोड़े ही था? यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: सरकार जवाब देगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको कह दिया। माननीय सदस्य, यह सदन को सूचित कर दिया है। मेरे पास जवाब आया नहीं है, जवाब आते ही आप इसके ऊपर कर दिया जाएगा जवाब के लिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, पहले बात सुनिये। बात सुनिये। पहले बात सुनिये आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले मेरी बात सुन लीजिये। क्या व्यवस्था दी थी वह सुनें आप। (व्यवधान) व्यवस्था क्या दी है वह सुननी पड़ेगी आपको। माननीय सदस्य, व्यवस्था नहीं सुनेंगे आप? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात तो सुनें।

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं करें। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, सदन में क्या व्यवस्था दी थी वह सुनिये पहले आप। माननीय सदस्य, पहले सुनें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 24 घंटे में जवाब आ जाएगा, जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: 24 घंटे में जवाब आ जाएगा....."

vkj/akt/1220/1j

48 घंटे का टाइम हमने दिया है, 24 घंटे में जवाब आ जाएगा। (व्यवधान) मैं अभी कोई सरकार को मजबूर नहीं कर सकता हूं। (व्यवधान) अब यह कह दिया 48 घंटे में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह 24 घंटे में जवाब आ जायेगा। आपने कहा है, आया है क्या जवाब? आप खुद कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया, यही तो है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: 48 घंटे का टाइम दिया है। (व्यवधान) यह क्या बात हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कह दिया था। व्यवस्था यह थी कि मेरे पास जवाब आ जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री उपाध्यक्ष: आ जायेगा जवाब (व्यवधान) माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री उपाध्यक्ष: मैंने सरकार को 48 घंटे का टाइम दिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री उपाध्यक्ष: आ जायेगा जवाब माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अनेक माननीय सदस्य: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मैंने सरकार को 48 घंटे का टाइम दिया था और 24 घंटे के अन्दर मेरे पास जवाब आ जाएगा तो अपने आप टाइम निश्चित कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) इसकी आप चिंता मत कीजिये, इसकी चिंता मत कीजिये माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कहा था कि... (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप हमारी चिंता मत कीजिये, मैं अपने आप मंगा लूंगा। मैं अपने आप मंगा लूंगा। मैं अपने आप मंगा लूंगा। (व्यवधान) हम मंगा लेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कह दिया है सरकार को, मैंने कह दिया है सरकार को। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: सदन का सदस्य किसने बना लिया आपको? (व्यवधान) नहीं, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं माननीय सदस्य। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं। एक आदमी बोले पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपने व्यवस्था देखी नहीं, पढ़ी नहीं (व्यवधान) माननीय सदस्य, व्यवस्था क्या दी गई थी। क्या व्यवस्था दी गई थी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। वह व्यवस्था क्या दी थी। (व्यवधान) व्यवस्था में 48 घंटे का टाइम दिया है माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप, बैठिये आप। माननीय सदस्य, 48 घंटे का टाइम दिया था और मैंने कहा था कि... (व्यवधान) यह क्या बात हुई? (व्यवधान) अब कह दिया, 24 घंटे में जवाब आ जायेगा तो अभी...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: अभी हम तो यही बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: 48 घंटे का टाइम दिया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग हुई है, आपके पास बिना जानकारी आये इस आसन के पास, आप निकलवा लीजिये कि कल मंत्रीजी आपको वक्तव्य देना है इस मामले के अन्दर। पूर्व में हम लोग भी तैयारी करके आते थे, आकर वक्तव्य देते थे यहां पर, आप टाइम फिक्स कर दीजिये अभी भी, तीन बजे, चार बजे दे दीजिये, जब आपकी इच्छा हो तब दे दीजिये लेकिन अगर आप यह चाहे कि ये आपको पहले दिखायेंगे। यह दिखाने का क्या मतलब है? पहले आप संतुष्ट होइये, तब आप टाइम देंगे यहां पर, यह सरकार का बचन नहीं चलेगा। यह सरकार की नीयत यही है कि यह भ्रष्टाचार को दबाने के अन्दर जुटी हुई है और उसको उजागर नहीं होने देना चाहती है। आप टाइम दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप सरकार को एम्बरेसिंग पोजिशन में डाल रहे हैं। आपने कहा है। आप कहिये यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये पहले। माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका। (व्यवधान) यह बिना मतलब के कोई एलीगेशन नहीं लगाते माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं होगा। यह आप इस तरह से क्या कर रहे हैं। बैठिये आप, बैठिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

अनेक माननीय सदस्य: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका माननीय सदस्य। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, कुछ अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

अनेक माननीय सदस्य: 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

अनेक माननीय सदस्य: 000 (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

Jkj/akt/12.30/1K/20.3.2008

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा निरन्तर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

माननीय सदस्य, बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। बैठिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये अपना। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये आप, आप स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000 (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, करेंगे बात। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000 (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, माननीय सदस्य आप। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मान लो, स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये आप। कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान) आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं माननीय सदस्य, बिना परमिशन के बोल रहे हैं, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा आपका, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं आगे अब..(व्यवधान) माननीय सदस्य, देखो, आज मैं फिर, मैं आगे की कार्यवाही ले रहा हूँ मैं माननीय सदस्य, मैं आगे के कार्य की मैं कार्यसूची शुरू कर रहा हूँ। (व्यवधान) आप बात करिये, यह क्या बात हुई है। यह कोई यहां, आप सदन में अव्यवस्था फैला रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं आप। (व्यवधान) नहीं-नहीं, यह गलत बात इस तरीके की। यह क्या बात...(व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आप सुनना नहीं चाहते तो आज, आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) सुनिये आप, सुनिये आप, सुनिये पहले, सुनिये।

श्री गुलाब चन्द्र कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है हम उससे कोई भिन्न भावना नहीं रखते। बाकी के, आपने इस विषय को जिस रूप में, उस व्यक्ति ने स्वयं ने अपना त्यागपत्र दे दिया, चार्ज हमने कलेक्टर को दे दिया और सीडी की जांच के लिए हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया, अब जांच में उसका दोष आयेगा उसके बाद ही तो उस चीज को प्रमाणित कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। अगर मान लो आप

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

में से कोई भी मेरी एक सीडी बना दे, जैसे बनाई थी मेरी जमीन में मैंने कोई स्टाम्प ड्यूटी चोरी कर ली, क्या उसके बना देने से मैं स्टाम्प ड्यूटी का कोई चोर हो गया। मेरे पर कोई आरोप लगा दे, कोई सीडी बनाकर के यह बयान दे दे कि गुलाब चन्दजी कटारिया ने वहां से दस लाख रुपये ले आये तो उसके कहने मात्र से तो मैं मुलजिम नहीं बन सकता हूं। जांच के आधार पर अगर सीडी में उसका कोई दोष निकलेगा तो हम कोई बचाने की मंशा नहीं है, जो गलत काम करेगा, वह भुगतेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। (व्यवधान) कोई दिक्कत है नहीं। अगर किसी ने किया है गलत, तो वह भुगतेगा। (व्यवधान) हमारी यह मंशा कभी भी नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपसे प्रार्थना यह कर रहा हूं, एक विषय आपने खड़ा हुआ, जो जिस प्रकार से भी आया है, सीडी के माध्यम से आया, हाउस में उस विषय पर चर्चा हो गई, हम भी जानते हैं अगर इस सीडी में जांच के बाद कोई दोष निकलेगा तो जो कानून के तहत कार्यवाही होगी और निश्चित होनी है...(व्यवधान) अब इसको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य। यह बात सही है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नहीं-नहीं, यह।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000 (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000 (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000 (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000 (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी, आप सीट पर जाकर बोल लें, क्या दिक्कत है। नहीं, पर आप स्थान पर जाकर..(व्यवधान) तो स्थान पर जाकर बोलते हैं तो क्या नुकसान है, जब गृह मंत्रीजी ने अपने स्थान पर खड़े होकर जवाब दिया है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान पर जाकर कहने में क्या एतराज है आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री उपाध्यक्ष: जब गृह मंत्री ने अपने स्थान पर ही जवाब दिया है तो आपके क्या दिक्कत आ गई...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000 (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाकर के...(व्यवधान)

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

- डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000 (व्यवधान)
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000 (व्यवधान)
 डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): 000
 डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000 (व्यवधान)
 श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप सीट पर...
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000 (व्यवधान)
 श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000
 श्री संयम लोढा (सिरोही): 000
 श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000 (व्यवधान)
 श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

Lpm/akt/1240/11/2032008 (1)

**सदन में भारी हंगामा
(पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

श्री उपाध्यक्ष: या तो हाउस को चलने दीजिए माननीय सदस्य ...(व्यवधान).... मैं सदन का बिजनैस ले रहा हूं या तो आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य या तो आप स्थान ग्रहण कीजिए और नहीं तो मैं सदन का बिजनैस ले रहा हूं। माननीय सदस्य आप बोलने का माननीय सदस्यों का अधिकार छीन रहे हैं। माननीय सदस्य आप किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो ...(व्यवधान).... जगह पर जाकर के बोलेंगे नहीं, अपने स्थान पर जाकर के बोलिए। माननीय सदस्य जोशी जी, माननीय सदस्य जोशी जी आप अपने स्थान पर जाकर के बोलिए। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)....

(पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लीजिए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान).... आप सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सरकार का जवाब आपको सुनना नहीं है, सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते आप और बात को वैसे ही हवा में उछाल रहे हैं, सरकार जवाब सुनना नहीं

चाहते आप। माननीय सदस्य आप सरकार का जवाब सुनना चाहते नहीं, आप सरकार का जवाब ...(व्यवधान)... देगी जवाब, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते, यह क्या बात हुई? नहीं, यह गलत बात है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सदन की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.44 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

Bhs/akt/20.3.08/13.10/1o

(समय: 13.14 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम, राम-राम।

मुझे सदन को सूचित करना है कि इस संबंध में आपस में बातचीत होने के बाद तय यह किया गया है कि सरकार की तरफ से 5.00 बजे वक्तव्य दे दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो पहले ही कहा था, आपने व्यवस्था दी थी सरकार तो हमेशा ही तैयार है। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गलत बात। आसन की व्यवस्था के बाद आपके पास जवाब था ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो इस बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान)... इस्तीफा ले लो, पैसे लोटाओ मत ।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये राजेन्द्र जी राठौड़ माने नहीं इस वजह से ये इतना उद्गल हुआ हुआ। ...(व्यवधान)... ये बिलकुल ये ही चाहते थे, ये राजेन्द्र जी राठौड़ नहीं चाहते थे इसलिए इतना व्यवधान हुआ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, सब मानेंगे। अब होली है आप इसको बुरा मत मानें और आज होली का त्योहार है इन विधेयकों को जल्दी पारित करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर जाना है यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ।... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीरिसह, अपने स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलें।

घरेलू उपयोग हेतु ईट बनाने वालों से टैक्स वसूली रोकने बाबत

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग हर दूसरे वर्ष अकाल की स्थिति होती है और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश हमारे यहां अकाल की स्थिति है और जब-जब भी अकाल राहत कार्य प्रारंभ होते हैं तब-तब ही हमारे यहां अधिकांश अकाल राहत में नाड़ी और तालाब खुदाई के कार्य लेते हैं और प्रतिवर्ष अकाल में उन्हीं नाड़ी और तालाब को सरकार लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके खुदवाती है और दूसरी तरफ जो कुछ लोग अपने पारंपरिक तरीके से अपने जीवनयापन के लिए, किसान खुद के उपयोग के लिए जो मिट्टी की ईट बनाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, उनको सरकार का राजस्व विभाग आये दिन परेशान करता रहता है और उनसे टैक्स भी वसूल करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तरफ सरकार उन तालाबों को खुदवाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और दूसरी तरफ सरकार उन्हीं किसानों से जो पारंपरिक तरीके से ईट बनाते हैं उन्हीं तालाबों को खोद कर उनसे पैसा और टैक्स वसूला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दोहरा लाभ है पहला लाभ तो यह है कि जो किसान का एग्रीवेस्ट है किसान की उपज का जो वेस्ट है हमारे यहां अधिकांश मेहंदी की उपज ज्यादा होती है सरसों और इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उसकी टहनी है उन सबका भी इसके माध्यम से किसान को पैसा भी मिलता है क्योंकि वह पारंपरिक तरीके से जो ईट बनाते हैं उनको इसके माध्यम से वो खरीदते हैं और वो जलाने के काम आता है ईट को पकाने के लिए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आज यह कला प्रायः नष्ट होती जा रही है आये दिन परेशानी यह आती है कि उनको मिट्टी कहां से प्राप्त करनी, तालाब खोदे तो राजस्व विभाग पीछे पडा है खोदने नहीं देता है जबकि दूसरी तरफ करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं उसी तालाब को खोदने के लिए बार-बार तो मेरा आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि जो मिट्टी की ईट पारंपरिक भट्टे से नहीं मैं कह रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, पारंपरिक तरीके से जो मिट्टी की ईट बना रहे हैं उन किसानों की और जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है उन सभी किसानों को हालांकि हमारे सदन में मंत्री महोदय भी उसी समाज से संबंधित हैं अभी विराजमान नहीं हैं लेकिन अभी थे और उस समाज के दो चार और हमारे सदस्य भी हैं आज दिन तक किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई। इस समाज ने आज बहुत बड़ा सम्मेलन करके भी इस सरकार से मांग की लेकिन फिर भी सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप उनको पैसा देकर तालाब खुदवा रहे हैं सरकार और दूसरी तरफ जो खुद खोदते हैं और ईट बनाते हैं उनसे

टैक्स वसूला जा रहा है तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनको टैक्स माफ करते हुए जो तालाब खोदकर ईंट बनाते हैं उनको सरकार अनुदान दे और जो ये मिट्टी के बर्तन की कला समाप्त हो रही है उसको भी बचाया जा सकेगा। एक तरफ तो उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर बाहर के लोग आकर ईंट बना कर पूरे जयपुर का निर्माण कर सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, ...

कैलाश/20.03.08 13.20 (1) 1p

और वह नियमों को ताक में रख कर नई नई इतनी बिल्डिंगे बना रहे हैं कि चार मंजिल की परमिशन लेकर 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बनायी जा रही है। दूसरी तरफ जो गरीब किसान है जो तालाब खोद कर ईंट बनाते हैं उनके साथ सरकार इस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ईंट बनाते बनाते आज जयपुर का निर्माण करने लग गया। यूनिक बिल्डर जो सभी नियमों को ताक में रखते हुए उस व्यक्ति ने आज 10 हजार, हाउसिंग बोर्ड की योजना से तीन हजार ज्यादा भवनों का निर्माण किया है और सभी नियमों को ताक में रख कर किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो एक तरफ तो आज जनता का गला घोट कर, सरकार सभी नियमों की अनदेखी कर रही है। पूरी सरकार के सामने जयपुर में इस तरह नियमों का उल्लंघन हो रहा है और दूसरी तरफ ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, उन गरीब किसानों का आज गला घोट कर सरकार टैक्स वसूल कर रही है। उसके लिये कोई कानून और कायदा उन पर लागू नहीं होता है और जब सच्चाई आती है तो मंत्री लोग खडे हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आज जिस तरह के हालात गरीब और किसान के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, किस विषय पर बोल रहे हैं यह। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप में आपने अनुमति प्रदान की है और उसका बेजा फायदा माननीय सदस्य उठारेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा हो जायेगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री बोलते हैं तो मैं कभी खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं मेरी बात एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई, जब मर्जी आये तब खडे हो जाते हैं बीच में। उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन का उल्लंघन हो रहा है, आसन का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, आप मुझे एक मिनट की अनुमति दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। हाँ, मैं सब्जेक्ट पर बोल रहा हूँ। आज इस अकाल की स्थिति को देखते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण रोजगार योजना लागू की और उसके माध्यम से आज हिन्दुस्तान विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिससे गरीब को अब कोई बेचारा या कोई दया करने की जरूरत नहीं है। उसको रोजगार का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में प्रति माह दर्जनों देश इस योजना को देखने के लिये आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ... (व्यवधान) पाली जिले में मात्र पाली से आने वाले जो विधायक हैं उनके 12 गांव हैं उसके अलावा पाली जिले में कहीं अकाल का है ही नहीं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, वह तो गलत गिरदावरी कराई गई, इंस्ट्रक्शन दिये गये सरकार के द्वारा। जीरा पूरा नष्ट हो गया, इसबगोल पूरा नष्ट हो गया। इस तरह की भ्रमित करने की बात हाउस में होती है तो किसान के लिये, गरीब के लिये, मजदूर के लिये हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपने अपना पाइंट रख दिया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंत में आपसे इतना ही अनुरोध है कि उन गरीब लोगों से जो एक तरफ तो इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं और दूसरी तरफ जो गरीब अपनी रोजी रोटी के लिये.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा आपके विधान सभा क्षेत्र से जो मिट्टी के वर्तन में मटकी बनाई जाती है आज उस मटकी की कितनी डिमांड है। आज बाडमेर जिले की मोगलसर की मटकी की कितनी डिमांड है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपकी बात आ गई उसमें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अभी खड़े होकर घोषणा करे, मंत्री जी ने वादा किया था पिछली बार जब इनका डेलीगेशन आया उनसे मंत्री जी ने और सरकार ने वादा किया था कि हम इस टैक्स को माफ करेंगे और आपको अनुदान देने की बात करेंगे। न तो टैक्स माफ हुआ, अनुदान तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय अभी जवाब दें कि उन गरीब लोगों की जो अपनी रोजी रोटी के लिये तालाब खोद कर जो ईट बनाते हैं उनके लिये आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिका आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आपके दिये हुए दो मिनट का बेजा दुरुपयोग किया उस पर तो मैं नहीं बोलूंगा

लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ राज्य में रुपये 50 प्रति हजार ईट की दर से वसूल किये जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिये यदि ईट बनाई जाती है तो उस पर कोई कर दायित्व नहीं है, किसी भी प्रकार का कर दायित्व नहीं है। ईट पर कर संग्रहण ठेके से भी किया जाता है लेकिन जो स्वयं द्वारा बना कर स्वयं के उपयोग में लेने पर ठेकेदार वसूल करता है तो वह गलत है। इसी प्रकार गारा मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं वह सभी टैक्सों से मुक्त हैं। इनका जो प्रस्ताव था वह प्रस्ताव केवल यहां तक सीमित था कि गांव में जो आदमी है वह अपने काम के लिये, घरेलू उपयोग के लिये ईट बनाता है उन पर टैक्स लगाते हैं। मैंने स्पष्ट निवेदन कर दिया कि जो अपने घरेलू काम के लिये, घरेलू उपयोग के लिये किसान जो भी ईट बनाता है उन पर किसी भी प्रकार टैक्स नहीं है। लेकिन ठेकेदार जो ईट बनाता है उसमें प्रति एक हजार ईट पर 50 रुपये उनसे टैक्स कालिया जाता है। जो व्यापार करता है उनसे और मिट्टी से बनने वाले सारे बर्तन जो प्रजापत या कुम्हार लोग जो बनाते हैं वह सारे टैक्स से मुक्त हैं। उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो तुलना करने की कोशिश की है, किसी बिल्डर का नाम लेकर इसका इससे कोई संबंध नहीं है। कोई भी बिल्डर ईट खरीद कर लायेगा तो उसको तो टैक्स चुकाना ही पड़ेगा, उसको किसी भी हालत में हम टैक्स से मुक्त नहीं कर सकते। किसान अपने काम के लिये या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कोई भी आदमी अपने स्वयं के काम के लिये ईट बना कर लायेगा तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय मैं इतना ही चाहूंगा कि राजस्व विभाग को आप निर्देश दे दें कि उनको परेशान नहीं करे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कह दिया आपने कि घरेलू काम के लिये नहीं होगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): टैक्स का तो आपने बताया लेकिन राजस्व विभाग परेशान कर रहा है उनको। मेरे विधान सभा क्षेत्र और जिले की बात निवेदन कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: आप किसी की शिकायत करना उस पर कार्यवाही होगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय राजस्व मंत्री जी आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दें जिस तरह आपने गिरदावरी के इंस्ट्रक्शन दिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कोई वसूल करता है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। (व्यवधान) जवाब आ गया कोई टैक्स नहीं लगा हुआ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): वह आगे बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाडी (खाद्य एवं नागरिका आपूर्ति मंत्री): आगे बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): वह तो आपको हैड लाइन दी है, उसका दर्द यह है कि...

श्री घनश्याम तिवाडी (खाद्य एवं नागरिका आपूर्ति मंत्री): आगे जो बोल रहे हैं उसका जवाब दूसरे पाइंट से लेकर आओ तो उसका जवाब भी मिल जायेगा ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्व विभाग वाले उसको खोदने नहीं देते, आपका तालाब बन रहा है और उसकी ईट बन रही है आपको क्या तकलीफ हो रही है उसमें ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जो सूचना है वह आपको दे दी गई है ।

**स्वतंत्रता सेनानी मगाराम जाट का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथडाउ
(जिला जोधपुर) से हटाने बाबत**

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, देश के स्वाधीन होने से पहले हमारा प्रदेश और देश की जनता दोहरी गुलामी की शिकार थी । एक तो अंग्रेजों की जालिम हुकूमत आम अवागम का भयंकर शोषण कर रही थी और दूसरी तरफ रियासतों और रजवाड़ों की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही थी । उस दौर में स्वयं प्रस्फुटित अनेका अनेक आंदोलन हुए और आवागम को शोषण के उस दुष्चक्र से बचाने के लिये हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने अमूल्य योगदान किया । उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हिंसा के विचार पर चले आंदोलन हो और चाहे अहिंसा के विचार पर चले स्वाधीनता आंदोलन हो । उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की रहनुमाई में सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो और अनेक संघर्षों के जरिये हिन्दुस्तान की आवागम को संगठित किया गया, जागृत किया गया जिससे कि अंग्रेजों की जालिम हुकूमत को यहां से भगाया जा सके । आज मैं आपकी आज्ञा से ऐसे ही महान स्वाधीनता सेनानी का एक प्रसंग लेकर भारी हृदय के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले के महाल स्वाधीनता सेनानी मगाराम जी जाट जिन्होंने उस दौर में आवागम के लिये अपना जीवन समर्पित किया । उपाध्यक्ष महोदय, वह आजाद हिन्द फौज के सिपाही थे और उस जालिम दौर में दो बार वह जेल भी गये । ऐसे ही महान स्वाधीनता सेनानियों की वजह से हमारा मुल्क आजाद हुआ, प्रजातंत्र की स्थापना हुई । नागरिक अधिकार हमको उपयोग करने को मिले । हमारे जैसे साधारण लोगों को इन सर्वोच्च सदन में बैठने का अवसर मिला । आम प्रजा को हर क्षेत्र में तरक्की का अवसर मिला

ans/usc 13.30 1q 20032008

तो हमारे अग्रज नेताओं ने यह सोचा कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सर्वस्व हम सबको अंग्रेजों की जालिम हुकूमत से मुक्त करने के लिए कुर्बान किया है, समर्पित किया है ऐसे स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति को अक्षुण्ण रखा जाए । इसी प्रसंग में उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने पत्रांक ब 4/38 सामान्य प्रशासन /01 /2000/ जयपुर/ दिनांक 27.09.2001 के जरिये राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाथडाउ जिला जोधपुर का नामकरण आजाद हिन्द फौज के

उस महान सैनानी मग्गाराम जी जाट के नाम पर किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेहद पीड़ा है मुझे कि आज यह सरकार उस महान स्वाधीनता सैनानी की स्मृति में किये हुए उस पावन कार्य को नष्ट करने पर तुली हुई है। उस महान स्वाधीनता सैनानी के परिवार को ही नहीं जोधपुर जिले के तमाम कृषक समाज को एक वेदना हो रही है। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्वाधीनता सैनानी मग्गाराम जी जाट की पत्नि किस्मी देवी को इसी महीने 9 मार्च, 2008 के अपने पत्र क्रमांक 643 के जरिये सूचित किया है कि अब उस उच्च माध्यमिक विद्यालय मग्गाराम जी के नाम पर नहीं है। इतना ही नहीं मैंने टैबल किये हैं सारे कागज, फोटो टैबल किया है पहले ही, स्कूल की मोहर के अंदर जो नाम लिखा हुआ था मग्गाराम जी का, श्री मग्गाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस मोहर को भी बदल दिया गया है और स्वाधीनता सैनानी मग्गाराम जी का नाम वहां से हटा दिया गया है। स्कूल में जिस बोर्ड के ऊपर, मैंने आपको फोटो टैबल किया है, मग्गाराम जी का नाम स्कूल के बोर्ड पर बाहर लिखा हुआ था वह नाम भी हटा दिया गया है और अब मात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम लिखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन महान स्वाधीनता सैनानियों का जिन्होंने आज के इस लोकतांत्रिक वातावरण में जीने का हमको अवसर दिया है लेकिन राजस्थान की सरकार बजाए उन स्वाधीनता सैनानियों का सम्मान करने के यह उनके नाम हटाने जैसा दुष्कृत्य कर रही है जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि राजस्थान की पूरी आवोअवाम आहत है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ आप राजस्थान दिवस पर कार्यक्रम करते हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति तत्कालीन अब्दुल कलाम आजाद के वक्त भी झांकियों का आयोजन किया। सारी झांकियों के अंदर एक भी झांकी स्वाधीनता संग्राम पर नहीं थी, पूरी झांकियों के अंदर कहीं किसी स्वतंत्रता सैनानी का उल्लेख नहीं था। यह ठीक है कि आपकी पार्टी में कोई स्वतंत्रता सैनानी नहीं था, आपकी पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान नहीं है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आपको राज मिला तो स्वाधीनता सैनानियों का अपमान करने का आपको अधिकार मिल गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रधानाचार्य ने यह दुष्कृत्य किया है सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि पार्टी के लोगों का किसी का स्वतंत्रता, इसमें कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। (व्यवधान) इस बात को एक्सपंज किया जाए। हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा (व्यवधान) प्रसाद स्वतंत्रता सैनानी थे।

श्री संयम लोढा (सिरोही): यह तो हिस्टोरिकल फैसला है इसमें कोई विवाद नहीं है । (व्यवधान) नहीं यह ऐतिहासिक....

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आप कैसे कह रहे हो । (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): यह तो प्रमाणित सत्य है हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): यह तो राष्ट्रवाद का विषय है वह तो अभी सामने आ जाएगी बात। (व्यवधान) आप कैसे थोथी चीजों को लेकर घूमते हैं सामने आ जाएगी बात।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार....

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात आपकी।

श्री संयम लोढा (सिरोही): मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संबंध में सरकार जो भी अपना वक्तव्य है उसकी घोषणा करें और जिस प्रिंसिपल ने स्वाधीनता सेनानी का अपमान करने का दुष्कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सदस्य, इस सरकार ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको मैंने परमीशन नहीं दी, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा, मैंने परमीशन नहीं दी आपको बोलने की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य बैठ जाइये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने कह दी अपनी बात को।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष:माननीय सदस्य, बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री उपाध्यक्ष: स्वतंत्रता सैनानियों का अपमान करने की किसी इच्छा नहीं है,बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अचानक क्या हो गया इनको। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन का समय जाया कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री उपाध्यक्ष:माननीय सदस्य आपको किसने परमीशन दी है, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइये आप, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या बात है यह। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीण (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मग्गाराम जी स्वतंत्रता सैनानी रहे हैं और कलक्टर की अनुशंसा पर इनको राज्य स्तरीय स्वतंत्रता सैनानी समिति से अनुमोदन होने पर 17.08.2000 को इस राजकीय उच्च माध्यमिक नाथडाउ का नामकरण उनके नाम से किया गया

श्री उपाध्यक्ष: किया...?

श्री रामकिशोर मीण (श्रम एवं नियोजन मंत्री): किया गया 2001 में, इस स्कूल का नाम। कुछ समय पश्चात से ही जनप्रतिनिधियों ने और ग्रामवासियों ने यह शिकायत की कि मग्गाराम जी स्वतंत्रता सैनानी तो है लेकिन जिस गांव में यह माध्यमिक विद्यालय स्थित है वहां के कभी यह निवासी नहीं रहे। रिकार्ड के हिसाब से, पुराना जो रिकार्ड बनाया, सरपंच ने जो रिकार्ड दिया उसके हिसाब से उसके राशन कार्ड और यह सब उस पंचायत के बताए गए हैं लेकिन इसकी जब शिकायत की गई तो कलक्टर ने जांच कराई और जांच में यह तथ्य पाया गया कि पुरानी,उस समय की तत्कालीन सरपंच थी उसने भी,यह दिया गया कि मेरे से असत्य तोर पर यह, धोखे से,अनपढ़ होने का फायदा उठाकर विश्वासघात कर मेरे से हस्ताक्षर करवाये गये, इस प्रकार की शिकायत आई। वर्तमान सरपंच ने ग्राम वासियों ने,

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

उपसरपंच ने, जिला परिषद के सदस्यों ने भी यह दिया कि यह कभी इस गांव के नहीं रहे। कलक्टर की जांच में भी यह रिपोर्ट आई है कि यह उस समय भी उस गांव में नहीं रहे। यह मूलतः गोपालपुरा राजस्व ग्राम के मूल निवासी है और वर्तमान में भी उनका परिवार सिरमण्डी औंसिया तहसील में निवास कर रहा है। इसके आधार पर इस प्रकार की बात हमारी समिति के सामने आई 18 तारीख को, मंत्रिमण्डलीय उप समिति, इसकी मीटिंग्थी और उसें इस प्रकार की विराधाभास बातें आने पर इस मामले को पूरी जांच करने के बाद में आगे मीटिंग में रखा जाएगा और इस मामले को स्थगित रखा गया है। अभी तक उनके नाम से नामकरण इस विद्यालय का है और इसकी जांच में जो आयेगा...(व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): एक मिनिट मंत्री जी (व्यवधान) एक मिनिट त्रिवेदी साहब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढा (सिरोही): मंत्री महोदय, मेरे पास उपाध्यक्ष महोदय, 1954 की निर्वाचन नामावली...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मामला विचाराधीन है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मामला विचाराधीन है फिर क्या सुने।

श्री संयम लोढा (सिरोही): विचाराधीन, फिर यह प्रिंसिपल ने चिट्ठी जारी कैसे कर दी। (व्यवधान) मैंने टैबल की है, मैंने लैटर टैबल किया, (व्यवधान) प्रिंसिपल ने चिट्ठी जारी कर दी...

श्री उपाध्यक्ष: कमेटी के सामने आ गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): डाक्यूमेंट बता रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वोटरलिस्ट में नाम पडा हुआ है फिर क्या प्रूफ चाहिए (व्यवधान) हटाने का आदेश कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई शिकायत हुई है उसकी जांच हो रही है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नाम कैसे हट गया फिर।

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों चिट्ठी टैबल की है। एक वह जिसमें मग्गाराम जी का नाम स्कूल में चल रहा है, दूसरी वह चिट्ठी जिसमें मग्गाराम जी का नाम हटा दिया गया और तीसरा स्कूल का फोटो जिसमें मग्गाराम जी का नाम बोर्ड से हटा दिया गया जिस प्रिंसिपल ने (व्यवधान) राज्य सरकार का आदेश नहीं होने के बाद भी।

श्री उपाध्यक्ष: विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): यह दुष्कृत्य किया है सरकार उसको सस्पेंड करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विचाराधीन है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्वतंत्रता सैनानी का अपमान जिस प्रिंसिपल ने किया है सबसे पहले तो आप उसको सस्पेंड करिये इस हाउस के अंदर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढा (सिरोही): आपको राज मिला इसका मतलब यह नहीं देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले लोगों का आप अपमान करते फिरे और उनकी पत्नी को दर-दर की ठोकरें खानी पड़े।

दुर्गा/चौहान 200308 1340 2a

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा, स्वयं ने कि अभी तक सरकार ने फैसला नहीं किया है। आपने खुद ने कहा है। इसका मतलब आज दिन तक उनका नाम होना चाहिए।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हां।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो वह नाम क्यों हटाया प्रिंसिपल ने। यह इश्यू है। जब आप खुद, सरकार मान रही है कि अभी सरकार ने फैसला नहीं किया है तो अभी तक उस स्कूल का नाम वहां होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ने नाम कैसे हटाया, यह मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यह अभी 18 मार्च को उप समिति की बैठक हुई थी। (व्यवधान) इसमें मतलब (व्यवधान) बैठ जाइये, आप बैठ जाइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री महोदय, वह बैठक करें, आपका अधिकार है, वह बैठक का कम्युनिकेशन तो प्रिंसिपल को नहीं हुआ है। और प्रिंसिपल ने बिना उसके कैसे हटा दिया।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इस बात का जो तथ्य है कि उनका नाम हटा दिया गया है, इस प्रकार का मामला अभी आया है। मैं इसकी विस्तृत जांच कराता हूं और जांच करने के बाद मैं जो स्थिति आयेगी, उसकी स्पष्ट आ जायेगी। उसमें कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, मंत्रीजी, आपने बताया कि आज दिन तक सरकार ने उपसमिति की मीटिंग में कोई फैसला नहीं किया है, उसके पहले यदि प्रिंसिपल ने नाम हटाया है और वह मखौल बनाकर यह काम कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, इसकी मैं जांच करा लेता हूं। पूरी जांच करने के बाद मैं जो स्थिति आती है तो उसके आधार पर करेंगे कार्यवाही। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): वह पहले ही नाम हटा दिया, उसका क्या करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, टेबल कर दिया, आफिशियल डाकूमेंट टेबल कर दिये जिसमें नाम हटाया, मोहर से हटाया, स्कूल से हटाया, गेट से हटाया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): फोटो आपके यहां रख दिया, आदेश आपके यहां रख दिये फिर क्यों नहीं कराएंगे। (व्यवधान) आप ऐसे प्रिंसिपल को सस्पेंड करिये जिसके ने यह हिम्मत की कि राज्य सरकार के आदेश के बगैर स्वतंत्रता सेनानी का फोटो हटाया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह सरकार पहल करके निर्णय ले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज ही पर्ची पर, माननीय सदस्य आज ही पर्ची पर यह चीज आई है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): पर्ची पर नहीं। स्थगन प्रस्ताव पर है। सारे डाकूमेंट आपके सामने पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां स्थगन प्रस्ताव पर आया है और जवाब..। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): और एक स्वाधीनता सेनानी के अपमान पर अगर यह सदन आंखें मूंदकर बैठा रहेगा तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता हम में से किसी को माफ नहीं करेगी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कमेटी के द्वारा विचार हो रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): विचार नहीं, कार्यवाही होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने कैसे कर दिया यह। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): विचार क्या हो रहा है। किसका विचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई शिकायत हो गई, उसकी जांच हो रही है। (व्यवधान) ऐसी कौनसी बात हो गई इसकी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह इश्यू नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जांच नहीं हो रही है। अभी तक कमेटी ने (व्यवधान) आप सुनिये एक मिनट, सुनिये पहले, आप फैसला क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्वाचन वोटर लिस्ट की बात की है तो वोटर लिस्ट में नाम...।

श्री संयम लोढा (सिरोही): 1954 की लिस्ट है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप मेरी बात सुनिये। मनमोहनसिंहजी, देश के प्रधान मंत्री....। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, डाक्टरसाहब, डाक्टर साहब। यह मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान) अभी तक सरकार ने...।

श्री संयम लोढा (सिरोही): मेरे पास 12 डाकूमेंट हैं 12, वह नाथडाऊ के निवासी थे, 12 डाकूमेंट हैं। मैं टेबल कर सकता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मनमोहनसिंहजी, जो देश के प्रधान मंत्री हैं, उनका कौनसी वोटर लिस्ट में नाम है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह मेरे घर में है लिस्ट, बता दूंगा मैं। आप बैठो एक मिनट। (व्यवधान) अभी तक मंत्रीजी ने...। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, एक मिनट, संयमजी, रुक जाओ। माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, आप सुनिये, यह कह रहे हैं कि अभी तक जी.ए.डी. डिपार्टमेंट ने फैसला नहीं किया है।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हां।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम यह पूछ रहे हैं कि जब फैसला नहीं किया अभी तक तो उसके पहले यह प्रिंसिपल ने नाम हटाने का दुःसाहस कैसे किया, यह जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे क्या। आप खड़े होकर बोल दें।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हां, मैं जांच कर रहा हूँ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जांच नहीं, जांच करवाकर...।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जांच कराने के बाद मैं, अभी तक हमने नाम नहीं हटाया है, उनके नाम से नामकरण है। और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का दायित्व सरकार का है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और प्रिंसिपल ने हटाया है तो कार्यवाही करेंगे आप?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): विरोध केवल स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के बारे में कहीं नहीं रहा। केवल विरोध इस बात का है कि जिस गांव में इनको इनके नाम से नामकरण किया गया है, उसके आधार पर विरोध आया है। पहले यह हुआ है, उस पंचायत में भी, रजिस्टर में नाम दर्ज है। विरोध आने के बाद में कलक्टर के यहां से पहले के जो तत्कालीन सरपंच ने जो दिया था, उसका राशन कार्ड में नाम लिख दिया था उसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे से गलत तरीके से उसमें दस्तख्त करा लिये थे, उसमें जांच हो गई। उसमें अभी तक हमारे रिकार्ड में वह स्वतंत्रता सेनानी के नाम से स्कूल है और उसमें यदि निर्णय होने से पहले कोई किसी ने कराया है तो उसकी जांच कराकर जो दोषी होगा तो उसको दण्डित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। श्री जीतराम। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षाकर्मी को छह हजार और स्वतंत्रता सेनानी को ढाई हजार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब क्या बीच में इश्यू उठा रहे हैं, आप, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): स्वतंत्रता सेनानी को ढाई हजार और...। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, तो इसमें तकलीफ क्या हो गई। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वतंत्रता सेनानी के नाम से सैकण्डरी स्कूल का नाम किया गया, यह कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सैकण्ड्री तो अब क्रमोन्नत हुआ है यह, पहले नहीं था।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करूँ, एक मिनट। यह नाम किया गया और अब यह शिकायत आई, जन प्रतिनिधियों ने एतराज किया। क्या इस प्रकार से महापुरुषों

के नाम से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जगह-जगह स्कूल हैं, भवन हैं, दूसरे हैं वह, सारे अगर वहां के जन प्रतिनिधि या वहां की जनता विरोध करेगी, कोई शिकायत करेंगे, उन सबके नाम आप बदलने का काम आप कर देंगे क्या। जब ऐसा नहीं कर सकते हैं, आज दीनदयालजी कहां के रहने वाले थे। उनके नाम से कहां-कहां संस्थाएं चल रही हैं। तो इस तरह से गुरु गोलवलकर के नाम से, इन्दिराजी के नाम से, नेहरूजी के नाम से, तो इस तरह से जो आपने बात कही, शिकायत की। शिकायत अब सब तो मेवे के लिये भी राजी नहीं होते। अब सब खुश होना क्या जरूरी है। उस गांव में भी कोई उनके भी ऐसे विरोध हो सकता है, जो यह चाहते हैं कि यह नाम हटे। लेकिन वह स्वतंत्रता सेनानी हैं। सवाल यह नहीं है कि वह चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जब सरकार ने एक बार नामकरण उनके नाम से कर दिया तो फिर उसके बाद में नाम हटाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। फिर आप इस तरह की एक शिकायत आ जाए और उसको लेकर मंत्रिमण्डलीय उपसमिति में, मंत्रिमण्डलीय उप समिति में भी फैसला नहीं हो, उससे पहले ही हटा दिया। (व्यवधान) पहले ही नाम हटा दिया, इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है।

अब मंत्रिमण्डलीय उप समिति में ही आप कहीं गलत फैसला नहीं करें, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से, जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिये अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी अब उस परिवार को कितना कष्ट होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार आप करते हो तो यह ठीक नहीं है। आप इस उप समिति का नाम लेकर ऐसा कृत्य नहीं करें।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय आपने जो मामला उठाया है, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कोई एक दल विशेष से नहीं है। पूरा देश उनका सम्मान करता है और उनको सम्मान देने के लिये ही विद्यालयों के नाम या भवनों के नाम इस प्रकार की करने की एक परम्परा रही है और उसी के तहत सारे नाम होते हैं। इनमें मघारामजी के नाम से यह विद्यालय का नामकरण किया गया, उसका समिति के द्वारा निर्णय किया गया। बाद में शिकायत आने पर जांच की गई। जांच रिपोर्ट भी आई है और 18 मार्च को इसकी पहले से तयशुदा मीटिंग थी, उसमें यह मामला आया। परन्तु इसमें विरोधाभास था इस कारण से इस मामले पर निर्णय नहीं किया गया। इसको आगे के लिये बढ़ाया कि विस्तृत जांच करके और इसमें जो भी मामला आयेगा उसमें सम्मान देने के बारे में किसी को शिकायत नहीं है। शिकायत यह है कि जिस गांव के वे निवासी नहीं हैं, उनका जो नामकरण राशन कार्ड में और उस गांव में नाम लिखाया गया, वह उस गांव के कभी निवासी नहीं रहे, इसके बारे में विवाद है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): यह 14 डाकूमेंट हैं मेरे पास, 14 डाकूमेंट।

श्री उपाध्यक्ष: उन डाकूमेंट की जांच...। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र, निर्वाचन पत्रावली, जिला मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट..।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मतदाता सूची में नाम है जो आपने उसके गांव का नाम... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जांच हो रही है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): दीनदयाल उपाध्याय कौनसे गांव के मतदाता हैं, क्या आपने प्रमाणित करके नाम लिखा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): बी.डी.ओ. का लैटर है। (व्यवधान) उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, 14 डाकूमेंट हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्टेट की हाई कमेटी ने...। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उसमें उसके गांव का होना जरूरी है क्या। (व्यवधान) फिर दीन दयाल उपाध्याय की भी क्या जांच कराकर नाम सही रखेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूसिंहजी राठौड़, उस गांव में रहते हैं। (व्यवधान) उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक जाट के नाम पर स्कूल का नाम कर देना और उन्होंने शिकायत की है यह। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कौनसी मतदाता सूची में नाम था, कौनसे गांव के रहने वाले थे, यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जांच, स्टेट लेवल कमेटी जांच कर रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): भारतीय जनता पार्टी के विधायक शेरगढ़ के, वह इस गांव के रहने वाले हैं। और उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक किसान का नाम एक स्कूल पर लग गया। उन्होंने एक शिकायत करके यह प्रिंसिपल को दबा करके यह नाम चेंज करवाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह कमेटी के सामने रख देना एतराज, अब माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): अगर स्वतंत्रता सेनानी के साथ इस तरीके से होगा तो.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई डिजीजन होगा, माननीय सदस्य, अभी यहां तय थोड़े ही हो रहा है। कमेटी तय करेगी।

श्री संयम लोढा (सिरोही): आपके सामने कागज पडा है। आपके सामने कागज पडा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कमेटी के अन्दर, कमेटी में (व्यवधान) हम कौन-कौनसे मसले यहां पर तय करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं कह दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिलकुल सही-सही बात कह दी कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिये हम सब लोग पक्षधर हैं और यह नाम क्यों हटा। राज्य स्तर की कमेटी में क्यों गया, इस पर विस्तृत जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फिर वही बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर कोई प्रमाण हैं, कोई तथ्य हैं तो मंत्री महोदय को दे देंगे, जांच के अन्दर वह भी सम्मिलित हो जाएगा और इसमें कोई मंशा नहीं है किसी की। इसलिये यह कुछ विषय ऐसे हैं जो सबके लिये, मैं कह दूँ इसको बिना मतलब आगे सनसनीखेज बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जांच कराएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कराएंगे, जांच कराएंगे, पूरी।

श्री उपाध्यक्ष: आपने कह दिया, माननीय सदस्य, आपने कह दिया।

श्री हेमराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, आप जो बात कह रहे हो, मैं उससे अलग। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खुद का गांव जिसका नाम, राजस्व गांव है बायतू भीमजी। बाड़मेर जिले में बायतू भीमजी मेरे गांव का नाम है। उस गांव का चयन दीनदयाल आदर्श गांव और उसमें जो भी विशेष कार्य करवाते जा रहे हैं उसमें 10 प्रतिशत जन सहयोग रखा है। वह 10 प्रतिशत जन सहयोग मैंने दिया है मेरी स्वयं की जेब से, पॉकेट से और दीनदयाल आदर्श गांव के नाम से हम योजना चला रहे हैं।

vns/usc/13.50/20.3.2008/ 2b/1

अब दीनदयाल जी हमारे वहां बायतू भीमजी में कब पैदा हुए? वहां के कहां रहने वाले हैं? तो जब दीनदयाल जी आदर्श ... (व्यवधान) हम एक आदर्श पुरुष, एक महापुरुष के नाम से अगर कोई योजना है उसका विरोध नहीं करना चाहिये। हमने विरोध नहीं किया। हमने जन सहयोग दिया है और आप कह रहे हो कि वह वहां के रहने वाले नहीं हैं जबकि हैं। वह इतने डाकूमेंट पेश कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं है तो उसमें आपत्ति की बात कहां है? विरोध किस बात का? विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। स्वतन्त्रता सेनानी के नाम पर इस प्रकार जो विरोध कर रहे हैं और जो नाम हटाने की कार्यवाही, जिन्होंने कुत्सित कृत्य किया है उनको आप दंडित करें जिससे कि ऐसा दुस्साहस नहीं करें भविष्य में ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे डाकूमेंट दे दिये। सारे कागज पेश कर दिये। फिर भी ... (व्यवधान) मैं धरने पर बैठता हूँ। ... (व्यवधान)

(श्री संयम लोढा, सदस्य, विधान सभा का सदन कूप में धरना)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): प्रमाण एक बार पेश करने के बाद में प्रमाण भी ठीक है कि नहीं वह भी तो करना चाहिये ना। प्रमाण जो प्रस्तुत किये हैं वह भी सही हैं कि नहीं यह भी तो जांच का विषय हो सकता है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, ऐसा करें आप टेलीफोन से डी एफ ओ से पता लगा लें जोधपुर से यह सत्य है कि नहीं। यदि प्रिंसीपल ने नाम हटाया है तो आप वह कार्यवाही करिये। इसमें क्या तकलीफ है आपको ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हो जायेगी जांच। आप कहां इतना क्षणिक क्यों करते हो किसी भी काम को ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा गलत काम किसी ने किया है, जिसने स्वतन्त्रता सेनानी की आत्मा को ठेस पहुंचायी है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका ही डाकूमंट लेकर आये हैं वह। नाम जो हटाया वह तो खुद ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सरकार यदि स्वतन्त्रता सेनानी का सम्मान करना चाहती है तो है कि जिसने कृत्य किया है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। तत्काल एक्शन लेना चाहिये ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मैं निवेदन यूं कर रहा था कल्ला साहब ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, बिराजो आप ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी भी राठौड़ साहब, इसमें दस दिन का क्या है? आज माननीय मंत्रीजी ... (व्यवधान) इसमें क्या तकलीफ है आपको? आप फोन कर लो, घण्टे भर में पता लगा लें कि उस प्रिंसीपल ने बिना सरकार की आज्ञा के यदि हटा दिया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। इसमें क्या तकलीफ है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या जवाब कर रहे हैं कि ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज तक इस सदन के अन्दर ... (व्यवधान) यह क्या हो रहा है। मतलब सदन की कहीं परम्परा बचेगी क्या? ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप यहां आ जाओ। यहां आ जाओ माननीय सदस्य अपने आसन पर आ जाओ ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि प्रतिपक्ष ने सदन को *** बना लिया है। आज तक स्थगन के माध्यम से ... (व्यवधान) एक मिनट। आज तक सदन के माध्यम से ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह क्या *** कर रहे हो ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह क्या बात हो गयी ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बात कर रहे हो, नाटक तो आप कर रहे हो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अपनी गलती तो मानते नहीं और हमें *** बता रहे हैं। आप अपनी गलती तो मानते नहीं ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपसे ज्यादा कोई नाटक कर सकता है? ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या तरीका है ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप स्वतन्त्रता सेनानी का अपमान नहीं कर सकते। जिन्होंने हमें आजादी दिलायी है। जिनका खून पसीना बहा है, जो लोग शहीद हुए हैं देश के अन्दर, उनका अपमान सहन नहीं कर सकते हम।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तो जांच हो जायेगी ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप इतना लाइटली मत लीजिये ... (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): खून पसीना तो सांवरकर जी ने भी बहाया था। उन्होंने क्या देखा देश आजाद होने के बाद में? वीर सांवरकर जी इतना कौल्हू के बैल पर चलकर आए हैं तो क्या आपकी सरकार बनी थी उसके बाद में। खून पसीना कौन नहीं बहाता है। हमारे क्रान्तिवीरों ने बहुत सारा खून पसीना बहाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी साफ-साफ बात है नामान्तरण की बात आयी। स्वीकार किया है सरकार ने कि स्वतन्त्रता सेनानी थे जिनका मान सम्मान हम सब करते हैं। अब उनका नाम किस घटनाचक्र में हटा? हटा कि नहीं हटा इसके लिये जब साफ यह कह दिया कि इसकी तत्काल जांच करवायेंगे और जांच में तथ्यों के आधार पर यह आयेगा नाम गलत हटाया हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उसके अलावा बचता क्या है? उसके बाद भी अब हर मामले के अन्दर कभी वैल में आना, कभी धरना करना, कभी वहीं से जोर-जोर से बोलना, इस सदन की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेवारी तो सबकी है। सत्ता पक्ष की है तो प्रतिपक्ष की भी है। अब थोड़ी देर पहले इन्होंने स्थगन के माध्यम से बात उठायी और कह रहे हैं टेलीफोन से पूछकर अभी कार्यवाही करो। तो मतलब इनके दवाब में आकर जो हमने स्वीकार कर लिया कि जांच करवा रहे हैं तो क्या इतना समय भी नहीं देंगे और सदन में कह रहे हैं जिम्मेवारी से कह रहे हैं जांच करवायेंगे। जांच में दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, यह इश्यु नहीं है ... (व्यवधान)

*** शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो गया ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। आप कन्फर्म कर लीजिये हटाया कि नहीं हटाया। इसमें क्या तकलीफ है? आप जांच किसकी कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक सैकिण्ड, जोशी जी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और उसमें जांच में तथ्य यह होना चाहिये कि फ्रीडम फाइटर का जो नाम रखा है इसमें भी प्री-रिक्वीजिट थी कि यहां का निवासी होना चाहिये तो समझ में आता है जिस बात में भी थी कंडीशन ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सारी बात जांच में आ जायेगी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, जांच में कहां आयेगी। आप नाम हटाने की कार्यवाही भी कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य तथ्य रख रहे हैं। उसकी कापी मैंने रखी है। प्रिंसीपल के साइन हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके श्रीमुख से कोई बात निकले, यह सदन माध्यम बन गया, इसका मतलब यह हो गया ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी अजीब बात हो गयी सदन के एक माननीय सदस्य एक डाकूमेंट रख रहे हैं। प्रिंसीपल के साइन हैं। उसकी जांच हो गयी। स्कूल में फोटो दे रखी है उसके बाद क्या रहता है? आप कन्फर्म नहीं कर सकते? ... (व्यवधान) आपकी सरकार का समझ में नहीं आता है अपनी गलती को मानने की बनिस्पत हम कह रहे हैं दो घण्टे में आप टेलीफोन करके पता लगा लें। फैक्स से सूचना मंगा लें कि सब तथ्य सही हैं कि नहीं है। यह काम भी कर दीजिये आप यदि ... (व्यवधान) आपकी चलेगी क्या ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सहृदयता का परिचय देकर इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सहृदयता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार पूरी आकर्षित हो गयी और हमने कह दिया अगर इसमें कमी खामी रही जांच करवायेंगे। जांच में जिसके खिलाफ कार्यवाही बनती है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जांच कब की? फिर छोड़िये। फिर आता है जांच कब की? ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कार्यवाही करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय जाया करना ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार का एक अधिकारी सरकार के नियम नहीं माने यह सहृदयता हुई है। यह सरकार चल कैसे रही है? एक सरकार के अधिकारी की हिम्मत हो गयी बिना सरकार के फैंसला कर ले इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सरकारी अधिकारी बिना सरकार के फैंसले के फैंसला कर ले इससे सरकार कमतर हो नहीं सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार को मालूम ही नहीं कब हटाया। यह तो सरकार की बड़ी अजीब स्थिति है। आपको तत्काल कहना चाहिये। अधिकारी को सूचना जाए कि सरकार के निर्णय के पहले यदि अधिकारी ने कोई सुओमोटो फैंसला करता है ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यह आपकी गवर्नेंस है? आप गवर्नेंस की बातें करना चाहते हैं। यह बातें हैं वहां पर आपको पता नहीं है (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जांच संयम लोढा की भी हो कि इनके भी क्या हो रहा है। यह भी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार भी कितनी सावधान है कि राजस्थान की सरकार ऐसे चल रही है कि उनके अधिकारी बिना सरकार के ही फैंसला कर रहे हैं। यह तो अजीब स्थिति बनी हुई है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका लम्बा संसदीय जीवन रहा है। आपने उधर बैठकर भी कई बार स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। आज तक अगर कभी हुआ होगा कि स्थगन प्रस्ताव आया, स्थगन प्रस्ताव पर ... (व्यवधान) एक मिनट बैठो तो सही ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): स्वतन्त्रता सेनानी का नामांकन वापस हटाना, इससे बड़ी में समझता हूं संवेदनशील बात हो नहीं सकती। यह साधारण बात नहीं है ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नाम हटे हैं। देश के सम्माननीय हैं ... (व्यवधान) मैं भी धरने पर बैठता हूं।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बना रखा है? यह नयी-नयी परम्पराएं चालू कर रहे हैं ... (व्यवधान) जब सरकार कह रही है वहां जांच करवायेंगे। अगर नाम हटाया है जांच करवायेंगे और नियमों के विपरीत किसी ने नाम हटाया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपको तो देश की आजादी से ... (व्यवधान) इसलिये आप अपमानित करना चाहते हैं ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): स्वतन्त्रता सेनानी का नाम हटाया गया यह राष्ट्रीयता के लिये बहुत खतरनाक है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन-तीन बड़े इम्पोर्टेंट बिल हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जरूरी नहीं है स्थगन प्रस्ताव पर जवाब

दैं। उसके बाद भी हमने देखा कि मामला संवेदनशील है, स्वतन्त्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है, सरकार ने जवाब दिया। मंत्रीजी ने बड़ी साफगोई से सारी घटना का जिक्र भी कर डाला। उसके बाद यह भी कह दिया इसके अन्दर क्योंकि स्वतन्त्रता सेनानी से जुड़ा हुआ ऐसा विषय है जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे सबके लिये सम्मान योग्य हैं। अगर इसके अन्दर कहीं कोई कमी खामी रही, किसी भी स्तर पर रही तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। उसके बाद और क्या चाहते हैं? यह चाहते हैं अभी कोई हाथों हाथ निर्णय हो जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं साक्षी हैं यहां स्थगन प्रस्ताव भी रखा करते थे। यहां पर्ची के माध्यम से भी आया करते थे और यहां लोग उठते नहीं थे। एक व्यक्ति नहीं बोला करता था। यह तो संवेदनशील सरकार है कि सरकार में मामला आया, मंत्रीजी ने उठकर जवाब दिया। इसलिये मेरा निवेदन है प्रतिपक्ष के नेता महोदय ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसी सदन में मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है। शिवचरण जी माथुर ने त्याग पत्र दिया। रामपाल जी उपाध्याय ने त्यागपत्र दिया है। यह सरकार गैर जिम्मेदाराना सरकार है। इनाम देना चाहती है। अच्छा होता कि आप यह कहते ऐसे हैड मास्टर के खिलाफ एक घण्टे में हम कार्यवाही करेंगे। यह फ्रीडम फाइटर की ... (व्यवधान) का सवाल है। यह फिर भी जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि आपकी सरकार की संवेदनशीलता बता रहे हो आप ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं आप? जिस स्थगन पर यह कह दिया सरकार कार्यवाही करेगी और स्वतन्त्रता सेनानी ... (व्यवधान) स्वतन्त्रता सेनानी हमारे सबके सम्माननीय हैं। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष नहीं चाहता आज सदन की कार्यवाही चलाना ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। माननीय मंत्रीजी, सरकार की संवेदनशीलता होती, उसकी गंभीरता को समझकर कहती कि हम कार्यवाही करेंगे और उन्होंने जो आपका विचार है ना यह विचार भी लोकतन्त्र के लिये खतरा है। यह विचार लोकतन्त्र के लिये खतरा है। हमारे लोकतन्त्र के लिये खतरा है। लोकतन्त्र में तो खड़े होकर कहना चाहिये गलती हुई है तो माफी मांगते हैं। यह लोकतन्त्र है। यह राजा के दरबार का राज नहीं कि दरबारी लोग इकट्ठे हो जायेंगे ... (व्यवधान) आपको कहना चाहिये। यह सरकार की संवेदनशीलता है? स्वतन्त्रता सेनानी के प्रति संवेदनशील है? अब कटारिया जी आप जैसा आदमी बैठा हुआ शिक्षा मंत्री रहा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है कि स्वतन्त्रता सेनानी का सम्मान बरकरार रहे। अगर कहीं भी उसमें कमी खामी है तो सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझा कि जिस विषय को मान लिया, अब उसकी इतना कि तुरन्त फैसला करके सुनाओं तो ही राजी रहे। मैं

सोचता हूँ कि इतनी हठधर्मी नहीं होनी चाहिए और अब आपको इतनी जिम्मेदारी से कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है सबका है और इस तरह से एक का अपमान होगा तो भविष्य में पता नहीं कितने अपमानित होंगे? राइट समय पर राइट व्यक्ति उसका निदान कर, गलती जिसने भी की है उसके खिलाफ कार्यवाही हो, यह आप और हम सब चाहते हैं लेकिन इसको इश्यू बनाकर हम अपने समय को अगर ऐसे ही जाया करेंगे, आप कहोगे कि अभी लाओ, हम कहेंगे नहीं लाएंगे इसी में अपना समय निकल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उपयोगी नहीं होगा। आप इस बात को समझकर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जो विषय आज आ रहा है उस पर आपके हमारे कई विचार भिन्नताएं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर सही प्रकार से ऐकेडेमिक डिस्कशन हो और भविष्य में आने वाले लोग हमारी उस बात के आधार पर निर्णय कर सकें तो मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसको अधिक ... (व्यवधान)

Vps-usc-20-03.2008-14.00-2c

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): शाम को सात बजे तक कर दें, आप इसको देख लीजिए। ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसको बांधो मत आप। यह बांधने की प्रक्रिया पड़ी तो फिर हमेशा-हमेशा रोज यही लफड़े चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बड़ी अजीब बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इतना भरोसा तो करना पड़ेगा अगर हम यहां पर कोई आश्वासन देते हैं तो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कटारियाजी, माफी चाहता हूँ, आपको याद है, इसी सदन में आश्वासन दिया था और उसको करने में कितना समय लगा था। पहले ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): गृह मंत्रीजी, मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने जो आश्वासन दिया उस पर भी मैंने ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): किया था हमने क्या बात कर रहे हो आप।। ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन की मैंने ... (व्यवधान) मैंने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन की हाउस में ही पालना की।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कब-कब? कितने दिन बाद, कितने दिन बाद? ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह जरूरी थोड़े ही है कि एकदम ही कर दें ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह आपने कहा, उसके बाद कितनी बार मुख्य मंत्रीजी से एप्रोच करनी पड़ी उस एक आपके आश्वासन को एग्जिक्यूट करने के लिए कितना परशूशन करना पडा? ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसमें समय की कोई सीमा नहीं बांधें। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, किसी को भी आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर किसी के खिलाफ कार्यवाही करना कोई भी न्यायसंगत नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि जो विषय है अपन मान रहे हैं कि अगर जहां भी चूक हुई होगी, जिसकी भी इसमें गलती होगी, इतना कह देने के बाद कोई विषय नहीं रहता है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संयमजी मान लो, क्या बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके बाद भी संयमजी, आपको देना ही है धरना तो आपका क्वार्टर पास में ही है, वहां जाकर आप धरना दे दो, दोनों जने चले जाओ, पास में ही कोई क्वार्टर है, वहां जाकर दे दो।

(श्री संयम लोढा एवं डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा धरना समाप्त)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी, रायपुर में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इसमें चर्चा बंद करो आप। माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरकार ने कलक्टर की लापरवाही को, इसी सदन में सस्पेंड किया था, ऐसे उदाहरण तो है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गयी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप सम्मान करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी फैसला करके उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात। श्री जुबेर खान। राज्य में आरा मशीनों का नियमानुसार स्थानांतरण एवं हस्तांतरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य में आरा मशीनों का नियमानुसार स्थानांतरण एवं हस्तांतरण न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लम्बे समय से एक मांग चली आ रही है कि आरा मशीनों के मालिकों को जिस तरह से इस सरकार की लापरवाही से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, मैं उस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वन विभाग के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट ने यह सेण्ट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने गठित की है, उसको एक पत्र लिखा 28 जून, 2000 को। वहां के मैम्बर सैक्रेटरी को पत्र लिखा कि जो हमारे राजस्थान में जो आरा मशीनों के मालिक अपने आरा मशीन का स्थान परिवर्तन करना चाहता है या उसको बेचकर या किसी तरह से इसका हस्तांतरण करना चाहते हैं, उसके संबंध में गाइड लाइंस मांगी गयी क्योंकि यह जो सी.ई.सी. है, सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अनिवार्य हो गया कि इस सी.ई.सी. की अनुमति के बगैर इस संबंध में न कोई आरा मशीन लग सकती है और न उनका स्थानांतरण हो सकता। उस लैटर के जवाब में वहां से एक चिट्ठी आयी। The Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan Forests Department, Jaipur. 18 जुलाई, 2006 को, जिसमें लिखा, Subject: - Clarification regarding permission for shifting of saw mills from one place to another within the State and cases involving the transfer of license from one person to another. उसमें साफ लिखा है उन्होंने। "Please refer to your letter No. 5534 dated 28th June, 2006 on the above subject. In response of relocation of saw mills/transfer of the saw mill license following decision have been taken by the CEC: Relocation of saw mills from one place to another place by the same owner may be permitted in individual cases by the Rajasthan Forest Department without seeking the specific approval of the Central Empowered Committee subject to the following;..." इसमें कुछ राइडर लगाये हैं कि कौनसी जगह पर, कहीं मान लीजिए कहीं अनापत्ति लेनी पड़ेगी, मैं आपका समय ज्यादा जाया नहीं करना चाहता लेकिन यह देखिये कि 18 जुलाई, 2007 से आज 2008 आ गया। एक भी आवेदक का ट्रांसफर नहीं किया गया है। उसको जगह बदलने की परमिशन नहीं दी गयी है। उसको हस्तांतरण करने की परमिशन नहीं दी गयी है और दूसरी तरफ देखिये हरियाणा ने, हरियाणा ने अपना केस प्लीड किया सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी के लिए और सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 2 फरवरी, 2007 को जो बैठक हुई उसमें हरियाणा को सारा, ईवन कि नयी मशीनें लगाने की भी अनुमति दे दी तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गत वर्ष जनवरी में मैंने एक सवाल लगाया था। क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सेण्ट्रल एम्पावरमेंट कमेटी द्वारा राज्य के आरा मशीनों के स्थानांतरण एवं हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो स्पष्ट करें। जवाब है- जी, हां। सेण्ट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के पत्रांक-2,7 दिनांक 18.7.2006 द्वारा राज्य में आरा मशीनों के स्थान परिवर्तन, हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार को मार्गदर्शन दिया है। पत्र की प्रति संलग्न है। उसके बाद मैं क्या यह भी सही है कि सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों पर किसी प्रकार का विचार किया जा रहा है? उत्तर- जी, हां। सेण्ट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के द्वारा आरा मशीन स्थान परिवर्तन के संबंध में उनके पत्र क्रमांक फलां-फलां, दिनांक 18.7.2006 द्वारा दिये गये निर्देश

के क्रम में राज्य में आरा मशीनें स्थान परिवर्तन के प्रकरणों पर शीघ्रता से विचार कर निस्तारण किया जा रहा है। यह जवाब दिया 9.1.2007 को। आज हो गयी 20.3.2008, आज तक इस विभाग ने एक भी आवेदन पर कार्यवाही नहीं की। लोग जगह-जगह मारे फिर रहे हैं। घूमे फिर रहे हैं। एक तरफ तो अवैध प्रकरण के यहां मामले आते हैं। जब हम आते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से दिल्ली, जयपुर के लिए आते हैं, सरिस्का से लाइन लगी रहती है। यह लकड़ी काटकर ले जाने वालों की मेन मुख्य सड़क पर। वहां यह कुछ नहीं करें और जो सेप्ट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के निर्देश के बावजूद, नियमानुसार आवेदकों के लोगों के स्थानांतरण है उनको शिफ्ट नहीं करने दें, उनको हस्तांतरण नहीं करने दें, यह कहां की हठधर्मी है इस सरकार की? आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान लोगों को हो रहा है। हरियाणा कर रहा है। पंजाब कर रहा है और राजस्थान में उनको अनुमति नहीं मिले। नये लाइसेंस नहीं देने हैं तो मत दीजिए लेकिन कम से कम कोई आदमी 2002 से पहले का जिनको लाइसेंस मिला पडा है अगर वह स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई बेचान करना चाहता है या कोई पार्टनर विद्-ड्रा करना चाहता है या किसी की डेथ हो गयी है तो उसके आश्रितों के नाम स्थानांतरण होना चाहते हैं तो उसको तो अलाऊ करिये मंत्री सरकार। यह सरकार जिस तरह मूकदर्शक, संवेदनहीनता, आंख बंद करके बैठी है और खास तौर से वन विभाग, इसका अन्दाजा इन बातों से लगाया जा सकता है कि यह डेढ-डेढ साल बाद भी एक भी आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर अपना पक्ष रखें कि कब तक जिन लोगों ने आवेदन किये हैं, उनके स्थानांतरण और हस्तांतरण नियमानुसार और सी.ई.सी. के निर्देश से कर दिये जाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आरा मशीनों की परमिशन नहीं मिल रही है, इस मामले में यहां पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं उसके मामले में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में वर्तमान में 4523 बड़ी आरा मशीनें लाइसेंसशुदा हैं जो अभी वर्क कर रही हैं। दिनांक 30.10.2002 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बड़ी आरा मशीनों के लाइसेंस जारी नहीं किये जा रहे हैं। हैंडिक्राफ्ट के लिए छोटी आरा मशीनों, जिनकी 24 इंच तक की वह हो सकती है, उनको लाइसेंस दिये जा रहे हैं। अब तक 1236 ऐसे लाइसेंस जारी किये गये हैं। सी.ई.सी. के दिशा-निर्देशानुसार लाइसेंसशुदा आरा मशीन, जिसमें मालिक का नाम यथावत रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की स्वीकृति दी जा रही है तथा इसी क्रम में 100 मामलों में ट्रांसफर की स्वीकृति दी जा चुकी है। हस्तांतरण के मामलों में जिसमें विक्रय, उत्तराधिकारी, सम्पत्ति का विभाजन आदि मालिकाना हक में परिवर्तन है, वर्तमान में नियमों में प्रावधान न होने से 1983 के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं।

spp/usc/20.3.2008/14.10/2d

कि जनवरी, 2008 में सीईसी को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। माननीय सदस्य ने 18.7.2006 के पत्र का भी जिक्र किया। मैं इस मामले में आपको निवेदन करना चाहूंगा 15 जनवरी, 2008 द्वारा पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास विचाराधीन है। दिनांक 25 जुलाई, 2006 के दिशा-निर्देश के अनुसार लाइसेंसशुदा आरा मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिए मालिक का नाम यथावत रखते हुए 393 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिस स्थान से आरा मशीन का स्थानान्तरण किया जाता है, जिस स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है, उन दोनों संबंधित जिला वन अधिकारी से सहमति तथा टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। प्राप्त प्रस्तावों में 100 आरा मशीनों का स्थानान्तरण करने के आदेश परीक्षणोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दे दिये गये हैं। शेष 393 से (व्यवधान)..

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कौनसी तारीख को यह आदेश दिये हैं मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वन एवं पर्यावरण मंत्री): एक मिनट बता दूंगा। शेष 393 में से स्थानान्तरण योग्य नहीं पाये गये 13 प्रकरण निरस्त कर दिये गये हैं। 190 ऐसे प्रस्ताव, जो किसी कारण से अपूर्ण हैं, उसकी आवश्यक पूर्ति हेतु ऐसे प्रस्तावों को आवेदकों को या संबंधित उन अधिकारियों को लौटा दिये गये हैं। प्रधान वन संरक्षक कार्यालय में शेष बचे 36 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनके लिये शीघ्र परीक्षणोपरान्त निर्णय ले लिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा और माननीय सदस्य को भी यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह जो 26 प्रकरण हैं इनका हम विद् इन ए एट डेज इनका निस्तारण कर देंगे। 190 मामले जो अभी बताये हैं, जो आवेदक या हमारे सक्षम अधिकारी डी एफ ओ, जहां भी पेंडिंग हैं, उनको भी एक माह के अंदर अंदर उनका भी निस्तारण गुणावगुण-दोष के आधार पर कर देंगे। हमारी सरकार को, किसी को भी परेशान करने की इच्छा नहीं है। नियमानुसार जो भी अपनी कार्यवाही फुलफील कर लेगा, उसको इस मशीन का लाइसेंस दे दिया जायेगा। इस प्रकार का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने अन्तिम कौनसी तारीख को स्थानान्तरण की स्वीकृति दी है। आपने कहा है 100 कुछ को हमने स्वीकृति दी है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह आरा मशीन स्थानान्तरण करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह लकड़ियों के पीछे चलती है, जहां जहां जंगल का सफाया हो गया, वहां नहीं लगकर दूसरी जगह आरे आगे चले जा रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी आरा मशीन को शिफ्ट करने की बात है वह सी ई सी की गाइड लाइन के अनुसार ही उनको परमिशन देते हैं। जुलाई, 2006 से अब तक चूंकि अलग अलग तारीख को सैंक्शन हुई है, एक साथ तो सैंक्शन हुई नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक तारीख बताना मैं समझता हूं अभी एक एक का मेरे पास मौजूद भी नहीं है, पर मेरे पास इतनी जो जानकारी मौजूद है, उसके

अनुसार मैं आपको कह सकता हूँ कि जुलाई, 2006 से अब तक 100 आरा मशीनों का स्थानान्तरण करने की अनुमति दी है और मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि जो भी अभी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उनका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र मैंने समय भी आपको बता दिया है, उसमें कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ० बुलाकीदास कल्ला। (व्यवधान)... माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप आरा मशीन को परमिशन दोगे उसमें यह भी लिखोगे कि राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी नहीं काटी जाये। यह एक क्लॉज डाल दीजिये आप। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह नियमों में हो गया।

एक माननीय सदस्य: पहले से ही है यह।

रामपुरा कच्ची बस्ती पूगल रोड (बीकानेर) में 90 लोगों के मकानों को तोड़ा जाना

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामपुरा कच्ची बस्ती, जो लालगढ़ रेल्वे स्टेशन और रामपुरा के बीच में पूगल रोड पर बाई पास पर स्थित जमीन पर 1954-55 से लोग कब्जा-काश्त हैं, वहां 90 लोगों ने कृषि भूमि खरीदकर अपना आशियाना बनाया और उनको बिना नोटिस दिये रविवार, 9 मार्च, 2008 को सवेरे-सवेरे लोग अपने घरों में सो रहे थे, वहां जाकर उनके मकानों को तोड़ा गया और इन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, टेलीफोन के कनेक्शन हैं और बरसों से वहां रह रहे हैं। ऐसे लोगों को बिना नोटिस दिये, उनको अपने सामान को निकाले बगैर उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया और इसी कारण, उपाध्यक्ष महोदय, वहां जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपये के माल का नुकसान हुआ। बहुत-से लोग बिना छत के हो गये। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि इस रामपुरा बस्ती में ओ.बी.सी., माइनोरिटी, शिड्युल्ड कास्ट और सभी वर्गों के लोग वहां रह रहे थे, उनको आपने अतिक्रमी मानकर आपने बेदखल कर दिया। वह अतिक्रमी नहीं हैं। उनके पास कृषि भूमि के पट्टे हैं और उनके पास पानी-बिजली के सरकार द्वारा दिये हुए कनेक्शन हैं, फिर उनको आपने किस आधार पर बेदखल किया? क्या आप उनको उचित मुआवजा देंगे? मैं आपको भी नाम लेकर बताना चाहूंगा कि इन लोगों की वहां जमीनें हैं। 1954-55 से कब्जा काश्त रिकार्ड में है। नाम हैं- लाला वल्द सालगा, केवल वल्द लाल, चम्पालाल वल्द सुगना, हीरालाल वल्द सुगना और ऐसे 90 व्यक्तियों की मेरे पास सूची है, जिनकी कृषि भूमियों पर अपने मकान बनाये हुए थे और इसी कारण वहां पर लाइप लाइन और नालियों का पानी मिक्स हुआ टूटकर और उसी कारण से 500 से अधिक आदमी वहां पर बीमार हो गये और आज भी बीमार व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्या इनको मुआवजा देंगे और प्रभावशाली लोगों को जो इससे पहले रेल्वे लाइन के

पहले करीब 130 फीट के पास में थे, उनको छोड़ दिया गया। यह भेदभाव क्यों किया गया? इसके अलावा करणी माता का जो मंदिर है, वह निश्चित रूप से वहां स्थानीय लोगों ने बचाया है। वहां पर नालियों की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है। उनको बचाने के लिये क्या करेंगे? इसके साथ साथ आप क्या मुआवजा देंगे और इनको पुनः बसाने के लिए आप कोई, मान लीजिये आपने पब्लिक परपज के लिए उनको बेदखल किया है तो उनको नोटिस देना चाहिये था। बिना नोटिस के इस प्रकार की आइन्दा कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को आप, जिनको बेदखल किया गया है, क्या आप उचित भूमि देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो गजनेर रेलवे ओवर ब्रिज है, जो आर यू आई डी पी बना रही है और यह बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या थी ओवर ब्रिज की और यह जो अतिक्रमी थे, यह रामपुरा कच्ची बस्ती के अतिक्रमी हैं और यह बसते-बसते मास्टर प्लान में 100 फीट रोड दर्शाई गई है, उसके ऊपर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि जब ओवर ब्रिज बनाना है और दूसरा कोई ... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, मैं आपको करेक्ट कर दूँ। माननीय मंत्रीजी को साइट का पता नहीं है। यह गजनेर रोड एम.एस.कालेज पर है। आप कभी गये होंगे, वहां पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यह पूंगल रोड और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बाईं पास के बीच की जमीन, आप गलतबयानी कर रहे हैं। ..(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी बात पूरी सुन लीजिये पहले। .. (व्यवधान).... आप पहले पूरी बात सुन लीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जहां रोड और ओवर ब्रिज बन रहा है, वहां कब्जा नहीं टूटा, वहां कोई कब्जे हैं ही नहीं और यह जो जमीन है, कृषि भूमि है, जहां आप साइट बता रहे हो, वह शहरी भूमि है।

(बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान).. उसके बाद मैं कुछ बोलिये। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि वह मास्टर प्लान में 100 फीट रोड थी और रेलवे लाइन के इधर ट्रेफिक डाइवर्ट करने के लिए उस रोड को निकालना यह आवश्यक था। इसलिए 6 महीने पहले इन अतिक्रमियों को सूचित किया गया था और जो मकान बने हुए थे, उनको लाल रंग लगाकर चिह्नित भी किया था कि यह-यह मकान टूटेंगे और यह बाउण्ड्री टूटेगी और यह कच्चे बाड़े टूटेंगे। 6 महीने तक इनका इन्तजार किया, फिर भी सात दिन पहले, तोड़ने के पहले उनको और निवेदन कर दिया था कि आप लोग सुओमोटो अपने स्तर पर हटा लीजिये वरना यह रोड निकलेगी, क्योंकि दूसरी तरफ ट्रेफिक डाइवर्ट करने का कोई रास्ता था नहीं,

इसलिए इस रोड को निकालने के लिए, माननीय सभापति महोदय, वह 3-4 मकान टूटे हैं और 10-15 के आधे-अधूरे मकान टूटे हैं और करीब 30-40-50 जनों के किसी की कोई बाउण्ड्री टूटी है, किसी का झूपा बना हुआ था, झूपा टूटा है।

Msr/usc/1420/2e/20032008/1

परन्तु वो रोड निकालना आवश्यक था इसलिए इस प्रकार से उनको अतिक्रमण को हटाया है।

जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके कृषि भूमि है, कृषि भूमि के पट्टे हैं, उनके पास बिजली के बिल हैं, उनके पास पानी के बिल हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर उनके पट्टे हैं और डेलीबरेटली, जानबूझकर के उनको नुकसान पहुंचाने की, नियमों के खिलाफ जाकर के तोड़ा है तो मैं जांच कराऊंगा और जांच करवा कर के उसमें कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा परन्तु अगर अतिक्रमण है और रास्ता निकालना बहुत जरूरी था और आपकी खुद की समस्या है और कई वर्षों से समस्या है इसलिए उस अतिक्रमण को हटा कर के यह रास्ता करना था। यह बात थी। धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अतिक्रमण तो, माननीय मंत्रीजी, है ही नहीं वो। आपने पब्लिक परपज के लिए उसको तोड़ा है और यह जो साइट है यह अपने पूगल रोड के ऊपर जो रेलवे फाटक आता है उसकी है, गजनेर रोड के ऊपर कोई तोड़-फोड़ की ही नहीं है। मैं तो बीकानेर का रहने वाला हूँ, मौका देख कर आया हूँ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गजनेर रोड पर आर.ओ.बी. बन रहा है, यह ध्यान है न?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो वहां पर कोई तोड़-फोड़ हुई ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए ट्रैफिक बढ़ा है। यही मंत्रीजी कह रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): मैं यही तो कह रहा हूँ, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, नहीं, आपको भी मालूम नहीं है, पी.डब्ल्यू.डी; मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गजनेर रोड पर आर.ओ.बी. बनने के कारण एन.एच. 15 को एक बार ... (व्यवधान) ... बंद करना पड़ेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह कारण नहीं है। रेलवे अपना बाईपास बना रही है इसलिए आपने अतिक्रमण हटाये हैं, महाराज। अब बारबार, आपको पता ही नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है कि दोनों योग्य मंत्री होते हुए भी आपको पता नहीं है कि साइट क्या है और किसलिए उनको बेदखल किया गया। उनके पास एग्रीकल्चर के पट्टे हैं, आप तो केवल इतना

आश्वासन दे दें कि एग्रीकल्चर का जो पट्टा है और जिसको बेदखल किया गया है उनको उतनी जमीन दूसरी दी जायेगी?

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): जो तीन-चार मकान टूटे हैं उनको ई.डब्ल्यू.एस. में या घरोंदा में, कोई यू.आई.टी. की जो स्कीम होगी उनके अन्दर उन तीन-चार जनों के मकान टूटे हैं उनको व्यवस्था करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 90 मकान टूटे हैं, मेरे पास सूची है, 90 मकान।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): 90 मकान नहीं टूटे हैं, तीन-चार मकान टूटे हैं। 15-16 के ... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तो कह दो जो टूटे हैं उनको दिया जायेगा और जिनके पास कृषि भूमि का पट्टा है उनको दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): मैंने आपको क्या कहा कि अगर पट्टा शुदा है उनको तो देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): पट्टा शुदा नहीं हैं तो अतिक्रमी होंगे, अतिक्रमी होंगे तो अतिक्रमी ... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पट्टा शुदा नहीं हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास कृषि भूमि का पट्टा है उनको आप जमीन देंगे। ... (व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जिनके पास पट्टे हैं, जिनके बिजली के कनेक्शन हैं ... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक भी पट्टा नहीं है। एक भी मकान पट्टा शुदा नहीं है अतिक्रमण है, सारा दिखवा लिया।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): अतिक्रमी हैं तो नहीं दिया जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कृषि भूमि पर कब्जा काशत है, मेरे पास यह नक्शे पड़े हुए हैं। कृषि भूमि है और कृषि भूमि विक्रय की हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकारी जमीन पर कब्जा है, सरकारी जमीन है यह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कृषि भूमि 1954-55 से कब्जा काशत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकारी जमीन है यह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं है, कब्जा काशत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसी के नाम से नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कब्जा काशत है, कृषि भूमि क्रय कर के मकान बनाये हुए हैं।

श्री सभापति: श्रीमती राजकुमारी शर्मा, नगर परिषद में सफाई नहीं होने तथा सफाई कर्मचारियों की कमी के सम्बन्ध में।

सीकर शहर की सफाई व्यवस्था खराब होना

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं सीकर शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहती हूँ। सीकर शहर काफी बड़ा हो गया है और इसमें जगह-जगह कॉलोनियां बन गयीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे यहां सफाई हो, मेरे यहां नाली हो, मेरे यहां सड़क हो, बिजली के खम्भे हों। यह नगर परिषद में आज तक हमारा बोर्ड कभी बना नहीं है। सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं जबकि सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां तो हैं 397 और मेरे यहां लगे हैं 197, 128 नियुक्तियों की कमी है, सॉरी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी 325 स्वीकृत हैं पद तो और 197 लगे हुए हैं और 128 की कमी है इसलिए मैं चाहूंगी कि 128 की पूर्ति तो हो नहीं सकती है, कहीं गधा गाड़ी लगा कर के कोई और वैसे वार्डों में जाकर उनकी सफाई की व्यवस्था की जाती है और 45 वार्ड हैं तो उनमें 45 वार्डों में एक-एक जब गधा गाड़ी जाती है तो उनसे यह कचरा उठता नहीं है इसलिए काफी दिनों से यह समस्या ऐसी बनी हुई है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगी कि 128 पद रिक्त हैं तो काफी दिनों से रोक भी लगी हुई है और सरकार भर्ती कर दे, 128 कर्मचारियों की नियुक्ति कर दे, हमारे सफाई कर्मचारी चाहते भी हैं, बहुत दिनों से रोक थी और हमारी सरकार जब से आयी है तब से हर व्यक्ति को कभी शिक्षा में, कभी जे.ई.एन. को, एक हमारे जे.ई.एन. की बहुत कमी है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जे.ई.एन. की तो शीघ्रतिशीघ्र भर्ती कीजिए और सफाई कर्मचारी की यदि भर्ती पर रोक है और भर्ती नहीं होती तो किसी ओर जैसे, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि किसी ओर से जैसे कि संविदा से लीजिए या किसी ठेके से लीजिए, कैसे भी हो लेकिन सफाई कर्मचारी हो। वैसे हमारे नगर परिषद के तीन ट्रेक्टर हैं और 10 ट्रेक्टर ठेके से लिये हैं, वो भी बहुत कम हैं।

सभापति महोदय, 1963 में जब हमारे नगर परिषद बनी थी तब से आज तक उसकी सफाई नहीं हुई है। जो बड़े नाले थे वो बिलकुल चोक हो गये हैं और नयी ऐसी कोई सफाई की मशीन वहां पर हो कि वो सफाई कर दे। बरसात के दिनों में भी सफाई नहीं हुई है इसलिए उन नालों की या तो सफाई करवायी जाए या फिर वो जो जाम हो गये हैं, उनको निकलवा कर नये लगवाये जाएं। मैं, आपके माध्यम से आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ, कुछ वक्तव्य चाहती हूँ। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्या ने सीकर की सफाई व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, इनका कहना बिलकुल सही है कि 128 पद सफाई कर्मचारियों के खाली हैं। 45 वार्ड हैं, सभापति महोदय, और इनमें जो 197 कर्मचारी कार्यरत हैं वो सफाई

व्यवस्था कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। कचरा परिवहन ठेके पर दे रखा है और उस पर वार्षिक 73 लाख रुपये का खर्चा आता है और इसके अलावा परिषद की सफाई व्यवस्था हेतु साल में चार करोड़ 72 लाख व्यय किया जाता है। कचरा परिवहन अलग से है और सफाई व्यवस्था वार्षिक चार लाख 72 हजार व्यय करती है और इसके अलावा जो आप कह रही हैं कि मशीन खरीदने के लिए तो कण्टेनर अभी 44.56 लाख का बारहवें वित्त आयोग से पैसा आया है उसमें खरीद लिया गया है।

इसके अलावा जो भी व्यवस्था की जा सकती है वो व्यवस्था नगर परिषद कर रही है और अभी सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में जिक्र किया है अभी वित्त विभाग से रोक है जब यह वित्त विभाग से रोक हटेगी तब कोई न कोई व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आदरणीय मंत्री महोदयजी, एक जे.ई.एन. तो आप लगा ही दीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं, वो आज तक अपना बोर्ड तो रहा नहीं 1963 से लेकर और वो अपने ही आदमियों को देते हैं, जो कचरे का अलग से दिया हुआ है, वो अपने ही आदमियों को देते हैं और अपने ही आदमियों से सफाई कराते हैं तो उसकी कुछ जांच करवा कर आप और किन्हीं अच्छे व्यक्तियों को दीजिए या ऐसा कोई संविधान बनाइये जिससे कुछ पर्चों के माध्यम से या ऐसे भर्ती हों, कोई अच्छे लोग आ कर इसमें सफाई करें। सीकर शहर बहुत बढ़ गया है और नालियों की व्यवस्था कीजिए क्योंकि अर्थ का अभाव है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने जो जे.ई.एन. का जिक्र किया तो आप मुझे बता देंगे उसके आधार पर व्यवस्था कर दी जायेगी और अभी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु तीन करोड़ रुपये की ए.डी.बी. द्वारा आर.यू.आई.डी.पी. को दिया गया है तो उसमें जो भी सफाई की है, सिवरेज की उनकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर शहर के जर्जर सरकारी स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार एवं उन्हें आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित करने के सम्बन्ध में।

जोधपुर शहर की स्कूलों की मरम्मत बाबत

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, अभी काफी देर से यहां सदन के अन्दर स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर चर्चा हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सामने जो विराजमान हैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि जय नारायणजी व्यास चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के, उनको गुजरे हुए कितने अर्से के बाद जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम किया गया, यह इनसे जरा आप जानकारी लेते। मैं यह कभी बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलती हूं, मैं सबकी सुनती रहती हूं। जब भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार आयी 1990 के अन्दर जब मैंने एक सवाल लगाया, मेरे साथ राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ भी थे, डा. बुलाकीदासजी कल्ला भी थे और सारे यह थे।

Ars/usc/1430/2f/20032008/1

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज नामकरण जोधपुर विश्वविद्यालय का जयनारायण जी व्यास के नाम पर किया गया, वह भैरोंसिंह जी की सरकार ने किया, आपने 26-27 साल तक क्या किया? आप स्वतंत्रता सैनानियों की बात कर रहे हैं, क्या जयनारायण व्यास स्वतंत्रता सैनानी नहीं थे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने कर दिया था जीजी, हमने कर दिया था लेकिन वह दिल्ली में रुका हुआ ..

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): एक मिनट कल्ला साहब, मैंने आपको यह कहा है, मैं बोलूँ आप सुनो। आप बोलते हो मैं सुनती हूँ, मेरे बीच में मत बोलो। मैं आपसे यह जानकारी चाहती हूँ उस विश्वविद्यालय का नाम कब हुआ, आपने भले ही कागजों के अन्दर कुछ भी किया होगा मगर हुआ भैरोंसिंह जी की सरकार में, बी जे पी की सरकार में, आप खाली कागजों में कर देते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और आपकी मांग पर, मुझे याद है जब आपने मांग की थी और आप नहीं चाहते थे वह भी जीजी की मांग पर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): और पहला प्रश्न लगा। भगवान की कृपा ऐसी है मेरे ऊपर कि मेरा पहला प्रश्न वह लगा और उसको भैरोंसिंह जी ने माना और आपने, यहां तक मैं कहूंगी अगर सही हूँ तो, आपने तो टेबल तक भी नहीं बजाई, यह मेरा दावा है। मैं आपको कहती हूँ आपने किसी ने खुशी जाहिर नहीं की थी। जय नारायण जी व्यास स्वतंत्रता सैनानी नहीं थे?

श्री सभापति: आप माननीय सदस्या, आप अपने विषय पर आ जाओ, आपको जो बात कहनी थी वह आपने कह दी, अब आपका वास्तविक जो विषय है उस पर पधार आओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति: आपका विषय स्कूलों से संबंधित है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): शिक्षा की बात है, वह भी मास्टर थे।

श्री सभापति: आपका पर्ची का विषय स्कूलों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, भवन के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है। आप पर्ची पर आ जाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): सभापति महोदय, वह मास्टर थे, उनको मास्टर साहब के नाम से जाना जाता था और शिक्षा से संबंधित यह बात है और वह स्वतंत्रता सैनानी थे, यह स्वतंत्रता सैनानियों की दुहाई दे रहे हैं इसलिए कहा है। स्वतंत्रता सैनानियों का क्यों नहीं सम्मान करेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगी, आपने कुछ नहीं किया अभी और कल्ला साहब बोलेंगे। मैं यह बताना चाहूंगी आज जालौरी गेट स्कूल किसके नाम पर है छगनराज जी चौपासनी वालों के नाम पर, यह हमारी मांग के ऊपर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी ने किया है। आज भी विद्यासाल स्कल बंसीधर जी पुरोहित के नाम है,

में इनको कितने क्या क्या बताऊं, आज भी हुसैन मण्डी का नाम आप, जहां मैं बताऊं वह सब स्वतंत्रता सैनानियों के हैं।

आपने क्या किया है वह आपका मन जानता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं मेरे विषय पर आ रही हूँ ... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं बताऊंगी आपको इन्होंने तो पुराना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसी सरकार ने महाराजा उम्मेद सिंह जी के नाम पर किया। इस सरकार की तो मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है। पर ज्यादा राज तो इन्होंने किया है। अब मैं मेरे मुद्दे पर आ रही हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी जोधपुर शहर के अन्दर स्टेट के टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम के अन्दर स्कूलें बनी हुई थीं उसमें राजमहल स्कूल है, फतेहपोल स्कूल है, न्यू गवर्नमेंट स्कूल है, जालौरी गेट स्कूल है, हुसैन मण्डी स्कूल है, पोटवाली है, विद्यासाल है, महिला बाग है, महात्मा गांधी स्कूल हैं। ऐसी कई स्कूलें, एक एक स्कूलों के नाम दूँ तो बहुत से सरकारी स्कूल हैं। अब उन स्कूलों की आज तक कोई भी देखभाल नहीं की और यह सरकार आयी तो कुछ पैसे भी दिये और सबसे बड़ी बात है मैं पूर्व मंत्री रहे घनश्याम जी तिवाड़ी को धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने एक एक स्कूल को जाकर देखा और देखने के बाद मुख्यमंत्री जी ने काफी कुछ पैसा रिलीज किया, वह रिलीज हुआ मगर ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हुआ। क्योंकि बहुत पुरानी स्कूलें हैं और आज तक उनकी देखभाल नहीं हुई। फिर भी काफी कुछ मरम्मत हुई और इन्होंने एक एक स्कूल को देखा कि स्कूल की क्या स्थिति है।

अब प्रजेण्ट मंत्री जी हैं कालीचरण जी सराफ, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह चाहूंगी कि एक तो इन स्कूलों का और भी सुधार होना चाहिए और दूसरी काम की बात बताऊं, प्राइवेट घरों के अन्दर जो स्कूलें चल रही हैं उन स्कूलों की यह हालत है कि वह प्राइवेट घरों में चल रही हैं स्कूलें तो वह क्यों ठीक करायेंगे, उनको क्या किराया मिलता है किसी का पचास रुपये किसी का चालीस है, वह कराते नहीं हैं और वर्षों से वह स्कूलें चल रही हैं।

तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि एक तो प्राइवेट स्कूलें जहां जहां चल रही हैं उनको सरकारी स्कूलें इतनी बड़ी बड़ी हैं उनके अन्दर उनका समायोजन कर दें, उसका समायोजन करने से क्या होगा कि बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, आने वाले जो भावी हैं, हम चाहेंगे कि वह अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से कुछ करें। आपने काफी कुछ किया है।

अब दूसरी बात मेरी यह है कि जहां जहां अधिकारी हैं उनके काफी पद खाली पड़े हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक एक को पढ़कर बता दूँ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पता है, कोई जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही बता देना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, जैसे राजमहल स्कूल है अब उसके अन्दर कई ऐसे विषय हैं, अंग्रेजी का है, साहित्य विद्या है, गृह कला है, ऐसे कई पड़े हैं उसकी स्वीकृति दें ताकि वहां लड़कियों की ज्यादा संख्या हो सके क्योंकि अगर सब्जैक्ट नहीं होंगे तो वहां पर टीचर की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह खोलने की जरूरत है। यह खोल दें तो वहां पर व्यवस्था हो जाएगी।

दूसरा सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दो बात और कहना चाहूंगी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से इन स्कूलों को ठीक कराने के लिए अगर कुछ धनराशि स्वीकृत की जाए, चाहे स्वायत्त शासन मंत्री जी करें, चाहे नगर सुधार न्यास जोधपुर करे, चाहे सरकार करे और हम भी उनमें पूरा सहयोग देंगे। ताकि पुराने जो प्राइवेट मकानों की स्कूलें हैं वहां पर क्लासें खुलें और वहां पर जाएं और इसके अन्दर पूरा हम भी सहयोग करेंगे।

मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि मंत्री जी इसके ऊपर कुछ अपना वक्तव्य दें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही है मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2006-07 में 78 लाख 72 हजार रुपये सैंक्शन किये थे आपके स्कूलों की मरम्मत के लिए, तिरपन लाख रुपये उसमें से खर्च हो गये हैं और बाकी फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है। इसी प्रकार से प्राथमिक और यू पी एस जो स्कूलें हैं उनके लिए 24 लाख 75 हजार रुपये स्वीकृत हुए थे और पी डब्ल्यू डी के माध्यम से वहां भी मरम्मत का काम चलाया जा रहा है।

पर यह बात सही है कि वहां स्कूलों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, पुरानी स्कूलें हैं तो मैं भी स्वायत्त शासन मंत्री जी से बात करूंगा और यू आई टी के चेयरमैन से भी बात करूंगा और अधिक पैसा मिले....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरे से भी बात करूंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाय और आपकी सब स्कूलें बढ़िया हो जाएं इस बात की मैं कोशिश करूंगा और प्राइवेट स्कूलों के बारे में जो आपने कहा है, प्राइवेट भवनों में चलने वाले ऐसे चौतीस विद्यालय हैं जो किराये के भवनों में चल रहे हैं और इसका हम तो अभी किराया ही भुगतान कर सकते हैं और वह कर रहे हैं।

निःशुल्क भूमि हमें कहीं मिल जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से या और किसी योजना के अन्तर्गत वहां नये भवन बनाकर के हम आपको दे सकते हैं।

आपने जहां तक शिक्षकों की और विषयों की बात की, आप मेरे को अलग से बता देना, जो जो भी हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07**

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, पर्यावरण राज्य मंत्री, जल अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखता हूँ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन**राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008**

श्री सभापति: पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 श्री कालूलाल गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्याम/चौहान/20.03.2008 14.40 2g

भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008

श्री सभापति: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री सभापति: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि यह सदन के रिकार्ड में आना चाहिये कि जो विश्वविद्यालयों के नाम आप करते हैं उसके पीछे कुछ सिद्धांत होने चाहिए। यह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम से हम भगवन्त, जगन नाथ जो-जो नाम हम कर रहे हैं, इसके संबंध में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आप विश्वविद्यालयों का इतिहास उठाकर देखें, विश्वविद्यालयों के नामकरण की परंपरा बहुत लेटर स्टेज पर आयी है। पहले जो स्टेट की यूनिवर्सिटी थी उनका नाम राजस्थान विश्वविद्यालय या अलग-अलग स्टेट के विश्वविद्यालयों के नाम थे। बाद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनके नाम की परंपरा प्रारंभ की, पर अब हम जो यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा पिंडारा बॉक्स खोल रहे हैं, उसमें इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो वह प्रपोजल दे रहे हैं उनके प्रपोजल को हम एज इट पास करके लेजिस्लेचर का पार्ट बना रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब आप स्कूटनी कमेटी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं उनको लेने से पहले, जब सदन में आता है तो हमें ऐसा कोई तरीका ईजाद करना चाहिये जिससे हम सोच सकें कि हम ऐसे नामांकन को अलाऊ करें या नहीं करें।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यह फ्युचर के लिए ज्यादा आवश्यक है और यदि हमने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की और यह परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले समय में जिस तरह के विश्वविद्यालयों के नामांकन होगा वह उन चीजों को रिफ्लेक्ट कर पायेगा, इसलिए मेरी सानुरोध प्रार्थना है I may differ with this कि लेकिन मेरा सबमिशन जरूर है कि यह पांचवीं, छठी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हम प्रपोज कर रहे हैं, अनफोर्च्युनेटली जब आपने बिल पास किया, उस दिन मैं सदन में नहीं था। लेकिन मेरी आपसे यह सानुरोध प्रार्थना है कि हम नयी सदी में जा रहे हैं, 21 वीं सदी की बात कर रहे हैं। आईटी, बायो डायनोमिक्स, बायो डायवर्सिटी नयी-नयी चीजें आ रही हैं, एनर्जी, पेट्रोलियम सारी शिक्षा की विधा ही बदल रही है। जहां एक तरफ शिक्षा की विधा बदल रही है, नये-नये डिसिप्लिन आ रहे हैं और वहां नामांकन हम कंजरवेटिव सोच से करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में सरकार को कोई न कोई ऐसा निर्णय करना चाहिये जिससे भविष्य में विश्वविद्यालयों के नामांकन के संबंध में भी हम असेम्बलि में बिल लाने से पहले स्कूटनी के स्टेज पर ही उन पर चर्चा की जाये। यह मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: डॉ. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को एक माह के लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट निवेदन करूंगा There are about 45 people who would want to speak. If you could just keep the time phase in mind I don't want to disturb anyone but in case we can all considers the time factors also.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उक्त विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, यह प्रस्ताव मैंने रखा है। इसके संदर्भ में अपने विचार रख रहा हूँ। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 और धर्म परिवर्तन विधेयक, 2006 इन दोनों के उद्देश्य एक समान हैं और 2006 में यही विधान सभा ने यह बिल हमारे विरोध के बावजूद यही सत्ता पक्ष ने इसको पारित करके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा और राज्यपाल महोदय ने उनको महामहिम राष्ट्रपति जी के पास उनको कंसर्न के लिए भेजा, वह अभी तक नहीं मिली। वह अभी तक लंबित है वहां पर और इसके बीच में यह दूसरा बिल यहां पर आ गया। इन दोनों के उद्देश्यों को आप देखें 2008 और 2006, उस बिल के दो उद्देश्य एक जैसे हैं, जैसा इसमें बताया गया है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में बल के प्रयोग द्वारा या प्रलोभन

द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिए विधेयक, यह विधेयक भी इसी उद्देश्य से लाया गया है और 2006 का विधेयक भी इसी उद्देश्य के आधार पर लाया गया है।

सभापति महोदय, अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उद्देश्यों में यह भी बताया है कि राजस्थान में लॉ एंड आर्डर की प्रोब्लम के कारण से जो गड़बड़ियाँ हो गयी थी इस कारण से हम यह बिल लाये हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में धर्म परिवर्तन को लेकर कहां-कहां लॉ एंड आर्डर की प्रोब्लम हुई।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में धर्म परिवर्तन के संबंध में कितने मामले दर्ज हुए, वह बता दें आप। ऐसी राजस्थान में कोई बातें नहीं हुई, धार्मिक समरसता है यहां पर। यहां हमारे विभिन्न धर्मों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं, त्यौहारों को मिल-जुलकर मनाते हैं लेकिन एक हौवा खड़ा किया गया था कि राजस्थान में जैसे कोई धर्म परिवर्तन के लिए लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब हो गयी। लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करने का काम एक मजिस्ट्रेट का है और राज्य सरकार का काम है लोक व्यवस्था को चलाने का। लॉ एंड आर्डर की प्रोब्लम को लेकर आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं। जो भी कानून धर्म परिवर्तन के बारे में पूरे देश में बने हैं लोक व्यवस्था को आधार मानकर के बने हैं। मैं इस संदर्भ में आपको संविधान की अनुसूची 7 की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ। संविधान की अनुसूची 7 में, 1, 2, 3 सूचियां दी हुई हैं जिसमें 2 नम्बर सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है और इस 2 नम्बर अनुसूची में एक क्रम संख्या पर लोक व्यवस्था का यह विषय आता है। लोक व्यवस्था को लेकर उड़ीसा और एक अन्य राज्य में जो कानून बने थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि यह वैध है। लेकिन आप लोक व्यवस्था के लिये नहीं ला रहे हो। आप ला रहे हो कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिए। यह काम सरकार का नहीं है। यह एक सामान्य मजिस्ट्रेट का काम है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप जो यह कानून लेकर के आये हो यह असंवैधानिक है। राजस्थान के ही नहीं, तमाम देश के विधिवेत्ताओं ने इस धर्म स्वातंत्र्य बिल और धर्म परिवर्तन बिल जो 2006 में आया था, विधिवेत्ताओं की राय में यह बात थी कि यह राज्य सरकार का असंवैधानिक कदम है। यह कानून भी विधि सम्मत नहीं है।

सभापति महोदय, इस संबंध में आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि खास तौर से धर्म का जो मतलब है संविधान में धर्म के बारे में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार में आता है। हमें संपत्ति रखने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकांतिका का अधिकार है, हमें बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी प्रकार से यह धर्म जो है यह आस्था से जुड़ा हुआ है, अतःकरण से जुड़ा हुआ है और इस अतःकरण के मामले में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आस्था रख सकता है और धर्म की परिभाषा क्या है? हमारे यहां तो स्पष्ट कहा गया है कि धारियते धर्म: कोई व्यक्ति यह मन में धारण कर ले कि तीन वक्त संध्या वंदन करूंगा और उसके बाद अपना कोई काम करूंगा, प्रातः काल, मध्यान्ह

काल और सांयकाल यह उसका धर्म हो गया। कोई व्यक्ति यह कहेगा कि मैं पाँच वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो यह उसका धर्म हो गया। कोई व्यक्ति यह सोच ले कि मैं गिरजाघर में जाऊंगा और उसके बाद भोजन करूंगा तो यह उसका धर्म हो गया। कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं तो वाहे गुरुजी का पाठ करूंगा और अपना भजन, पूजा करने के बाद अपनी पेट-पूजा करूंगा। यह अपना-अपना धर्म है। ऐसे ही अलग-अलग प्रकार के धर्मों की व्याख्या की गयी है। आपने जो नियम धारण कर लिया, कोई जरूरी नहीं है, एक व्यक्ति यह सोच ले कि मैं एक भूखे आदमी को भोजन कराकर के उसके बाद भोजन करूंगा तो यह उसका धर्म हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने जो बताया धारियते धर्म: वह तो ठीक है लेकिन इसके आगे पूरा बोलिये, धारणात धर्म मित्याहु, धर्मो धारयति प्रजा, यस्याद धारण संयुक्त, स धर्मो: इति निश्चयः, तो यस्याद धारण संयुक्त जो है ना, उसके लिए यह बिल लेकर आये हैं।

jyg/akt/20.3.8/14.50/2h

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, अस्यात् धारण का मीनिंग क्या होता है, आप बताओ। मीनिंग बताओ इसका। इसका मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से अग्नि का धर्म गरम है, पानी का धर्म शीतल है, इसका मतलब है ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराज जाएं। सम्माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य जिनको इस आसन ने परमीशन दे रखी है उनके अलावा कोई भी बोलेगा तो अंकित नहीं होगा। जिस वक्त आपका अवसर आए उस समय आप अपनी बात बखूबी करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय खाद्य मंत्रीजी ने जो श्लोक बोला उसका अर्थ जो आप बता रहे हो, वह नहीं है, मैंने जो बताया है वही है। सार में जो व्यक्ति धारण करे और धारण में भी उसके ऊपर थोपने की बात करेंगे, यह श्लोक कभी नहीं बताता, जो व्यक्ति अपने मन में धारणा बना लेता है कि मैं यह उपासना करूंगा, यह उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है, यह उसकी भावना से जुड़ा हुआ है, यह उसका मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को आप कम्पेल नहीं कर सकते कि आप इस धर्म को माने या उस धर्म को नहीं माने लेकिन आपके इस बिल के आने के बाद आप किसी भी व्यक्ति को कम्पेल कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, मुसलमान है कि आपके पूर्वज हिन्दू थे, आपने आना पड़ेगा, इसमें यह जो कुचक्र है इसी के कारण यह झगड़े की जड़ है। आप इसमें बलपूर्वक, कपटपूर्वक, छलपूर्वक किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर मूल धर्म में लाने की बात करते हैं लेकिन दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जाए तो षड्यंत्र बनाकर गैर जमानती और नोन बेलेबल ओफेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा तो दुनिया में कहीं भी कोई भी कानून नहीं है कि धर्म के बारे में, धार्मिक आजादी के बारे में इस प्रकार का हस्तक्षेप करे, यह मैं

समझता हूं कि यह उसकी व्यक्तिगत आजादी है, उसकी धर्म स्वतंत्रता ...(व्यवधान)... आप विराज जाएं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्त): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: यह कोई बात अंकित नहीं हो रही है। आप पुनः इस बात को याद रखें कि आप बगैर परमीशन बोल रहे हैं तो यह अंकित नहीं हो रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह डिप्टी चीफ व्हिप को पता नहीं है। यह तो सदन को कंट्रोल करने वाले हैं और यही अनकंट्रोल हो रहे हैं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: Let him finish, then you can ... let us see what he has to say.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके गृह मंत्रीजी अपने आप जवाब दे देंगे, आप उन पर भरोसा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, धर्म को अंगीकार करने के लिए, धर्म को मानने के लिए कहीं पर भी कोई कानून नहीं बना हुआ है। हां, जैसा मैंने बताया कि लोक व्यवस्था के लिए कानून बने हैं। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया हमारे यहां तो भारत के लोक तंत्र की जो सर्वोच्च संस्था संसद है, उस पर ऋग्वेद की एक ऋचा लिखी हुई है,

अयं निज परोवेति, गणनाम् लघु चेतसाम,

उदाराणाम् चरिताणाम् वसुधैव कुटुम्बकम्,

यानी यह तेरा और मेरा भारत की संस्कृति में नहीं है, संकुचित नहीं है, हमारी संस्कृति उदार चरित्र वाली है जिसमें पूरे संसार एक कुटुम्ब की तरह है, एक परिवार की तरह है जहां हम एक तरफ तो ऐसी फिलोसोफी करें और हमारे हरे रामा हरे कृष्णा वाले पूरे अमेरिका में, इंग्लैण्ड में, जापान में, जर्मनी में, चीन में, सब जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से यहां पर किसी धर्म के प्रति आस्थावान् बन जाए, आज मान लीजिए कोई सनातन धर्म वाला है, उसने वैष्णव धर्म को

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अंगीकार कर लिया तो आप उसको रोक देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे ही किसी ने कोई दूसरा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और किसी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो आप उसको रोक देंगे। यह क्या बात हुई? यह उसकी आस्था का सवाल है, ईसाई धर्म वाला हिन्दू नहीं बन सकता और कोई दूसरे धर्म वाला नहीं बन सकता, यह राजनीति आप छोड़ दीजिए। आपके गुजरात के मुख्य मंत्रीजी...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आनन्दमार्गियों की जो गतिविधियां थी, वे आतंकवादी बन गए थे, इसलिए रोका था।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, गुजरात में भी इसी लाइन पर बिल लाया गया था और जब उनको यह बताया गया कि इस बिल में बलपूर्वक, कपटपूर्वक और प्रलोभन से मूल धर्म में जाने को माना है उन्होंने और अपना बिल वापस ले लिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस बात का बिल राष्ट्रपतिजी के पास लम्बित है, यदि उन्होंने पुराने बिल पर अपनी कंसेंट दे दी तो इस बिल की क्या हालत होगी? क्या इस विधायिका को राष्ट्रपति के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? मेरी दूसरी बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय जिन्होंने राष्ट्रपतिजी को 2006 के उस पुराने बिल को भेजा है और यह 2008 का बिल उनके पास जाएगा, उनको रिव्यू करने का अधिकार है। यह एक ऐसा संवैधानिक प्रश्न है, इसका उत्तर संविधान यह देता है, विधिवेत्ता यह देते हैं, संविधान के एक्सपर्ट यह देते हैं कि सरकार के एक बिल के पेंडिंग रहते हुए दूसरे बिल को नहीं लाना चाहिए था और क्योंकि इनके उद्देश्य समान हैं और जिन समान तथ्यों के आधार पर यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, यह गैर कानूनी है, संविधान के विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है और इस बिल को निश्चित रूप से ...(व्यवधान)... ।

श्री सभापति: आप आपस में बातचीत न करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव रखा है इसके बारे में सरकार गौर करे और कानून और व्यवस्था की स्थिति धर्म परिवर्तन को लेकर खराब नहीं थी इसलिए राज्य सरकार जो यह बिल लेकर आई है उसका मैं विरोध करता हूं और खास तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा?

सर्व धर्मान् परितज्या मानेकम शरणम् प्रजा

अमत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष मा शुचा,

सब धर्मों को छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को ठीक कर दूंगा और मोक्ष दे दूंगा। ...(व्यवधान)... नहीं यह नहीं कह रहे हैं।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कृष्ण सार्वभौम थे। कृष्ण को ईसाई भी जप सकता है, बौद्ध भी जप सकता है, कोई भी जप सकता है तो केवल वह भारत में रहना होगा तो फलान बनकर रहना होगा, इस स्थिति के लिए हो ... (व्यवधान)... ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): फिर आप यह अलग बिल को क्यों लाए हो, इसको लाने की क्या आवश्यकता है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लाने से किसी भी नागरिक का उत्पीड़न हो सकता है, यह संविधान और विधि के विरुद्ध है इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बिल को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

Gpc/akt/20032008/1500/2j

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 पर चर्चा इस पवित्र सदन में हो रही है और अभी चर्चा चली संविधान के आर्टिकल 25 की जिसने इस देश के प्रत्येक नागरिक को कोई भी पूजा पद्धति, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

⁰⁰⁰ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह संविधान, भारत का संविधान और इसका आर्टिकल 25 यह 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया इस देश की धरती पर। लेकिन उससे हजारों साल पहले भी इस भारत की इस पवित्र भूमि पर कभी भी किसी भी पूजा-पद्धति के लिए आग्रह, दुराग्रह नहीं रहा, जिसने जो चाहा उस पद्धति से ईश्वर का भजन किया और नहीं चाहा तो नहीं किया। अलग-अलग देवताओं की पूजा करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की कल्पना इस देश ने की है और उन 33 करोड़ को छोड़कर एक ऋषि हुए जिनका नाम है चार्वाक। उन्होंने कहा कि यह धर्म आदि सब फालतू की बातें हैं, ईश्वर आदि सब फालतू की बातें हैं, मैं ये कुछ नहीं मानता और उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की इस देश के सामने, वह श्लोक है-

यावद जीवेत सुखम् जीवेत,

ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत,

भस्मी भूतस्य देहस्थ पुनरागमनम् कथः।

यह शरीर तो एक बार जलकर राख हो जाएगा, इसका वापस कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए जब तक जीना है सुख-चैन से जीओ, खूब चैन से, खूब आनंद से घी पीओ, चाहे उसके लिए कर्जा भी लेना पड़े तो परवाह नहीं। उसको भी हमने ऋषि का दर्जा दिया है, उसको हमने हिन्दुस्तान से बाहर नहीं भेजा, उसको हमने तड़ीपार नहीं किया, उसको हमने संघसार नहीं किया। संघसार यानी पत्थर मार-मारकर मारना। उसको फांसी पर नहीं लटकाया, उसको हमने उस शलीब पर नहीं चढ़ाया। उसको भी ऋषि का दर्जा दिया। यह श्रेष्ठ और उच्च परम्परा इस देश की मिट्टी का अंग है।

इस देश की धरती पर सबसे पहले जिस दिन इस्लाम ने कदम रखा था, जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा वहां के हिन्दू राजा ने उनका स्वागत किया, उनके धर्मगुरुओं को बिठाकर समझने की कोशिश की कि इनके विचार क्या हैं, इनकी पद्धति क्या है और उसके बाद उनको अपनी पद्धति से पूजा करने के लिए मस्जिद बनाने के लिए अपने राज्य में जगह दी, राज्य के कोष से पैसा देकर उस मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक यही हमने ट्रीटमेंट किया, यही व्यवहार किया जब ईसाई यहां पहली बार इस धरती पर पैर रखने के लिए आये। ये दोनों बातें इतिहास में दर्ज हैं इसको कोई नकार नहीं सकता। पर उन सबका परिणाम क्या हुआ? उसके दुष्परिणाम इस देश ने भुगते। यह विशाल देश धीरे-धीरे करके छोटा होता गया, टुकड़ों-टुकड़ों में बंटता चला गया और कहां से बंटता? इस देश का वही हिस्सा अलग हुआ जहां इसका मूल धर्म हिन्दू अल्पमत में आ गया। इस तथ्यों को भी कोई नकार नहीं सकता।

आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले से लेकर आज तक का अध्ययन कर लें भारत के जिस भी प्रदेश में, जिस भी प्रान्त में अशांति, आतंकवाद पैदा हुआ है, अलगाववाद पैदा हुआ है उन सबमें हिन्दू अल्पमत में आ चुका उसके बाद हुआ। चाहे नोर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, चाहे कश्मीर की बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए, यह एक ऐतिहासिक तथ्य, सार्वभौम तथ्य है जिसे मेरे विरोधी भी नहीं नकार सकते और नकारेंगे तो वे उस

कबूतर की तरह हैं जो बिल्ली को आते देखकर आंखें बंद कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कपोल-कल्पित बातें नहीं कर रहा हूँ ..(व्यवधान).. जब आपको निगलेगी तो पता चलेगा।

सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा तो ये कहेंगे कि संघ का दीक्षित स्वयंसेवक है यह तो बोलेगा ही, पर जिनको ये मानते हैं, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनके कारण यह देश धर्मनिरपेक्ष घोषित हुआ, जिनके कारण आर्टिकल 25 इंकलूड हुआ उन्होंने अपने राज्यादेश से एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम है नियोगी आयोग। 1954 में वह आयोग बना था। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। इस पवित्र सदन के 70 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, उस समय उस नियोगी आयोग ने जो जांच की और जो रिपोर्ट की उसके कुछ अंश, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा, मामूली से अंश पढ़कर सुनाना चाहूँगा ताकि इस बिल का विरोध करने वालों की आंखें खुल सकें।

उस आयोग की रिपोर्ट के भाग 3, अध्याय 3 में लिखा है "35 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां बहुसंख्यकों का धर्म हिन्दू धर्म है वहां लगभग एक करोड़ के अल्पसंख्यक आबादी वाले को प्रतिष्ठा और सम्मान के स्थान का आश्वासन दिया गया है संविधान के द्वारा।" यहां से वे शुरू कर रहे हैं और फिर वे कहते हैं, कितना विदेशी पैसा इस देश में आ रहा है और उस पैसे का क्या असर हो रहा है। दुनिया जानती है मिशनरियों का कार्य केवल ईसाई बनाना ही है। यह नियोगी आयोग बोल रहा है, जोगेश्वर गर्ग नहीं बोल रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा और इनके साधन क्या हैं, धर्म परिवर्तन के साधन हैं स्कूल, अस्पताल और अनाथालय और इन सबके माध्यम से वे कैसे-कैसे ईसाइयत का प्रचार करते हैं उसका इन्होंने पूरे विस्तार से वर्णन किया है। इसको प्रमाणित करते हैं उन्हीं के लोग। क्रिस्टी मण्डली का इतिहास, एक पुस्तक निकली। प्रो. आई.वी. जौहरी, एम.ए., बी.डी. (इंदौर), उनके द्वारा लिखी हुई थी। कैथोलिक मिशन द्वारा ऋण का प्रलोभन देकर जो धर्मान्तरण हो रहा था उसके बारे में। अब यह धर्मान्तरण किसका, हिन्दू से ईसाई बनाने का नहीं था, यह धर्मान्तरण प्रोटेस्टेंट को रोमन कैथोलिक बनाने का, उस पर यह पुस्तिका है। शब्दावली देखिए। रोमन कैथोलिक मिशनरी गांव के कृषकों को कुछ रुपये उधार देने लगे और यह नियम ठहराया कि वे कृषक यदि रोमन कैथोलिक रहे तो उनको जो उधार दिया गया है सो वापस नहीं लिया जाएगा। परिणाम यह हुआ कि अन्य मिशन के बहुत से लोग रोमन कैथोलिक हो गये।

छोटा नागपुर का उल्लेख करते हुए रिर्वर्ड पैकेट पादरी लिखते हैं जो प्रोटेस्टेंट मत के पादरी थे वो लिखते हैं रोमन कैथोलिक मिशन सहकारी समितियों द्वारा आर्थिक सहायता के प्रलोभन, ऋण, नौकरी, स्कूल में निःशुल्क शिक्षा और मुकदमे में धन की सहायता आदि के द्वारा प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों में से अपने वर्ग में मिलने की प्रबल चेष्टा कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंट भी ईसाई हैं, रोमन कैथोलिक भी ईसाई हैं, उसी क्राइस को मानने वाले हैं दोनों। उनमें से धर्मान्तरण करने के लिए ये-ये हथकंडे जिन लोगों ने अपनाये हैं वो हमको क्या बखशेंगे? यह एक उद्धरण काफी है यह जानने के लिए कि यह जो अस्पताल खोले जा रहे हैं मिशनरीज के

द्वारा ये जो स्कूलें खोली जा रही हैं, मिशनरीज के द्वारा ये सोसाइटियां खोली जा रही हैं उन सबके पीछे क्या उद्देश्य है यह एक उदाहरण पर्याप्त है। यह किसी हिन्दू की टिप्पणी नहीं है, यह किसी आरएसएस के लीडर की टिप्पणी नहीं है, यह जगदगुरु शंकराचार्य की टिप्पणी नहीं है, यह प्रोटेस्टेंट मत के एक पादरी की टिप्पणी है।

इससे भी ज्यादा स्पष्ट आप करना चाहें तो उदयपुर राज्य में मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। वहां के राजा नाबालिग थे और राज्य का प्रबंध राजनैतिक विवाद द्वारा ही होता था। जून, 1935 में कर्नल मीग के पास यह रिपोर्ट पहुंची कि प्रायः 6 हजार व्यक्तियों ने बपतिस्मा के लिए याचना की है, ईसाई बनने के लिए याचना की है 6 हजार लोगों ने एक साथ। 1935 में रिपोर्ट पहुंची कर्नल बीग अंग्रेजों की सरकार के अधिकारी, उनके पास रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने जांच करवायी। उन्होंने रांची के बिशप से भेंट की और जानना चाहा।

मोहन/अरूण/ 20032008/1510/2k

क्या उन लोगों को ऋण आदि का प्रलोभन तो नहीं दिया गया है, बिशप ने इस पर उत्तर दिया, रांची के बिशप उत्तर दे रहे हैं, जिन लोगों को रुपयों की आवश्यकता होती है, उन लोगों को मिशन ऋण देता है, ऐसा सुन कर दूसरे लोगों को ईसाई धर्म में प्रविष्ट होने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है, कर्नल द्वारा बाकायदा इसकी जांच करवाई गई और उदयपुर राज्य के 15 गांवों का दौरा किया गया, उन्हें पता चला कि उदयपुर राज्य में एकदम से ईसाई बनने की बात निरीह झूठी है, यह 6 हजार एक साथ कन्वर्ट हो रहे हैं, झूठी अफवाह है लेकिन आगे जो उन्होंने कहा, उन्हें उक्त दौरों में यह भी पता चला कि समस्त राज्य में समाचार फैलाया जा चुका है, कि तपकारा मिशन केन्द्र से बिना किस जमानत के केवल हैंड नोट लिख देने मात्र से ऋण मिलता है और इसमें केवल एक शर्त होती है कि ऋण लेने वाले को अपनी चोटी कटा लेनी होती है, चोटी कहां तकलीफ दे रही है ऋण लेने में, चोटी कहां तकलीफ दे रही है सेवा करने में, चोटी कहां तकलीफ दे रही है मदद करने में? यह शर्त क्यों रखी गई यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपकी अकल पर तरस आता है। इतना स्पष्ट लिखा है, आपकी सरकार द्वारा आपके प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा आपकी पार्टी के थे वह उनके द्वारा स्थापित किए हुए नियोगी आयोग की रिपोर्ट में यह सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें और भी ऐसी बहुत खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। इन्होंने इस्लाम को भी नहीं बखशा, आप सहिष्णुता की बात करते हैं न, विशाल हृदयता की बात करने हैं, इस्लाम के बारे में हजरत मोहम्मद के बारे में जिन शब्दों का उल्लेख हुआ था, कौन सी पुस्तक में? ईसाईयों के प्रचार की सच्चा मजहब कौन सा?, इस नाम से पुस्तिका निकली, उस पुस्तिका में हजरत मोहम्मद के बारे में जिन शब्दों में उल्लेख हुआ है, ***यह पृष्ठ 9 में लिखा है उस पुस्तिका में और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, अभी मैं बोलूंगा तो बवेला

*** अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

बच जाएगा। एक बात ही बहुत है जानने के लिए और इसी प्रकार से, उन्होंने हिन्दू देवताओं पर भी किया, *** यह गुरु परीक्षा नाम की उसकी एक पुस्तक निकली उसमें लिखा है राम कृष्ण मुक्तिदाता नहीं हो सकते क्योंकि *** ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ⁰⁰⁰

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक जरा सी चर्चा पर आपकी भावनाएं आंदोलित हो गई, मुझे बहुत फक्र है यह महसूस करके कि आपके अंदर भी कहीं न कहीं भगवान मौजूद हैं।

श्री संयम लोढा (सिरोही): ⁰⁰⁰

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बिल्कुल ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो यह भावना प्रकट की उनका स्वागत करता हूं। यह मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यह कोटेशन मैंने नहीं बोले हैं, यह पुस्तिका भी मैं नहीं लाया, यह उन पुस्तकों में छपे हुए कोटेशन हैं जो पुस्तिका इस देश में आज से 54 साल पहले बांटी गई, यहां के लोगों के धर्म को परिवर्तित करवाने के लिए, यहां के लोगों को अपने धर्म से विमुख करने के लिए और अपने धर्म में मिलाने के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और वह पुस्तिकाएं जो नियोगी आयोग के हाथ में पड़ी, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने रिकार्ड पर लिया, यह एक संवैधानिक रूप से नियोगी आयोग एक संवैधानिक पुस्तक हो गई, एक तरह से उसमें यह सम्मिलित कोटेशन है, इन कोटेशन के बारे में इतना सा सुनने के बाद जब हम इतना उद्वेलित हो रहे हैं तो उन पुस्तिकाओं को(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और यह क्यों किया गया, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप नियोगी आयोग में से निकलवा दोगे क्या इन शब्दों को? नियोगी आयोग की रिपोर्ट में से निकलवा सकते हो तो निकलवाओ, यहां से तो तुरंत मैं खुद निकलवा दूंगा। माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों का उद्देश्य क्या था ? उस नियोगी आयोग में लिखा है, पेज 104 पर मसीह का साम्राज्य घर बंधु नामक के 1952 के अंक में पृष्ठ 12 पर प्रकाशित लेख, निराला राज्य और उसके कर्मचारियों में निम्न प्रकार युद्ध हुआ था, आज हमारे सामने सरगुजा का विस्तृत राज्य है जिसे मसीह के साम्राज्य में

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मिलाना है। स्पष्ट उद्देश्य था उनका, अब जमाना बदल गया, इक्कीसवीं सदी आ गई, इतने स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं वह, अब वह नाम परिवर्तन भी नहीं करते, अब वह सुशील कुमार रखते हैं नाम, सुशील कुमार को ईसाई बना दिया, सुशील कुमार पॉल, पूरा नाम हो गया, सुशील कुमार पॉल, अजमेर में पधारे थे, देवनानी जी जानते होंगे, एस के पॉल, वह सुशील कुमार पूरा नाम था, वह हमारे जालौर के आणखोल में धर्म परिवर्तन करवाने आए थे, वह सुशील कुमार पॉल, पॉल नहीं बोलेगा, आज हिन्दुओं से मिलेगा, गांव में जाएगा, सुशील कुमार ही बोलेगा, ताकि अगले को डाउट नहीं हो, यह तो सेवा कर रहा है, सांचौर तहसील के भीलों के गरीबों के बच्चों को वह ले गया, उधर गुजरात में बीसा के आसपास उनके हॉस्टल चल रहे हैं, उन हॉस्टल में ले गये, उनके सारे खर्च का, उनका पढ़ना, लिखना, खाना, पीना सब कुछ और जब साल भर उस हास्टल में रहने के बाद जब वह बच्चा छुट्टियां मनाने के लिए गांव में आता है तो बिलकुल अप-टू-डेट, शूटेड, बूटेड बाबू बन कर आता है, बाकी सारे उसके मां-बाप भी हैरान रह जाते हैं, उसके रिश्तेदार हैरान रह जाते हैं और उसके साथ वाले, उसके आसपास के परिवार के बच्चे हैरान रह जाते हैं और वह भी कहते हैं कि हम भी जाएंगे। यह है तरीका उनका और यह पुराना तरीका है, 54 साल पहले का उदाहरण तो यह बिलकुल रिकार्ड है, वह मैंने आपके सामने रखे हैं। यह तरीका आज भी चल रहा है, यह तरीका उनका अस्पतालों के माध्यम से भी चल रहा है, यह तरीका उनके छात्रावासों के माध्यम से भी चल रहा है, यह तरीका उनके स्कूलों के माध्यम से चल रहा है और समय समय पर ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं। यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सरकार जो ला रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं इसलिए जो स्थिति नार्थ ईस्ट के राज्यों में बन गई, वह स्थिति राजस्थान में भी बन सकती है, आने वाले वर्षों में हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हम शतुरमुर्ग की तरह अपनी गरदन रेत में धंसा कर बैठे हैं, जो होना है वह हो रहा है, बासंवाड़ा, इंगरपुर इन आदिवासी क्षेत्र में जाइए, उदयपुर क्षेत्र के इंटीरियर में, पहाड़ों में जाइए, जहां हमारे डाक्टर को नौकरी करने जाने में ही शर्म आती है, जहां हमारे अध्यापक को पढ़ाने जाने में शर्म आती है, तनख्वाह लेने के बाद भी तकलीफ होती है वहां जाने में, वहां वह लोग पहुंचे हैं, हम भी कहेंगे एक बार तो कि बेचारे सेवा ही तो कर रहे हैं, बेचारे उनको पढा रहे हैं, बेचारे उनका इलाज कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, पहली दृष्टि में देखने में यही लगता है कि वह सेवा कर रहे हैं पर उस सेवा के पीछे का उद्देश्य जो 54 साल पहले इस सरकार के आयोग ने स्पष्ट कर दिया था उससे हमको अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए और रहेंगे तो अपने देश के, प्रदेश के भाविष्य के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, प्रदेश की भावी पीढ़ी को हम धोखा देंगे और इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को अवश्य पास करवाया जाए और इसको देर आयद दुरुस्त आयद, पहले होना चाहिए था, दो साल पहले, जो हुआ उसको भी अब कह रहे हैं, दुबारा क्यों लाए? मैं पूछता हूं वह क्यों रूका, वह क्यों रूका, कितने विधेयक रोके गये होंगे, इस पवित्र सदन में हजारों विधेयक पास होते हैं, सब पर दस्तखत होते हैं, जहां राज्यपाल महोदय के दस्तखत

की आवश्यकता होती है वहां राज्यपाल महोदय दस्तखत करते हैं, जहां राष्ट्रपति महोदय तक जाने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति महोदय तक जाते होंगे पर यह एक ही क्यों रूका ? इस प्रश्न का जवाब अब चूंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति संवैधानिक पद हैं, मैं उस बारे में कोई विवाद नहीं करना चाहता लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी सदन को देना होगा और कितना परिवर्तन आ रहा है, किस गति से परिवर्तन आ रहा है, यह मैं अपनी अंतिम बात करूंगा, यह जनसंख्या के कुछ आंकड़े रख कर।

सुरेन्द्र/अरुण/20.3.2008/15.20/21

1901, 1951, 1991 के कम्पेरेटिव तीन आंकड़े मेरे पास हैं। आसाम में 1901 में ईसाईयों की संख्या 0.4 प्रतिशत, 1951 में 2 प्रतिशत और 1991 में 3.32 प्रतिशत, यह आसान के आंकड़े हैं। मणिपुर में 1901 में 0.016 प्रतिशत, 1951 में 11.84 प्रतिशत और 1991 में 34.12 प्रतिशत हो गई। अब भी आपकी आँख नहीं खुलती तो फिर आप जानो। मेघालय में 1901 में 6.16 प्रतिशत थी और 1951 में 24.66 प्रतिशत, 1991 में 64.58 प्रतिशत हो गई। 6 प्रतिशत से बढ़कर के 90 साल में 64 प्रतिशत हो गई। सभापति महोदय, 2001 का आंकड़ा तो इससे भी खतरनाक निश्चित रूप से होगा। मिजोरम में 1901 में 0.05 प्रतिशत थी और 1951 में 90.52 प्रतिशत हो गई यानि 50 साल में 90 प्रतिशत बढ़ गई। नागालैण्ड में 1901 में 0.59 प्रतिशत थी, 1951 में 46.05 प्रतिशत और 1991 में 87.47 प्रतिशत हो गई। हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक हरिमोहन जी कह रहे हैं कि यह एक्ट वहां लागू होगा क्या तो दुर्भाग्य इस देश का कि वहां यह एक्ट 50 साल पहले लागू नहीं हुआ इसलिए यह हालत हुई और यदि वहां लागू नहीं हुआ तो वहां के आदिवासी इलाकों के भी यही हालात होने वाले हैं। जरा नोर्थ ईस्ट के लोगों से पूछकर के आइये कि क्या हो रहा है। आज जब वहां का आदमी दिल्ली में किसी काम से आता है, सरकार काम से, अपने एम.पी. से मिलने या किसी मिनिस्टर से मिलने आता है तो वह अपने पड़ोसियों से कहता है कि इण्डिया जा रहा हूं। तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया नहीं है? त्रिपुरा इण्डिया नहीं है? यह हकीकत है, कटु सत्य है जिसको हमको स्वीकार करना होगा। इस देश की यदि सार्वभौमिकता को बचाना है, इस देश की सम्प्रभुत्ता को बचाना है तो इस धर्म स्वातंत्र्य पर रोक अत्यंत आवश्यक है।

सभापति महोदय, एक बात और मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा, इस सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। पचासों साल पहले, 100 साल पहले जब भी कभी इस तरह के लोग चाहे आदिवासी क्षेत्र के रहे होंगे चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहे होंगे, वो कन्वर्ट हो गये। आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर तो ईसाई बन गये। एससी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग ज्यादातर मुसलमान बने, ईसाई भी बने। क्यों बने? आदिवासियों में तो शिक्षा नहीं थी, तकलीफ थी इसके उनकी सेवा के बहाने उन्होंने बना लिया। एससी के लोग क्यों बने? हिन्दू समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी थी छुआछूत, जिसको महात्मा गांधी ने कहा कि छुआछूत

अपराध है। वो छुआछूत इस देश की धरती पर सैंकड़ों साल रही, हजारों सालों तक रही और उससे प्रभावित होकर, उससे पीडित होकर, उसे तिरस्कृत होकर कई लोगों ने ऐसे धर्मों की शरण ली जहां पर सबको समान समझा जाता था। वो लोग चले गये। अब उनकी कोशिश हो रही है कि जब वो उधर चले गये तो इधर के जो अधिकार थे, हिन्दू होने के नाते उनको जो अनुसूचित जाति के अधिकार प्राप्त थे, आरक्षण के अधिकार प्राप्त थे वो समाप्त होने ही थे, स्वाभाविक है। क्योंकि इस्लाम में तो छुआछूत होती नहीं और एससी को आरक्षण का एकमात्र आधार है यह, एसटी के लिए 5-5 आधार होंगे, एससी के आरक्षण का एकमात्र आधार है छुआछूत और मुसलमानों में छुआछूत नहीं होती। होती है तो माहिर आजाद साहब हों तो कह दें, जुबेर खान साहब कह दें कि होती है। ईसाईयों में भी नहीं होती। जब छुआछूत नहीं होती तो किस बात का आरक्षण? (व्यवधान) यातायात मंत्री से भी पूछ सकता हूं। उनसे तो पूछ रखा है मैंने, वो तो मेरे मित्र हैं। उनसे पूछ रखा है, आप लोगों से पूछना बाकी था।

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड कर लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, जब छुआछूत नहीं तो अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए। यह केन्द्र सरकार षडयंत्र कर रही है अनुसूचित जाति वर्ग के साथ और अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ कि जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले गये उनको वापस, उधर का मजा भी ले लिया, इधर का आनन्द भी ले लिया, उधर की सुविधा भी ले ली और इधर की सुविधा भी उनको प्राप्त करने की भूख लग रही है और यह प्रलोभन देकर के आप अपना वोट बैंक मजबूत करना चाह रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इसका विरोध होना चाहिए, यह नहीं होने देना चाहिए और मैं सरकार से चाहूंगा कि इस बिल में यह भी प्रावधान करें कि यदि कोई गलती से या सोच समझकर के जैसे भी करे, यदि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में चला जाए चाहे प्रेम से जाए, चाहे धोखे से जाए, चाहे दबाव से जाए तो उसको इधर से जो अधिकार मिल रहे थे वो सामाप्त होने चाहिए। यह धारा भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए। इसी मांग के साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस सदन से कि इस बिल को पास करें और मैंने जो संशोधन दिया है जनमत जानने के लिए परिचालित करने का, उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री सुभाषचन्द्र बहेडिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 000

श्री सभापति: ऐसे कोई शब्द कहें हों तो आप.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री सभापति: कमीशन को अगर कोट किया है..... (व्यवधान) एक मिनट आप विराज जाएं। I clarify. In case it is a quotation from Commission, आप उसको चैक कर लें।

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक मिनट। शक की जरूरत नहीं, मैं जो नियोगी आयोग की रिपोर्ट जो पुस्तक के रूप में छपी है उसको टेबल कर सकता हूँ।

श्री सभापति: श्री सुभाष जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): 000

श्री सभापति: मेरा पुनः सब से निवेदन है कि आप अपने समय का ध्यान रखें क्योंकि 35 और माननीय सदस्य हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूँ और पाँच मिनट से ज्यादा कभी बोला भी नहीं हूँ। आज जो यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जिसको इस सदन में विचारार्थ लिया गया, जिसको पारित करना है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? सभापति महोदय, दिनांक 7.4.2006 को ऐसा ही विधेयक इस सदन में पारित हुआ और माननीय महामहिम के पास गया पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत माननीय महामहिम का संदेश वापस सदन को नहीं मिला और यह लम्बित है और इसी वजह से आज यह वापस विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ, विचारार्थ आया।

सभापति महोदय, भारतीय दर्शन किसी को भी कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए न तो प्रेरित करता है और न कोई उसमें व्यवस्था है। अपना जो संविधान है आर्टिकल 25 के तहत सबको अपना-अपना धर्म रखने की या सबको अपने-अपने धर्म का प्रचार की स्वतंत्रता है और इसीलिए यह विधेयक, इसमें कहीं यह प्रतिबन्ध नहीं है कि धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। कोई भी काम करना है तो उसके नियम हैं या कैसे क्या है। इसमें भी ऐसा ही लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करना चाहे तो एक महीने पहले वहां जो भी अधिकारी है, एडीएम या जो भी है उनको सूचना दे दे कि मेरा इस धर्म से विश्वास हट गया है, मैं यह धर्म चेंज करना चाहता हूँ और उसके लिए किसी को रोक नहीं है। जो यह कह रहे हैं, बारबार की कि किसी को रोक रहे हैं यह बिलकुल गलत है। इस विधेयक में ही यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी धर्म परिवर्तन करना चाहे तो चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसके अपने नियम हैं। यह सैक्शन 5 में जो प्रोसीजर है उसके तहत करे, किसी को कोई मनाही नहीं है। इसलिए यह कहना गलत है कि यहां यह रोक रहा है। जैसा अभी जालौर से आने वाले माननीय विधायक ने बताया कि बलपूर्वक, सेवा के माध्यम से, गलत तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। आज यह स्थिति कोटा में हुई है, इमानुअल मिशन और वहां पर जो पढ़ने वाले लड़के, क्योंकि अरूणाचल में यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, वहां पर धर्मान्तरण पर रोक है.....

vkj/akt/1530/2m

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

तो वहां के बच्चों को यहां पर ईसाई मिशनरी में लाकर उनका ईसाईकरण किया जा रहा है और इसी दृष्टि से यह जरूरी है कि यहां पर भी कोई न कोई ऐसा कानून बने जिसके कारण से जो गलत ढंग से क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में वहां पर धर्मान्तरण पर रोक है और उसी हिसाब से यहां लाकर चेंज करे, ऐसे कानून की यहां पर भी सख्त जरूरत है और यह बनना चाहिए।

सभापति महोदय, बस एक अपनी बात और कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2006-2007 में वहां की तात्कालिक सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने भी इस विधेयक को वहां पास किया और वहां यह प्रचलित है परन्तु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर क्यों इसका विरोध हो रहा है। इसका मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा एनेलेसिस किया कि क्या कारण है विरोध करने का तो सभापति महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिलकुल भी अल्पसंख्यक कहीं पर भी किसी चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं और इस कारण से कांग्रेस ने वहां पर तो करवा दिया, वहां तो वोटों का चक्कर ही नहीं है। न तो कोई वह चुनाव प्रभावित करने की स्थिति में है और न कहीं है परन्तु यहां पर क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं हमारे वोट बिगड़ नहीं जाये इसलिए यह केवल उसको बताने के लिए कि हम विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं नहीं तो आज कोई एक ही पार्टी एक राज्य में विरोध करे और दूसरे राज्य में पक्ष करे, यह कुछ समझ में नहीं आता इसलिए सभापति महोदय, मेरा तो यही है सरकार से कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित कराया जाये और मैं अपना दिया हुआ संशोधन है जनमत जानने के लिए परिचालित करने वाला, उसको वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: अमरा राम जी धोद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

एक माननीय सदस्य: 000

श्री अमराराम (धोद): मैं आपके माध्यम से राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव किया है, मैं इस सम्बन्ध में मेरी बात रखना चाहता हूं। जब राजस्थान की विधान सभा ने, आपने विधेयक पास कर दिया, राज्यपाल के पास भेज दिया और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया, मेरी समझ में नहीं आता कि इसको दुबारा आप जिस रूप में...

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): 000

श्री अमराराम (धोद): नहीं, आप तो धर्म के नाम पर ही राजनीति कर रहे हो ना और इसीलिए ही दुबारा लेकर आये हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद): मेरा तो नाम ही राम है, आपका राम से क्या लेना-देना? मेरा नाम अमरा राम है और मेरे बाप का नाम श्री दल्लाराम है। (व्यवधान) आपका राम से क्या लेना-देना? आपको तो राम के नाम पर वोट लेना है...

श्री संयम लोढा (सिरोही): ⁰⁰⁰

श्री अमराराम (धोद): हां, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का न इस देश के संविधान से, न इस देश के संविधान का रिगार्ड करने की कभी भी इच्छाशक्ति नहीं रही। जब देश के प्रथम नागरिक के पास हमारा यह बिल गया हुआ है, उस रूप में जो भावनाएं लेकर दुबारा लेकर आये हो, वही बिल हमारे देश के राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। केवल इनके नाम पर, साम्प्रदायिकता के आधार पर, अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए, बहुसंख्यकों के वोट प्राप्त करने के लिए दुबारा जो बिल लेकर आये हैं, मैं समझता हूँ, कतई अब वह नहीं चलेगी। आपकी काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार-बार नहीं चढ़ती है, एक दफा चढ़ सकती है और मैं समझता हूँ, राजस्थान में एक भी ऐसा केस नहीं हुआ होगा जो जोर-जबरदस्ती से, प्रलोभन के आधार पर, जिस इम्मानुएल मिशन की बात कर रहे हैं, जहां हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीजी बड़ा दावा करते हैं, क्या हालत है आज? आपने कोटा के अन्दर जो गैर कानूनी कार्यवाही की, उसमें तय रूप में राजस्थान की सरकार को भोगना पड़ा कोर्ट के माध्यम से, आज वही लोग बिल के ऊपर कहना चाहते हैं। आज राजस्थान की मुख्य मंत्री के निवास के पास योजनाबद्ध ढंग से जिस तरह से हमले किये जाते हैं, जिस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को भयभीत करके, वोटों की राजनीति करने के लिए, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप वोट के लिए विकास के नाम पर राजनीति करें, यह हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है लेकिन जिस तरह से इस कानून को लेकर आये हैं, राजस्थान में एक भी ऐसा उदाहरण प्रलोभन के माध्यम से या जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करने की कोई घटना हुई हो, मैं तो समझता हूँ कि आज भी...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचैतक): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री अमराराम (धोद): आपने तो परिवर्तन कर लिया धर्म का... (व्यवधान) आप राजेन्द्रजी को दे देना। आपने परिवर्तन किया है। इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए यह इनको बता दो आप। इसलिए सभापति महोदय...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ⁰⁰⁰

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री अमराराम (धोद): सी.पी. साहब, ये सभी के खास रहते हैं जो भी मुख्य मंत्री रहते हैं।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): 000

श्री अमराराम (धोद): मूल धर्म में आने के लिए, मूल धर्म कौनसा है, आज व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो भी उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं समझता हूँ कि धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने का सबसे खतरनाक काम और नहीं हो सकता, समाज को, देश को, प्रदेश को बांटने के अलावा, मैं यह समझता हूँ, धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनकी मनोकामना है, उसकी आस्था का सवाल है, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति विकास के लिए होती है...

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): 000

श्री अमराराम (धोद): भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है?

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): 000

श्री सभापति: यह हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर विश्लेषण बाद में कर लेंगे। आज इस बिल पर चर्चा कर लें।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनभिज्ञ आदमी हैं। 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(माक्सवादी) बनी नहीं थी...

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): 000

श्री सभापति: अब आप लोग कृपा करके बिराज जाइये। आदरणीय सदस्य, कृपा करके बिराजिये। What should you get agitated? Let him say what he has to say. बिराज जाओ, बिराज जाओ श्रीमान्, बिराज जाइये।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(माक्सवादी) नहीं थी और मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्टों ने जो 1962 में कहा, वह आज पूरे हिन्दुस्तान में हर पोलिटिकल पार्टी कहती है कि पड़ोसी देश से संघर्ष करने की बजाय वार्ता से सम्बन्ध बढ़ाये जाने चाहिए। जो हमने 1962 में कहा, आज हिन्दुस्तान में वह भारतीय जनता पार्टी भी वही कहती है जो देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वही कहते हैं जो 1962 में कम्युनिस्टों ने इस देश के लिए कहा था कि भारत और चीन को आपस में सीमा के विवाद को लेकर संघर्ष नहीं करना चाहिए...

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ⁰⁰⁰

श्री अमराराम (धोद): उस पर भी कर लें बहस।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद): आजादी की लड़ाई की बात हो और भारतीय जनता पार्टी करे और जनसंघ करे, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। देश की आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में कोई गवाही देने वाले लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और आज भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देश की आजादी के लिए एक दिन भी जेल गया हो। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक व्यक्ति भी ऐसा बता दें जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक दिन जेल काटी हो...

Jkj/akt/15.40/2n/20.3.2008

केवल, मैं नहीं कहना चाहता, चाहे वह आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद जो सच्चाई है वह कही तो मैं समझता हूँ सच्चाई सुनने में बड़ी तकलीफ होगी। (व्यवधान) चाड़ना में जो हमने 62 में कहा, आज वह हिंदुस्तान की हर पालिटिकल पार्टी कहती है। (व्यवधान) वही हुआ जो छियालीस दफा आपने किया। इसलिए मैं सभापति महोदय, यह केवल उनकी बातों को लिये, सांप्रदायिक एजेंडे को लेकर जो आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी केवल उनका एक मुखौटा है, एक राजनैतिक विंग है, जो कुछ भी फैसला उसके कारण से दोबारा राजस्थान की विधान सभा के सामने यह बिल लाया गया है, मैं समझता हूँ यह राजस्थान के अहित में है, राजस्थान की एकता के खिलाफ है, यह केवल अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है, किसी भी सूरत में पास नहीं किया जाना चाहिए, यह राजस्थान के अहित में है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ और इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए, आम जनता के बीच में ले जाना चाहिए। सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिमोहनजी शर्मा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं जब अपनी बात यहां रखूँ तो सत्ता पक्ष के लोग उसको गंभीरता से सुनें, मानने योग्य है तो उसको माने, नहीं मानने योग्य है तो नहीं माने और मानने योग्य होने के बावजूद भी नहीं माने तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। अजीब संयोग है सभापति महोदय। अजीब संयोग है, आज जिस हम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं और धर्म परिवर्तन के नाम पर अपने-अपने ढंग से व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं लेकिन यह कुदरत इसके ठीक विपरीत सोच रही है इस हिंदुस्तान में। कल 21 जनवरी है और 21 जनवरी यह वर्षों बाद, सैंकड़ों वर्ष बाद एक पहला दिया आया है माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान) 21 मार्च, वर्षों बाद, सैंकड़ों वर्षों बाद यह पहला दिन आया है कि जब कुदरत ने होली के रूप में हिन्दू समाज के इस त्यौहार को कल का दिन चुना है और आप यह देखिये कि संयोग से जो मुसलमान वर्ग है उनका ईद मिलानदुब्बी का त्यौहार

भी कल ही है। यही नहीं, सिख सम्प्रदाय, इनका होला और महला का पुण्य दिन भी कल ही आया है और अफसोस इस बात का है कि जिस दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे हैं, ईसाईयों का गुड फ्राइडे भी कल ही मिलाया है। चार धर्मों का एक दिन मिलान कुदरत का करिश्मा है नहीं तो और क्या है। उसके ठीक विपरीत कुदरत हम सब धर्मों को एक दृष्टिकोण से, एक सोच से, एक साथ लेकर के चलना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार उससे ठीक एक दिन पहले धर्म स्वातंत्र्य बिल लाकर विघटन पैदा करना चाहती है और धर्मों में आपसी रंजिश पैदा करना चाहती है। एक अजीब संयोग है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय, वैधानिक प्रश्न पर, आप जानते हैं इस बात को कि 2006 में आपने यह बिल पास किया, माननीय राज्यपाल को आपने भेजा। भेजने के पश्चात् राज्यपाल ने महामहिम राष्ट्रपति को यह भेज दिया। राष्ट्रपति के पास यह बिल आज भी विचाराधीन है। यह निर्विवाद बात है। इसके बाद दूसरा बिल 2008 में यहां लेकर के आये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके जो आब्जेक्ट्स और उसके जो आब्जेक्ट्स हैं, जैसा माननीय कल्ला साहब ने कहे, एक शब्द का अंतर भी 2006 के बिल में और 2008 के बिल में अलग-अलग नहीं है। नॉट ए सिंगल वर्ड। जो वर्डिंग्स इसमें है उसकी डिटो कॉपी आपने 2008 में की है। उद्देश्य एक है, 2006 के और 2008 के। तो क्योंकि उन्हीं उद्देश्यों के लिए क्या एक विधेयक माननीय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है तो क्या वैधानिक रूप से उन्हीं उद्देश्यों के लिए दूसरा बिल ला सकते हैं। मैं दावे से कहता हूँ माननीय सभापति महोदय, कि कानूनी प्रावधान के अनुसार यह दूसरा बिल इनका लाना शत-प्रतिशत अवैधानिक और अनकांस्टीट्यूशनल है। या तो यह मंशा हो सकती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और विशेष रूप से राजस्थान सरकार की, हमेशा कांस्टीट्यूशनल अथारिटी को चैलेंज करने का मानस इनका रहा है। कांस्टीट्यूशन में जो लिखा है उस अथारिटी को हमेशा चैलेंज करते रहे हैं, चाहे संसदीय सचिवों का शपथ का मामला आया हो, सरकार ने स्वीकार किया और राजस्थान के सभी लोगों ने स्वीकार किया हो लेकिन उस कांस्टीट्यूशनल अथारिटी की हत्या करने का यह हमेशा प्रयास करते रहे हैं। क्या कारण है, माननीय सभापति महोदय, कि जो कांस्टीट्यूशनल अथारिटी गवर्नर है, कांस्टीट्यूशनल अथारिटी जो प्रेसीडेंट आफ इण्डिया है, उनके पास यह विचाराधीन है, यह उस कांस्टीट्यूशनल अथारिटी की हत्या करके उसको चैलेंज करने के रूप में इस बिल को दोबारा यह यहां रख रहे हैं, इनकी आदत में है कि कांस्टीट्यूशनल अथारिटी की इज्जत नहीं करनी, बेइज्जती करनी है, इसके लिए राजस्थान सरकार सबसे आगे चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रश्न इसमें यह है कि पहले वाला जो आपका विधेयक जो महाननीय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, क्या वह समाप्त हो गया, क्या वह मौजूद है, क्या उस पर विचार किया, तो पेण्डिंग है या वह बिल समाप्त हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 200 और 201, दो आर्टिकल हैं जिसमें बिल पास करने के बाद राज्यपाल के पास और महामहिम राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राज्यपाल ने उस बिल को महामहिम राष्ट्रपति के पास भिजवा

दिया। राष्ट्रपति के पास वह अभी विचाराधीन है। अगर किसी आब्जर्वेशंस के साथ वह अगर उस बिल को रिटर्न करते, उन संशोधनों के साथ या अपने हिसाब से यह उसी बिल को दोबारा यहां पर पास करते तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं। वह काम तो हुआ नहीं, बिल आया नहीं, उस पर विचार हुआ नहीं, उसके लिए छह माह की अवधि तय थी कि उनके भेजने के बाद राजस्थान सरकार छह माह के अन्तर्गत उसको दोबारा पास करके जैसा भी वह चाहे, उस हिसाब से भेज देगी। माननीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा ही एक मसला कि बिल जिंदा है या मर गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मान्यवर। सन् 1962 में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आया कि राष्ट्रपति के पास एक बिल पेण्डिंग था, उन्होंने उस पर असेंट भी नहीं दी और अपने पास उसको रखा। कोई करिश्मा, कोई बात ऐसी हुई कि विधान सभा भंग हुई। विधान सभा के बाद जब यह दूसरा बिल वहां पर रखने की बात आई, तो उसमें यह बात हुई कि वह पहले वाला बिल, पहले वाला बिल ही विधान सभा में उन्होंने रखा है तो प्रश्न यह पैदा हो गया कि जब प्रेसीडेंट ने गयी विधान सभा में उसको असेंट नहीं दी तो वह बिल दोबारा नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया, सुप्रीम कोर्ट में मसला जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट... (व्यवधान) मान रहे हैं तो मैं मेरी बात कह दूँ ना। आप यों नहीं मानेंगे। तो मेरी गृह मंत्रीजी ने और सरकार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में ज्युडिशियल रिमाण्ड की बात नहीं मानी थी तो वहां से वापिस आई तो नीचे देखना पडा ना। इसलिए मैं मेरी सलाह दे रहा हूं, मानना, नहीं मानना आपके हाथ की बात है। यह सुप्रीम कोर्ट है, गजेन्द्र गडकर, ए.के. सरकार, के.एन. वांचू, के.सी.दासगुप्ता एण्ड राजगोपाल एन. अय्यर, यह पाँच जजेज की बैंच है। इसके पैरा नम्बर सोलह में प्रश्न यह हुआ कि यह बात, क्या प्रेसीडेंट और क्या गवर्नर उसको बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए, असेंट देने के लिए कोई टाइम लिमिट है। इन्होंने यह होल्ड किया कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए असेंट देने या न देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया और जब समय निर्धारित नहीं किया तो वह बिल आज भी सरवाइव करता है और यह इन्होंने जो होल्ड किया है, इसका पैरा नम्बर 16 मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।... (व्यवधान)

Lpm/akt/1550/2o/2032008 (1)

माननीय सभापति महोदय, "It is clear that if a Bill pending assent of the Governor or the President is held to lapse on the dissolution of the Assembly, it is not unlikely that a fair number of Bills which may have been passed by the Assembly during the last 6 months of its existence may be exposed to the risk of lapse consequent on the dissolution of the Assembly, unless assent is either withheld or granted before the date of the dissolution. If we look at the relevant provisions of Articles 200 and 201 from that point of view, it would be significant that neither Article

provides for a time limit within which the Governor or the President should come to the decision on the Bill referred to him for his assent. Where it appears necessary and expedient to prescribe a time limit, the Constitution has made appropriate provisions in that behalf vide Article 197 (1)(b) and (2)(b). In fact, the proviso to Article 201 requires that the House to which the Bill is remitted with a message from the President shall reconsider it accordingly within a period of 6 months from the date of the receipt of such a message. Therefore, the failure to make any provision as to the time within which the Governor or the President should reach a decision may suggest that the Constitution-makers knew that a Bill which was pending assent of the Governor or the President did not stand the risk of lapse on the dissolution of the Assembly. This is why no time limit was prescribed by Articles 200 and 201. Therefore, in our opinion, the scheme of Articles 200 and 201 supports the conclusion that the Bill pending the assent of the Governor or the President does not lapse as a result of the dissolution of the Assembly and incidentally shows the provisions of Art. 196 (5) are exhaustive." निवेदन यह करना है कि वह बिल सरवाइव करता है और जब वह बिल सरवाइव करता है तो आप दूसरा बिल नहीं ला सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप विराज जाइए, आप दे देना जवाब, इतना बढ़िया आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ तो भी आप नाराज हो और जब बोलते हैं तब तो परेशानी होना स्वाभाविक है, वह बात तो बोल ही नहीं रहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपने लॉ सेक्रेटरी की राय ली है। आपने लॉ सेक्रेटरी ने जो राय दी है, उसने यह राय दी है, जो मुझे जानकारी है कि जब तक उस प्रीवियस बिल को आप असेम्बलि में लाकर के उसको विडा नहीं करवाओगे तब तक वह एक्सटेंड करेगा। यह राय दी आपके लॉ सेक्रेटरी ने, यह लीगल ओपिनियन यह सारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंश हैं, इस हिसाब से ओपिनियन दी है। आपने रास्ता निकाला है, रास्ता आपने निकाला है, आपने एडवोकेट जनरल का, मैं कहता हूँ माननीय सभापति महोदय यह सरकार माननीय सभापति महोदय आप अध्यक्ष हैं, ऐसे-ऐसे काम कर रही हैं, एडवोकेट जनरल को यहां बुलवाइए आप, एडवोकेट जनरल को यहां बुलाकर के आप राय लीजिए और हमारे सामने वह अपनी बात रखे, हम भी उनसे प्रश्न करें और फिर अगर राय पर यह स्टैंड करता है तो कोई बात एडवोकेट ... (व्यवधान)....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): You are not taking it seriously. यहां पहले बुलवाया जा चुका है एडवोकेट जनरल को, पहले दो बार बुलवाया जा चुका है, महावीर जी जानते हैं।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो हम जो एडवोकेट जनरल की राय और लॉ सेक्रेटरी की राय में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम जानना चाहते हैं ...(व्यवधान).... आप क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एडवोकेट जनरल दे सकते हैं कोई भी राय, अपनी राय डिफर हो सकती है, लॉ सेक्रेटरी से उनकी डिफर हो सकती है, मैं यह कहता हूँ कि एडवोकेट जनरल ने जो राय दी है, मेरी राय यह है कि वह शत-प्रतिशत राजनीतिक दबाव के कारण इस बिल को पास करवाने के दृष्टिकोण से ही उन्होंने दी है। संवैधानिक राय उनकी नहीं है और आप उसको संवैधानिक राय मानते हैं तो आप हमारे सामने विधान सभा में बुलाइए यहां उनको खड़ा कीजिए और वह उनकी राय दे और हमको भी अधिकार है कि हम उनसे प्रश्न पूछें, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एडवोकेट जनरल भी अपने यहां....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यहां लॉ सेक्रेटरी को नहीं बुलाया जा सकता, लॉ सेक्रेटरी को नहीं बुलाया जा सकता, कमेटी की मीटिंग में आप बुला सकते हो, यहां नहीं बुलाया जा सकता, असेम्बलि में नहीं बुलाया जा सकता। आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दो, सलेक्ट कमेटी में भेज दो यहां लॉ सेक्रेटरी से बात कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो मैं उम्मीद करता हूँ सभापति महोदय से कि आप इन सारे लीगल परिस्थितियों के हिसाब से आप इस बात का फैसला करें। एडवोकेट जनरल इस विधान सभा में इस बिल के संबंध में आप उपस्थित होने और यहां बुलाकर के उनसे व्यापक राजस्थान के हित में, राष्ट्र के हित में उनसे हमको जानकारी लेने का आप फैसला करें। यह आपके ऊपर निर्भर है। संवैधानिक रूप से वह यहां के हाउस के मेम्बर हैं और आप एक निष्पक्ष रूप से निर्णय करने वाले व्यक्ति हैं। इसको पूरा जमाना जानता है। उस हिसाब से राजनीतिक मोह से ऊपर उठकर के हम इस बात का फैसला करें कि एडवोकेट जनरल यहां आकर अपनी राय दे। अभी चर्चा हो रही थी, आपने यही नहीं किया दिमाग तो आपका है ईसाई धर्म को ...(व्यवधान).... का, दिमाग तो आपका है कोई मुसलिम धर्म स्वीकार करे तो

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

उसको सलाम-सौट, मूल भावना आपकी यह है, उस मूल भावनाओं में आप ऐसे बहे कि आपने यही ख्याल नहीं रखा कि आपने जो प्रोविजन किए हैं उससे हिन्दू आपस में एक दूसरे से लड़ नहीं जाएगा। आपने यह नहीं सोचा सेन्सेस हुआ, सेन्सेस में रीलिजन लिखा गया, हमने हिन्दू धर्म लिखाया है, जैनियों ने कहा नौ, जैन धर्म लिखेंगे नोट हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, अलग-अलग धर्म है तो क्या अभी तक के इतिहास में जो हिन्दू समाज के 24 तीर्थकर जैन समाज में जाकर के बने हैं और अभी कोई हिंदू जैन समाज में जाना चाहेगा तो कलेक्टर से परमिशन लेगा, उसको दरखास्त देगा, 30 दिन का नोटिस देगा, कलेक्टर फैसला करेगा कि आप जैन धर्म में आइए और कलेक्टर नहीं करेगा, दरखास्त नहीं दी तीर्थकर बनने के लिए तो उस पर एक हजार रूपए जुर्माना यह सरकार कर देगी। हिंदू को हिंदू से ...(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): धर्म परिवर्तन है, आप तो उसके नीचे की स्टेप में नहीं आ रहे हो, मैं मानता हूं कि तीर्थकर बनना तो दूसरी बात है ...(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे यहां मेरे ज़िले में कई अनुसूचित जाति के लोग विशेष रूप से मैं मदन जी दिलावार से कहूं, इन्हीं की जाति के और इन्हीं के धर्म के लोग जैन धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया.....

Bhs/akt/20.3.08/16.00/2p

पूरे जैनी हैं, खाने-पीने में सब तरह से, आचरण में उसमें अब वो दरखास्त देंगे। मदन जी दिलावर कहेंगे कि दरखास्त दो तुम जैनियों में क्यों चले गये, हमारी जाति को क्यों कम कर रहे हो? भले ही हिन्दू हो लेकिन रहो तो हमारी जात में ही, यह कोई बात हुई आपकी। अब कोई सिख है, धर्म परिवर्तन करना ...(व्यवधान)... आप विराज जाएं। माननीय सभापति महोदय, आप उनको रोक दीजिये। आप उनको रोक दीजिये। आप समझो न । आपके प्राविजन है। आपके प्राविजन है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका इंडिपेंडेंट प्राविजन है। आप नहीं है नॉट एट ऑल। उन्होंने लिखा है कि हमारा धर्म अलग लिखो, जैन धर्म लिखो सेंसस में। सिख अलग धर्म है, जैन अलग धर्म है, बौद्ध अलग है, ईसाई अलग हैं, अल्पसंख्यक अलग हैं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अल्पसंख्यक नहीं ।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

000 : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुसलिम धर्म है न।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसा है मदन जी दिलावर, मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मुझे पता है लेकिन सारे स्टेटमेंट अगर आपके ठेठ से ठेठ तक जो टीवी में और यहां दिये हैं, तो आदमी कहेगा कि कोई मेंटल केस है क्या।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री अमराराम (धोद): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किस बात के लिए देखो बात सुनो महावीर जी, जहां तक क्षमा मांगने की बात है न इस सदन का जो यह अपने शासन का भी अंतिम वर्ष है हमारा भी सबका, इस सत्र का अंतिम वर्ष है, उस दिन जाते वक्त सबसे क्षमा मांगूंगा बिना काम तो क्यों मांगवाते हो। इसी प्रकार से सिख धर्म है कोई हिन्दू सिख धर्म में जाना चाहता है, कलेक्टर को दरख्वास्त दे, कोई सिख हिन्दू धर्म में आना चाहता है कलेक्टर को ...।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):

श्री सभापति: आप इनको बीच-बीच में नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो मेरा माननीय सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में आपसे निवेदन करना है कि आपकी भावना तो थी कि ईसाई नहीं बने, उनकी इंस्टिट्यूशन नहीं चले, उनकी इंस्टिट्यूशन सबसे टॉप इम्मानुएल स्कूलें चले तो आप उस पर कब्जा कर लें और मदन जी दिलावर को उस जगह पर बैठा दें ... (व्यवधान)... मेरी बात सुनो। इसलिए आपने प्राविजन 16, कि कोई इंस्टिट्यूशन अगर इस काम में लिप्त होगी तो हम उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देंगे। जब प्राविजन आप अब जोड़ रहे हो तो पहले कैसे रिजेक्ट कर दिया आपने बिना कानून के ही, कैसी सरकार है बिना कानून के ही काम कर रही है और प्राविजन अब जोड़ रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये जो बातें हैं ये शोभाजनक नहीं हैं। हम जानते हैं कि बहुमत आपके पास है और ये बिल आप चाहोगे जैसे ही पास होगा लेकिन यह बात भी आपको याद रहे कि इन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के बाद वही स्थिति आपकी इस बिल में भी होने वाली है चाहे आप गवर्नर को भेज देना, चाहे आप राष्ट्रपति को भेज देना, एक बिल के रहते अवैधानिक कार्यवाही साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से हिन्दू को हिन्दू से लड़ाने के दृष्टिकोण से जो आपने इसमें धारा जोड़ी है एक सम्प्रदाय को उससे लड़ा करके, एक को उससे करके नफरत पैदा करने का काम जो 21 मार्च के एक दिन पहले आप करने जा रहे हो इससे ज्यादा राजस्थान की इस सरकार के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ कि आज भी हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो आपसे

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

ज्यादा कट्टर हिन्दूवादी हैं उन्होंने क्यों किया उन्होंने बिल विदड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि स्थिति बिगाड़ने वाला है गुजरात सरकार ने बिल वापस ले लिया। मेरा विनम्र शब्दों में सभापति जी के माध्यम से राजस्थान की सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उन कट्टरवादी सोच ने ही जब इस साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने का फैसला कर लिया तो माननीय गृह मंत्री जी आप कृपा करके इस बिल को विदड़ा कर लें और विदड़ा नहीं करें तो जनमत जानने के लिए इसको प्रस्तावित कर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने इस राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, क्योंकि पुराने लोग मुझे जानते हैं, घनश्याम तिवाड़ी जी जानते हैं, गुलाबचंद कटारिया जी जानते हैं, राजेन्द्र सिंह राठौड़ जी जानते हैं, जानते तो मदन दिलावर जी भी हैं लेकिन ये किसी चीज में जकड़े हुए हैं उससे आगे निकल नहीं पाते हैं। आदरणीय दवे साहब जानते हैं, आदरणीय नाथूसिंह जी जानते हैं मैं वो शख्स हूँ जो चाहे गौमाता का सवाल हो, चाहे भारतीयता का सवाल हो मैं पहले भारतीय हूँ उसके बाद मैं मुसलमान हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसी बात सदन में नहीं कहता जिससे धर्म के लोगों में, तो मैं कोई बात अपनी रखना चाहता हूँ उसको शांति से सुनें और अगर किसी को लगता है कि वो गलत बात है तो उसको चाहे आप एक्सपंज कर दीजियेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 25 में साफ है Right to Freedom of Religion. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.

ये जो बिल आ रहा है आज विधान सभा में चर्चा में है ये संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्राविजंस हैं कि जो इसमें नहीं होने चाहिए। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक सेकुलरिज्म का बड़ा हमारे संविधान में हमने सेकुलर स्टेट माना है और सेकुलरिज्म के बारे में मैं दो लाइन सुनाना चाहता हूँ जो आन्ध्रप्रदेश के हाइकोर्ट ने कहा है "The Andhra Pradesh High Court in Athiest Society V/s Govt. of A.P. observed that secularism is an ideal, an inspiration, a goal as well as striving a produce as well as a process. It is the mode of aggregation rather than segregation of syntheses rather than separatism of pluralism rather than dominance."

उस सिद्धांत को हम मानने वाले लोग हैं और इस देश में अनेकों धर्म हैं और धर्म के बारे में तो घनश्याम जी जानते हैं, धर्मशास्त्रियों के मुताबिक, मानव शक्तियों के मुताबिक, दर्शनशास्त्रियों के मुताबिक, विद्वानों के मुताबिक धर्म के क्या तंत्र हैं, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास और आस्था है, यही है न घनश्याम जी? धर्म धार्मिक प्रतीकों व पुस्तकों की पवित्रता की मानसिकता है। धर्म प्रार्थना, पूजा व अराधना में तातरमयता ... (व्यवधान)... तारतम्यता, हमारे पास बैठे हैं साहब डॉ. बुलाकीदास जी और समानता व बंधुत्व यही है न घनश्याम जी?

अब ईमानदारी से अपना मन टटोल लीजिये कि ये कितने इस बात को मान रहे हैं और धर्म के लक्षण जो मनु स्मृति में दिखाये गये हैं 10 लक्षण वो क्या हैं धैर्य, क्षमा, मन की शुद्धि, चोरी नहीं करना, इंद्रिय निग्रह, स्वच्छता, बुद्ध, विद्या, सत्य, आक्रोश और आप दोनों अनुभवी कितनी बार यहां कितना गुस्सा कर जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए और इसके अलावा श्रीमद् भागवत के अनुसार, कहां लिखा है यह भी बताऊं क्या स्कंध सात में? कहां लिखा है ये तो आपको पता होगा, अध्याय 11 के श्लोक 8 से 12 में धर्म के 30 लक्षण हैं जो 10 ये मनु स्मृति है इसके अलावा और भी हैं ईश्वर की भक्ति, सेवा, पूजा और अराधना, ईश्वर के प्रति समर्पण, स्वाध्याय, सरलता, सहजता, संतोष, आत्मचिन्तन, मौन, समदर्शी महात्माओं की सेवा, आत्म शुद्धि यही है न तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कौन से धर्म में नहीं है ये? कोई ऐसा धर्म है क्या जिसमें इनको नहीं माना जाता हो और सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति को मानते हैं उसको अल्लाह के नाम से जान लो, उसको ईश्वर के नाम से जान लो, उसको परमात्मा के नाम से जान लो, उसको गॉड के नाम से जान लो तो फिर यह फर्क क्यों? यह फर्क हम लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए कर दिया चाहे राजनीतिक स्वार्थ हो, चाहे आर्थिक स्वार्थ हो, चाहे टेरीटरी का स्वार्थ हो, कोई भी स्वार्थ हो सकता है। मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हर धर्म का कोई एक प्रचारक रहा है। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब रहे, ईसाई धर्म में ईसा मसीह साहब रहे यह अलग है कि इस्लाम धर्म मानता है कि उनके प्रचारक थे, ईसाई धर्म मानता है कि उनके पुत्र थे और जैन धर्म महावीर भगवान को मानता है और सिख धर्म गुरुनानक जी को मानता है और उसके बाद दसवें गुरु गोविन्दसिंह जी तो कह ही गये कि अब के बाद में गुरु ग्रन्थ साहिब ही सब कुछ है इन्हीं को मानना है।

कैलाश/चौहान 20.03.08 16.10 (1) 2q

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सबसे पुराने वेद पुराण है ना, क्या लिखा है सर्वधर्म सद्भाव। सभी धर्मों के प्रति आदर भाव और सम्मान, यही है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है वसुदेव कुटुम्बकम, सारा संसार एक परिवार है। उन वेद और पुराणों को मानने वाले सारे विश्व को जब एक परिवार मान सकते हैं तो राजस्थान में जैसे आदरणीय मुख्य मंत्री जी कहती हैं कि मेरी तो इच्छा है कि सब एक थाली में खाये। एक थाली का मतलब यह है कि सब एक जैसा खाये वह अलग है कि मिश्रण क्या हो और वहां आप इस तरह का बिल ला रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हम तो 90 से राजनीति में है हमने तो कहीं नहीं सुना कि कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है। कानून क्यों बनाये जाते हैं, कोई बुराई को रोकने के लिये या किसी चीज को कंट्रोल करने के लिये या जनता की समस्या के निराकरण के लिये। राजस्थान में कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुए हैं। पिछले 10-15 साल में भैरोंसिंह जी भी रह लिये, गहलोत साहब भी रह लिये, अब सवा चार साल से वसुंधरा जी के नेतृत्व में आप लोग भी बैठे हैं। तो इसकी आवश्यकता

क्यों पडी, हां यह जरूर हमने अखबारों में पढा है कि आदिवासी क्षेत्र में इतने हजार लोगों ने वापस अपना हिन्दू धर्म अपनाया। क्या उसके ऊपर किसी ने आपत्ति की। रामगढ का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक उदाहरण आया था किसी आदमी ने नवाज पढनी शुरू कर दी, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको आप एडमिनिस्ट्रेशन से पता कर लेना, उसके बाद उसके पास विश्व हिन्दू परिषद के लोग, शिव सेना के लोग और बाकी और लोग गये कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वह नहीं माना। उसके एक साल बाद गांव में कोई विवाद हो गया। जयपुर टेलीफोन कर दिया कि यहां तो धर्म परिवर्तन हो रहा है और जयपुर से फोन गये और अलवर का प्रशासन नाचता फिरा। उनको पता है क्योंकि एसडीओ वहां जाकर आये, तत्कालीन थानेदार जा कर आये पहले। उस आदमी को समझाया उसने कहा कि मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूं। क्यों कर रहा है, उसने कहा कि मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया मेरी किसी ने मदद नहीं की, कुछ आदमियों ने मदद करी मेरा तो मन बदल गया इसलिए मैंने नवाज पढना शुरू कर दिया। उसके एक साल बाद जयपुर से तार खटके और उसके बाद जो वहां पुलिस छावनी बनी और कलेक्टर और एसपी सब असहाय हो गये। हमने कहा कि उस आदमी के 164 के बयान करा दो केस मजबूत हो जायेगा। कल को कोई इसको बहका दे, 164 के बयान नहीं कराये। उसने एफीडेविट दिये और उस सरदार की आखिर में जमानत हुई। मैं ऐसा आदमी हूं मैं मानता हूं कि किसी का भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, प्रलोभन से, कपट छल से नहीं कराया जाना चाहिये, मैं इस सिद्धांत को मानने वाला आदमी हूं, बिलकुल नहीं कराया जाना चाहिये। लेकिन आप इस बिल के माध्यम से लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मैं अपना उदाहरण दूंगा हम कमेटी में साउथ में गये। हमारे सब साथी सब मंदिरों में जा रहे थे हम भी जाकर ढोक लगा कर आ रहे थे, ठीक है, अच्छा है। मान लो मैं आ कर कह दूं कि मुझे तो कालीचरण जी जबरदस्ती पकड कर ले गये तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा हो जायेगा। या कोई आदमी दरगाह में चला जाये, मान लो मेरे साथ कोई जा रहा है मैंने कहा कि बाहर कहां खड़ा रहेगा तू भी अंदर आ जा। तो क्या आप उसको यह मानोगे कि उसको प्रलोभन दिया गया, दवाब डाला। सोरी दू से जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग कराया जा रहा है स्वर्ण जातियों के द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से और जमीनों के उद्देश्य से उसी तरह से अगर किसी आदमी नेक यह कह दिया कि मुझे फला संस्था के पदाधिकारी ने प्रलोभन दिया कि धर्म परिवर्तन कर लो, आप नई समस्या खडी करने जा रहे हो, लोगों को परेशान कराना चाहते हो। टाडा का भी दुरुपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुआ, इसका भी दुरुपयोग आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ करोगे यह मेरा एप्रिहेंसन है। आप इस बिल को इसलिए ला रहे हो वरना आज आपकी सत्ता है कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहा है, किस की मजाल है कोई धर्म परिवर्तन करा जाये। मुगलों ने कितने साल राज किया जिस धर्म को वह नहीं बदल पाये, वह कमजोर नहीं कर पाये। कितने साल अंग्रेजों ने राज किया वह कमजोर नहीं कर पाये.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या हुआ ओरंगजेब का, सल्तनत खत्म हो गई, दफान हो गया, आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब है यह हमारा सनातन धर्म, हिन्दू धर्म इतना कमजोर नहीं है। सैंकड़ों साल जिन्होंने राज किया उनसे नहीं दबा तो आज किसी के प्रलोभन से और किसी के लालच से दब जायेगा। यह कानून लाकर आप उसकी कमजोर की बात कर रहे हो। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, घनश्याम जी आप तो पढे लिखे हो, नोर्थ ईस्ट कहां था, क्या परिस्थिति थी नोर्थ ईस्ट की। क्या परिस्थिति थी J&K की आजादी से पहले। जहां जहां अलग परिस्थितियां थी वहां थी, हमारे भी यहां आज यह परिस्थिति है कि आदिवासी क्षेत्रों का कल्चर मैनेटेन करने के लिये, उनके रीति रिवाजों को मैनेटेन करने के लिये हम लोगों को भी समझाते करने पडते हैं क्योंकि कहीं कहीं की आवश्यकता होती है। नोर्थ ईस्टर्न में क्या हिन्दू धर्म रहते थे। कौन गया सबसे पहले वहां, अंग्रेज गये कि हम लोग गये। आप भ्रमित मत कीजिए और तरह तरह की किताबों का हवाला दे रहे थे। यह तो लेखक है कोई किस प्रकार का प्रचार कर रहा है कोई किस प्रकार का.. (व्यवधान) आयोग की रिपोर्ट से खतरनाक तो यह अंबेडकर जी की किताब है अगर मैं उसका अंश सुना दूंगा ना तो पतंगे लग जायेंगे। मैं तो राष्ट्र भक्त आदमी हूं मैं ऐसी हल्की बात कहूंगा ही नहीं। आरएसएस के लोग चंडीगढ़ पंजाब में प्रचार करने गये थे वहां समरजीत सिंह मान ने क्या कहा था जो टैंट उखाड कर भागना पडा, मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो क्या कि उन्होंने क्या कहा था कि हमको हिन्दुओं से अलग रखने के लिये अपने आपको यह सिद्ध करना पडे कि हम हिन्दू नहीं सिख है तो हम फलां कृत्य करने को तैयार हैं। क्या कहा था, मुझ से कहलवाना चाहते हो क्या। कोई आदमी बाहर कुछ भी कहे लेकिन हमें इस पवित्र सदन में ऐसे रेफरेंसेज को कोट नहीं करना चाहिये कि जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं उनके प्रति अगर किसी ने गलत बात कह दी तो हमको इस सदन में उनके प्रति हवाला दे कर गलत बात नहीं कहनी चाहिये।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आपने कह दिया यह सिख तो सारे हिन्दुओं से ही बने हैं ना, अब अगर कोई सिख बनना चाहे तो दरखास्त दे, यही होगा ना इस कानून से तो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए आपने लिख दिया कि ओरिजनल धर्म में दरखास्त देने की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए आपने इसमें लिख दिया सैक्शन 5 में परन्तु...
(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री सभापति: जो आसन की बगैर इजाजत से बोल रहे हैं उनका आप अंकित नहीं करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, हिन्दू धर्म का कहीं उल्लेख है क्या वेद में, पुराण में, महाभारत में या रामायण में। सनातन धर्म से बने हैं। रामायण पढ़ लेते हैं क्योंकि आजकल अनुवाद में आती है। किसी भी वेद में है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्याम जी आपको पता है क्या कि वेदों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कहाँ लिखे गये थे। यह टर्की में लिखे गये थे जो आज मुसलिम राष्ट्र है टर्की वहाँ वेदों का ओरीजन हुआ है आप पता कर लेना। सनातन ही धर्म था, पहले धर्म कौनसा था। इसलाम 1400-1450 साल पुराना, ईसाई 2100-2200 साल पुराना, 300-325 साल सिख धर्म पुराना, हां आप जैन धर्म वाले जरूर कहते हो कि हम आदि काल से हैं, सबसे पहले हम हैं। लेकिन बाकी तो सनातन ही धर्म था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए हम कहते हैं आप हिन्दू धर्म की सनातन धर्म लिखिए क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना है।

ans/usc 16.20 3a 20032008

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपका मतलब यह है सिख भी हिन्दू धर्म है और जैन भी हिन्दू है और बौद्ध भी हिन्दु है (व्यवधान) टी.टी. साहब आप भी कह दीजिए जरा ताकि

आपको (व्यवधान) अकालतख्त का सामना करना पड़ेगा, बोल दीजिए आप। (व्यवधान) सिख धर्म अलग है कि हिन्दू धर्म है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):000

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):000

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय घनश्याम जी आपको मालूम है कटारिया साहब तो इतने धार्मिक और इतनी आस्था रखते हैं जैन समाज के प्रति, एक बार तो भाषण देते देते रो पड़े थे पुरानी विधान सभा में। जब जालौर में अनूप मण्डल वालों का और जैन समाज का कुछ विवाद हुआ था और सनातन धर्म के मायने तो आपको पता है ना, अनाधि व अनंत, अनाधिअनंत धर्म है सनातन, तो फिर इसमें जैन धर्म और सिक्ख धर्म और बौद्ध धर्म क्यों निकला भई। अंत ही नहीं होना चाहिए तो यह खतम करके हिन्दु कहां से आ गया। बहुत सी चीजें ऐसी है आस्था की रहती है जिनको लोग मानते हैं और argumentaly can you prove that there is a religion or there is a God. और यह तो आस्था हमारी आस्था है वरना तो आरग्यूमेंट से थोड़े कोई सिद्ध कर सकता है कि भगवान कहां है, हमारी आस्था है, मानते हैं आस्था है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):⁰⁰⁰

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक आपने मूल धर्म की बात कही परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में परिवर्तित होता है तो कोई सूचना अपेक्षित नहीं होगी। मूल धर्म क्या पैदाइशी से होगा। अगर मान लीजिए कटारिया जी जैन धर्म में पैदा हो गये तो आपका धर्म मूल आपका इनडिविजवली आपका एनसेस्टर्स कुछ हो सकता है, आपका मूल धर्म तो जैन ही हुआ ना। अब उसकाक क्या कहेंगे, मूल धर्म कौनसा माना जाएगा। आप इसको पैदाइशी रखिये। फिर तो आप सीधा एक्ट ही ले आते ना। राजस्थान में वह ही निवास करेगा जो हिन्दू धर्म अपनायेगा बाकी नहीं रहेगा, यह तो कोई प्रजातंत्र में होता नहीं है कि आपके

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

छूट नहीं दे सकते कि एक धर्म को इसलिए फिर बिल पास नहीं होगा इस पर एसेंट नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कोई भी ओरीजनल धर्म में तो आ जाओ बाकी में धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, यही है ना। अब सिक्ख धर्म को ले लीजिए, सभापति महोदय में आपसे दो-चार मिनिट और लूंगा। गुरु ग्रन्थ साहब में, आपको मालूम है ना सभी धर्मों में कितनी बार भगवान राम का नाम आया, कितनी बार अल्लाह का आया है, कितनी बार नारायण का आया है, कितनी बार परमात्मा का आया है, कितनी बार परमेश्वर का आया है, बताऊं क्या। कितने भक्तों की वाणियां हैं उसमें हिन्दू भी है, मुसलमान भी है, कबीर भी है, फरीद भी है, जयदेव भी है, रविदास भी है, सूरदास भी है, फिखरता भी है, कितने ही लोग हैं, हमारी संस्कृति वो है। आप देखिये मुगलों के खिलाफ आप तो नहीं लड़े थे, ओरगंजेब के खिलाफ, यह भरतपुर के राजा लड़े थे ना सूरजमल जी उन्होंने अपने दो, गंगा मंदिर बनाया हिन्दुओं के लिए, जामा मस्जिद बनाई मुसलमानों के लिए वो परम्परा रही है हमारे देश की और राजस्थान की। जब बाबर यहां हमला करने आया था तो हसनका मैवादी को उसने कहा था आप तो मुसलमान में भी मुसलमान, मेरे साथ लड़, उसने कहा आप आक्रमणकारी हो और राणा सांगा मेरे देश का हैं, मेरे बराबर का भाई हैं मैं इसके साथ लड़ूंगा और दोनो मारे गये, शहीद हुए, हुए ना, वह परम्परा रही है इस संस्कृति की। और आपको सुनाऊंगा। आप प्रभातजोशी को जानते हैं उनका लेख आया था जनसत्ता में। लिखते हैं मेरी मां, कर्मकुण्डी ही बोलते हैं ना, जो बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक होती है, कर्मकाण्डी थी मेरी दादी और जब ताजिया हमारे घर के आगे से निकलते थे तो मुझे छोटे से को उसके नीचे से लेकर निकलती थी और कहती थी कि इसकी रक्षा करना उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं हम। (व्यवधान) फिर आपको क्यों मुसलमानों से नफरत होने लग गई। आप इसको देखिये। (व्यवधान) आप इसका दुरुपयोग करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): साधु संत, फकीरों की, यह इंडियन सब-कोन्टिनेट की ही देन है फिर भी अगर आप मानते हो यह ताजिये यहां की रीति रिवाज है फिर भी जगह जगह क्यों नहीं ताजिए निकलने देते, प्रोसेशन रोके थे ना आपने (व्यवधान) रोक रहे हैं ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, इससे तो अच्छा होता आप जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं।

vns/usc/16.30/20.3.2008/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं/3b/1

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

चाहे सनातन धर्म को मानने वाले हो, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हों, चाहे जैन धर्म को मानने वाले हो, सिख धर्म को मानने वाले हों, इनके रिलीजियस संस्थाओं को बताओ कि अब बहुत हो चुका, अब हमको यह तय करना चाहिये। कोई किसी के धर्म परिवर्तन के लिये काम नहीं करेगा। वह एक अच्छा मैसेज जाता लेकिन आपको तो चिन्ता नहीं है धर्म परिवर्तन हो, रुके नहीं रुके, आपको तो कैसे इसका राजनीतिक लाभ लें और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करें। क्योंकि कोई भी दरखास्त दे देगा कि मुझे यह प्रलोभन दे दिया, आप संस्थाओं को वह ही कर देते ना। आपको कोई रोक रहा है क्या? यह जो मिशनरीज की संस्थाएं चल रही हैं, आप तो खतम करना चाहते हो। संस्थाओं की मान्यता रद्द कर देंगे। कोई स्टूडेंट ने आकर कर दिया, मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने किसी बच्चे को भर्ती करा दिया। दो चार साल बाद करा दी एफ आई आर कि मुझे जबरदस्ती वहां यह सिखाया जा रहा है कि आप क्रिश्चियन बन जाइये। उसका तो गया ना। मान्यता भी गयी, मुकदमा भी हो गया और पचास लाख का जुर्माना भी हो गया, क्या-क्या हो गया। आप कैसा कानून बना रहे हो इसको आप गहराई से सोचिये।

फिर मैं कह रहा हूं कि आप यह जोर जबरदस्ती को तो और बाकी क्लॉज हैं ना। यह जो इतना और इसमें क्या कर रहे हैं आप? यह भी कर रहे हैं ना गृह मंत्रीजी, कोई मर्डर कर दे तो State has to prove that he is a culprit. और इसमें एक आदमी ने दरखास्त दे दी, वह सफाई दे कि मैंने कोई गलती नहीं की। हम भुगत रहे हैं ना एट्रोसिटी वाला। आप इससे लोगों को परेशान कराओगे और आपकी नीयत सह है इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं मैं इस पक्ष का आदमी हूं कि जोर जबरदस्ती, छल कपट, प्रलोभन से कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराये इसका तो मैं मानता हूं लेकिन इस एक्ट के माध्यम से आप जो अल्प संख्यक लोगों को, अल्प संख्यक संस्थाओं को परेशान करने का आपका मन है, जो इसके ऊपर उद्देश्य है और जो मूल धर्म में तो चले जाइये। मूल धर्म कौनसा होगा? इसके पीछे आपका हिडन एजेंडा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको जनता के सामने जाने दो। जनमत जानने के लिये परिचालित करो और इसके बाद लोगों के सुझाव आएँ उसके बाद पारित करें। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित) श्री भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये मैंने प्रस्तावित किया है।

माननीय सभापति महोदय, दो साल पहले यह विधेयक पारित हुआ था और अभी राष्ट्रपति के पास विचारणीय है। इसी बिल को दुबारा सदन में रखा गया है। यह समझ से परे है कि ऐसे क्या हालात बने राजस्थान के अन्दर कि दो साल के अन्दर इस बिल को दुबारा सदन में रखना पडा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं 2004-05 में वहां समाचार पत्रों में प्रमुखता से कुछ समाचार छपे जो

विचलित करने वाले थे। वह समाचार इस प्रकार के थे कि कोटा में बड़ी मात्रा में लोगों को, बच्चों को लाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं उस समाचार को पढ़कर क्योंकि वहां का रहने वाला हूं और राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं हों तो किसी भी नागरिक का विचलित होना स्वाभाविक है। मैंने इस सम्बन्ध में तत्कालीन जिला कलेक्टर को टेलीफोन किया। मैंने जानकारी चाही कि क्या वास्तव में इस प्रकार का कुछ हो रहा है तो उन्होंने उत्तर दिया वह कुछ स्पष्ट नहीं था। वह कुछ बता नहीं पाये जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसी के आधार पर मैंने अपनी जानकारी के लिये 2005 में विधान सभा में एक प्रश्न लगाया। प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर आया है, मैं चाहूंगा कि उस उत्तर को सदन में पढ़कर सुनाऊं ताकि सदन को जानकारी हो कि क्या वजह थी? 27/10/2005 को उत्तर प्राप्त हुआ है। अतारांकित प्रश्न था। प्रश्न संख्या 3117 , गृह विभाग से मेरा प्रश्न था कि क्या यह सही है कि प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक लगाने हेतु कानून बनाना प्रस्तावित है? उत्तर दिया जी हां। प्रदेश में वर्ष 2004-05 में धर्मान्तरण के कुल कितने प्रकरण की जानकारी सरकार को है? सरकार का उत्तर है कोई नहीं। तीसरा भाग था उसका। क्या यह सही है कि फरवरी, 2005 में कोटा में धर्मान्तरण किया गया था? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई एफ आई आर दर्ज करवायी गयी है? यदि हां, तो एफ आई आर की प्रति सदन में रखें। उसका भी उत्तर था जी नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कुमार सोनी पुत्र मोहनलाल, निवासी रामपुरा कोटा की ओर से दिनांक 19/2/2005 को एक पृथक सूचना रिपोर्ट इम्मानुअल मिशन संस्थान, कोटा के संचालक सैमुअल थामस, नन इलिया शरद, विनोद एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। एफ आई आर संख्या 62/05, थाना भीमगंजमंडी, प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। चौथा इसके भाग में क्या धर्मान्तरण को लेकर कोई प्रदर्शन किया गया था? यदि हां, तो क्या प्रदर्शन करने वाले इस संस्थान के सदस्य थे, इनका उत्तर है, जी हां, प्रदर्शन किया गया था, इमानुअल संस्था के खिलाफ स्थानीय शिव सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना, प्रदर्शन, बयानबाजी आदि कर विरोध किया गया। प्रदर्शन करते समय पत्थर फेंकने व पेट्रोल बम फेंकने वालों को रोकने का प्रयास करते हुए पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। यदि हां, तो क्या इस संबंध में एफ आई आर दर्ज करवाई गई थी। यदि हां, तो एफआईआर की प्रति सदन की मेज पर रखें। दिनांक 23.2 को प्रदर्शन करते समय आक्रोशित भीड़ द्वारा समझौदा के बावजूद भी पुलिस पर पत्थर फेंकने, पेट्रोल बम फेंकने से पुलिस बल के श्री फतेहसिंह, सूबेदार, आर सी बटालियन, एसीएफ कम्पनी, राम कल्याण, कांस्टेबल, 342, इकबाल खान 908, इस प्रकार के लोग घायल हुए थे। माननीय सभापतिजी, उस समय जो इन्होंने उत्तर दिया और जो जानकारी प्रदान करी, जब इतना शोर-शराबा हुआ फिर भी प्रदेश के अंदर एक भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ और उसके बाद दो साल गुजर गये हैं, प्रदेश में किसी प्रकार का और जिस कोटा में मैं रहता हूं, जिस कोटा शहर में यह घटना घटी थी, एक घटना धर्म परिवर्तन की नहीं हुई और जो लोगबाग वहां थे, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका, इस तरह की अशांति का

एक माहौल इस शांत प्रदेश राजस्थान के अंदर बना, वह एक दुखद घटना थी, धीरे-धीरे समय के साथ वह बात गुजर चुकी थी और उसके ऊपर लोगों का ध्यान भी नहीं था। आज हम इस सदन के अंदर यह बिल लाकर जो चीज इस प्रदेश में घटित ही नहीं हो रही है...

(प्रोफेसर बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

कोई भी चीज नहीं है जिसकी आवश्यकता थी भी नहीं, उसके ऊपर दुबारा, हूबहू वही के वही शब्द, वही का वही बिल दुबारा आये, जो राष्ट्रपति के पास विचारणीय है, मैं समझता हूँ कि इसका कोई औचित्य नहीं है, सदन का समय बिगाड़ने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे और अच्छा हो कि सरकार इस बिल को वापिस ही ले ले। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य चन्द्रशेखर बैद। माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को दो हिस्सों में आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला आज यह सदन राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 को हम देखें, विधेयकों पर अनुमति, यदि कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है अथवा राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का आप जरूर अवलोकन करें और इसमें आगे चलकर कहा है Reservation for consideration of the President. Article 200 does not contemplate with the Governor shall first give his assent and when the Bill has become a full-fledged law reserve it for the consideration of the President is an alternate to giving or refusing assent to the Bill indeed in matters where reservation is compulsory that the Governor is prohibited from the giving his assent.

दुर्गा/चौहान 200308 1640 3c

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इसके बाद एक चीज और आई, आगे कहा है कि "Proof of an assent. When an Act is published in the official gazette showing that the assent to the head of the state was given on a date the factum of assent can not be challenge din any court." माननीय सभापति महोदय, मैं कहना यह चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्रीजी विद्वान हैं और हमेशा सच भी बोलते हैं। यह सही है कि हमने 2006 में इस तरीके का एक बिल पारित किया था इस सदन से, हालांकि हम लोग बायकाट कर गये थे। हमारी उसमें

कन्सेंट नहीं थी। वह बिल आपने महामहिम राज्यपाल महोदय को भेज दिया और राज्यपाल महोदय ने उस बिल को राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया। आज भी वह बिल राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग है। न तो उन्होंने हस्ताक्षर करके वापस आपको लौटाया और न उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। यह तो सही है या नहीं है। जब आज की स्थिति में एक बिल महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग है और हम उसी तरीके का दूसरा बिल ला रहे हैं तो ऐसी गलती, मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सभापति महोदय, ऐसी गलती और दूसरे राज्यों ने भी की थी। मैं यहां आपको उद्धृत करना चाहता हूँ कि आपके पास, इसमें देखें 36. State of Bihar V/s Kamreshwar AIR 1958 SC 252(265-1952 SCR 889, 37. Kerala Education Bill, AIR 1958, SC P.956. H. Pharmaceuticals Ltd. V/s Government of Bihar, 1985, 217 Para 9 SC P. 1090, Abdul Kadar Mohammad V/s Govt. of Andhra AIR 1985, 217 para 9 DB 1984(2) Andhra WR 440. यानि कहना यह चाहता हूँ कि केरल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश इनके चारों-पांचों स्टेट के बिल इसी तरीके से राष्ट्रपति और गवर्नर के पास पेंडिंग थे। न उन पर कंसेंट मिली थी, न रिजेक्ट हुए। और उसके बाद वह ये दुबारा इसी आशय के दूसरे बिल ले गये जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया है। यह मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। तो यह स्थिति न बन जाए। आज इस बिल को पास करने के बाद, कटारिया साहब, आप अपने घर तो नहीं रखेंगे, न सभापतिजी अपने घर रखेंगे, न मुख्य मंत्रीजी रखेंगी। आपको इसको वापस राज्यपाल महोदय के पास भेजना पड़ेगा। वह राज्यपाल, जब एक बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है तो इस दूसरे बिल को राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेज सकते हैं और जब एक का कोई फैसला नहीं हो रहा है तो वह उसके ऊपर अपनी सहमति भी जाहिर नहीं कर सकते हैं। इसलिये कांस्टीट्यूशनल हम यह गलत काम कर रहे हैं और यह काले बिल के अन्दर शुमार हो जाए कि कटारिया साहब जैसे गृह मंत्री के होते हुए इस तरह का एक काला कानून बना और गैर संविधानिक और गैर कानूनी काम आपके रहते हुए हुआ। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आप चाहें इस पर अपनी व्यवस्था दें, चाहे माननीय गृह मंत्रीजी, जो बात इसमें आ रही है, जवाब दें, तब दे दें, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आपका, भारत का जो संविधान है इसके आर्टिकल 200 के अन्दर साफ प्रोविजन है कि "when a Bill is pending on a Governor or a President" ऐसा बिल आप नहीं ला सकते, यह आप काम कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, इसमें जो 200 में लिखा है, उसमें यह कहा लिखा है कि पेंडिंग बिल होते हुए दूसरा बिल नहीं ला सकते, उसको पढ़ दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने यह बताया, पाँच बिल बताये आपको कि जो पाँच बिल लेकर आ गये थे। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पाइण्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर, हमारे यहां लॉ यह है कि किसी भी आथोरिटी को साइट करेंगे तो आथोरिटी पास भी होगी, उसमें से पढ़कर, यह इसमें किसी पर भी एक बता दो कि उस माननीय अपेक्स कोर्ट

ने यह लिखा है कि वह बिल पेंडिंग है और दूसरा बिल नहीं ला सकते हैं। आप कहें, जैसे कह दें, या वह आथोरिटी ले आयें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी नॉलेज में, सरकार की नॉलेज में आथोरिटी का नाम, पता सब बता दिया। आप आथोरिटी देख लें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नो, नो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सही हो तो मानें, नहीं हो तो मत मानो। आपको सब सुविधा है। (व्यवधान) आपको सब सुविधा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो एडवोकेट हैं। You know it very well.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मंगवा लो आथोरिटी को। मानने योग्य है तो मान लो और नहीं मानने योग्य हो तो मत मानो। आथोरिटी मंगवाओ ना। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कोई भी आथोरिटी साइट करेंगे, आथोरिटी साथ होगी। (व्यवधान) ऐसा नहीं होता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह कहना चाहते हो, आपने बोल दिया जो हम तो देखेंगे ही नहीं। मत देखो तो मत देखो। आपकी मर्जी है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह आथोरिटी साइट करें, लॉ यह है कि वह आथोरिटी आपको साथ लानी पड़ेगी। जैसा आपने पढ़कर बताया, 62, सुप्रीम कोर्ट, वैसे आपको वह आथोरिटी पढ़कर बतानी पड़ेगी कि इस आथोरिटी में यह लिखा हुआ है। यह आथोरिटी नहीं है इनके पास।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप चाहो तो पढ़ो और नहीं चाहो तो मत पढ़ो। मानों तो मानो और नहीं मानो तो मत मानो। आपको यह सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानना। मैं जानता हूँ आपको तो वह भी नहीं मानना। काहे को बहाना ढूँढ रहे हो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, आप बीच में नहीं बोलें। माननीय सभापतिजी की आज्ञा से, सभापतिजी की आज्ञा से बोल रहा हूँ। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो कोई भी आथोरिटी साइट करेगा Neither in the High Court nor in the Apex Court. वह आथोरिटी साथ नहीं है तो साइट करने का राइट नहीं है। दूसरा मैं चलेज करता हूँ कि इन पांचों आथोरिटी में जो आप कह रहे हो, वह लिखा हुआ हो तो कहें जैसे कर दूँ। यह मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह आप देख लें, सेक्शन 200, आर्टिकल 200 देख लें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि आपके भारत के संविधान में, इनको कहना चाहिए अपने भारत के संविधान में। बारबार आपके भारत के संविधान में, आपके भारत के संविधान में कह रहे हैं। मतलब क्या है आपका। (व्यवधान) अपने भारत के संविधान में, आपने बारबार इस बात को कहा है, आपके भारत के संविधान में। क्या आपका भारत नहीं है क्या।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कभी नहीं कहा मैंने यह।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, आप बैठिये। यह जो सैक्शन साइट करते हैं, कांस्टीट्यूशन में कोई सैक्शन है ही नहीं। कांस्टीट्यूशन में कभी कोई सैक्शन नहीं बनाया, आर्टिकल बनाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर्टिकल बोला है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आर्टिकल 200 में यह लिखा हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर्टिकल 200 बोला है, आप गौर से सुन लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हां, सुनाओ, हां सुनाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दुबारा सुन लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हां, सुनाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर्टिकल 200 बोल रहा हूं और इंडियन कांस्टीट्यूशन का पेज 757 देख लें, आप पहले। आप देख लें यह, मैंने तो पढ़ दिया। और आपके कहने से बारबार नहीं पढ़ूंगा। मेरी मर्जी से पढ़ूंगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ये नहीं पढ़ सकते हैं। ये पढ़ें तो मेरा (व्यवधान) आर्टिकल 200 में यह लिखा हुआ है तो मेरा चैलेंज है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सरकार कानून को देखना ही नहीं चाहती है, कानून को देख लेती तो बिल ही नहीं लाती।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिल ही नहीं लाती, यसा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिल ही नहीं लाती, कानून देखना ही नहीं चाहती।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आर्टिकल 200 में पढ़कर सुनाता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप एक मिनट बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आर्टिकल 200 में पढ़कर सुना रहा हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): आर्टिकल 200 में (व्यवधान) एक बार वापस रिपीट कर दें, वापस पढ़कर सुना दें, आर्टिकल का जो आपने उल्लेख किया है एज-इट-इज जैसा बुक में है, वैसा आप पढ़कर सुना दें वापस।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, सुन लें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अभी अनिताजी के कहने से तो सुना देंगे। जोगारामजी के कहने से नहीं सुनाते।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना यही आपको चाह रहा हूं कि जब...।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरे पाइण्ट आफ आर्डर का निर्णय करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे पाइण्ट आफ आर्डर का निर्णय करें आप। आप अपनी व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या जरूरी है। कोर्ट थोड़े ही है। (व्यवधान) ना, ना, कोई जरूरी नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, It is nobody upto you to decide. You have no authority. Hon'ble Chairman is an Authority.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई जरूरी नहीं है कि कानून बता दो, वह यहां रखना पड़ेगा। (व्यवधान) ऐसे ही आप कह दें वह कानून थोड़े है। (व्यवधान) आप बोल देंगे, वह कानून नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरा पाइण्ट आफ आर्डर सभापतिजी के पास है। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर सभापतिजी के पास है, सभापतिजी निर्णय करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आर्टिकल 200 आपने बोला है उसको एज-इट-इज पढ़ दें। (व्यवधान) आर्टिकल 200 आपवापस रिपीट कर दें, पढ़कर सुना दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य बैठें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सुनिये, बैठिये, एक मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरा निवेदन सभापतिजी से है, आपसे नहीं है।

श्री सभापति: आपका विषय आ गया। आपका विषय आ गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, हाउस मेरे कब्जे में है। हाउस का फ्लोर मेरे कब्जे में है, आप बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरे को सभापतिजी ने अनुमति दी है। मैं सभापतिजी की अनुमति से बोल रहा हूँ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं अपनी बात कह दूँ। (व्यवधान)

श्री सभापति: लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिये, आपकी बात आ गई है। आगे बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने आर्टिकल को गलत कोट कर लिया था। स्वीकार कर लिया। क्यों पीछे पड़े हुए हो, इन्होंने स्वीकार कर लिया, गलत कोट किया था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसने कह दिया, किसने स्वीकार कर लिया। कोई स्वीकार नहीं किया, गलत बात।

श्री सभापति: मैंने सबकी बात सुन ली है, आगे बोलिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था कि हमारा इंडियन कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल 200 यह कहता है कि जब कोई विधान सभा और जहां दोनों सदन हैं, कोई विधेयक पारित कर देंगे तो वह राज्यपाल को उसकी सहमति के लिये भेजा जाएगा और राज्यपाल या तो उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर देगा या उसमें किसी पर आब्जेक्शन हो तो उसको वापस आपको सुधार करने के लिये भेज देगा, जैसा

गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया और तीसरा यह कि वह उस पर विचार लेने के लिये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज देगा। हमने 2006 में जो विधेयक पारित किया वह विधेयक हमारा आज की तारीख में राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग है। और वह वहां से स्वीकृत होकर के नहीं आया। मैंने आपको आगे कहा, बाकायदा उदाहरण दिये हैं कि पाँच केस मैंने आपको बताये, एक मैंने आपको बताया केरल का एजुकेशन का, ए.आई.आर. 1958, मैंने नाम बताया और सुप्रीम कोर्ट पेज 956, दूसरा मैंने आपको बताया H. Pharmaceuticals Ltd. V/s Government of Bihar, 1985, 217 Para 9 SC P. 1090, Abdul Kadar Mohammad V/s Govt. of Andhra AIR 1985, 217 para 9 DB 1984(2) Andra WR 440. यानि कहना और यह है आन्ध्र-प्रदेश।

Vps-usc-20.03.2008-16.50-3d

यह बताये हैं। जो आप पढ़ लें, क्या फैसले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। इन सबके फैसले, मैं यह पेश नहीं कर सकता पूरे, मैंने आपको उदाहरण दे दिया। मैं कुल मिलाकर यह बात कहकर ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): संक्षेप में बता दो कि क्या बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संक्षेप में बता रहा हूँ कि यही कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बता दीजिए आप कि मान लो आज आपने यह बिल पास कर लिया। उसको आप अपने घर तो नहीं रख सकते। इसको भी भेजेंगे राज्यपाल महोदय के पास। तो राज्यपाल महोदय एक बिल को जब राष्ट्रपति भवन में भेज चुके हैं तो एक तो राष्ट्रपति राय के लिए भेज चुके हैं और एक पर आपको दस्तखत करके दे देंगे? नहीं देंगे। क्या होगा फिर आप खुद बता दीजिए। क्या कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस नहीं होगा क्या? ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे आप बता दो। मुझे आप यह बताओ कि अपनी यह सभा कानून बनाने के लिए है और अपन ने कानून बनाकर भेज दिया तो या तो हां करें या ना करें। यदि कोई ना नहीं करें तो क्या करें?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कौन हां-ना नहीं करें?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां भी नहीं करें और ना भी नहीं करें तो क्या हम मतलब हेल्ड होकर बैठ जाए? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा इस पर भी यही, एक मिनट सुनो जुबेर साहब, ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप अब फाइल भेजते हो न मुख्य मंत्रीजी के पास, वह न करती हैं और न कुछ करती हैं, न हां, और ना, उनका क्या करते हो? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पेंडिंग नहीं कर देती ? क्या करते हो? एक मिनट माननीय सभापति महोदय,

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या करते हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसे कैसे कर दें, यह काम ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दुबारा पेश करते हैं? माननीय सभापति महोदय, मुख्य सचेतकजी ने एक बात कही, ठीक है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पर यही कर दिया तो फिर क्या करोगे आप? इस पर भी यही कर दिया तो फिर क्या होगा? ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह काल्पनिक बातें नहीं होती यहां पर ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, यह काल्पनिक बात ... (व्यवधान) आगे का पेंडिंग पडा है कि नहीं पडा है? अब अपनी बातें नहीं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सभा संवैधानिक है ... (व्यवधान) जो संविधान के तहत हम जो रूल्स बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, उस पर कोई रोक लगी नहीं है ... (व्यवधान)।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप या तो कांस्टीट्यूशन की बात करो या तो आप कानून की बात करो। लूनी से आने वाले माननीय सदस्य वकील हो सकते हैं। वकील हैं तो हमें बता दें। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बता दें कि कहां है? ... (व्यवधान) महामहिम राज्यपाल ... (व्यवधान) इसलिए है कि ना करें? अपनी राय भेजें। ... (व्यवधान) यह थोड़े ही है कि उसको लेकर बैठ जाए। ... (व्यवधान) या तो ना करें या अपनी राय भेजें। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, यह मुख्य सचेतकजी आपका विषय नहीं है। होम मिनिस्टर साहब जो है उसमें फुली काम्पिटेन्ट हैं। वह जवाब दे देंगे मेरी बात का। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह जवाब तो दे देंगे पर आप कांस्टीट्यूशन के किसी प्रोविजन में बता दो कि जहां पर बिल पेंडिंग होते हुए नया बिल नहीं ला सकते। इसके साथ मेरा निवेदन तो सुनें ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संसदीय कार्य मंत्रीजी, ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरा निवेदन तो सुनिये आप। इसके साथ आर्टिकल 367 को पढ़ लो ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पढ़ लिया मैंने। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इंटरप्रीटेशन, वह कहता है और क्या आर्टिकल 367 के तहत ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने पढ़ लिया। आप जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, मैं भी उसी क्लास में आपके साथ पढ़ा हूँ। हां। माननीय सभापति महोदय, लाइये आप

बता दीजिए। मुझे कोई ऐसा कि एक आपका पेंडिंग हो और दूसरा राजस्थान विधान सभा के इतिहास में दूसरा बिल पास किया हो, बताइये। मैं आपको चुनौती देता हूँ। क्या बात करते हो आप? बताइये आप मुझे। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नया इतिहास रचने का काम हम कर रहे हैं। नया इतिहास रचने का काम इस हिन्दुस्तान की धरती पर यह राजस्थान की विधान सभा कर रही है। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इतिहास तो यू.आई.टी., अजमेर में रचो। इतिहास तो आप यू.आई.टी. अजमेर में रच रहे हो। रच रहे हो। इतिहास तो हाउसिंग बोर्ड, रच रहे हो इतिहास। कहां इतिहास रच रहे हो, मत कहलाओ। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पूरी कैबिनेट जो है वह अपनी कोई भी सिफराशि भेजती है महामहिम राज्यपाल महोदय के पास ... (व्यवधान) मैं वह कह रहा हूँ कि ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मुझे तो एक मिनट, ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि कैबिनेट ने अपना कोई भी प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के यहां भेजते हैं वह ना कर देते हैं, हां कर देते हैं, यदि वह हां, ना नहीं करें तो क्या यह कैबिनेट दुबारा वहां नहीं जा सकती? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से विद्वान मुख्य सचेतकजी और सारे मंत्रियों से यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान के संसदीय इतिहास में, 60 साल में कोई एक उदाहरण बता दें कि एक बिल पेंडिंग रहा हो राष्ट्रपति भवन में या राज्यपाल महोदय के पास और आप दूसरा बिल लाये हो और एक उदाहरण इसके अलावा आप बता दें मुझे। ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मैंने भी बता दिया। मना कहां किया? ऐसा नहीं हो सकता, यह बता दो आप। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप भी ऐसा कोई प्रोविजन बता दो कांस्टीट्यूशन में, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता दो, कोई हाई कोर्ट का फैसला बता दो, जिसके अन्दर हम कानून नहीं बना सकते, उसकी पाबंदी हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): या कांस्टीट्यूशन बता दो, उसमें मनाही आयी हो। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसकी पाबंदी हो तो बता दो। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप एक बिल पहले ही होते हुए नया दूसरा सेम वह का वही बिल नहीं ला सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यहां ... (व्यवधान) जहां संविधान में स्पष्ट नहीं हो, जहां संविधान में किसी चीज का स्पष्ट उल्लेख नहीं है वहां आर्टिकल 367 के अनुसार इण्टरप्रिटेशन की बात आती है तो जनरल क्लॉज को आप देखो और जनरल क्लॉज के हिसाब से ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 14 या 15 को देखो। ... (व्यवधान) 14 और 15 कहते हैं कि हमें ... (व्यवधान) हमारा काम विधायिका का है। हमें यहां विधान बनाने का काम है। उस काम को पूरा कर रहे हैं इसलिए बिलकुल ठीक है यह। ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक भी अथोरिटी बता दें, आर्टिकल बता दें। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पाँच साल में तो यह ... (व्यवधान) आज कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब यह मेरे से पूछ रहे हैं, मैं लॉ-मिनिस्टर हूँ क्या यहां पर? यहां पर यह सब मुझसे आप कह रहे हैं, बता दें, आप बता दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप साइड कर रहे हो न। आप इसकी साइड कर रहे हो न ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सवाल है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से खुद पूछ रहा हूँ कि ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप साइड कर रहे हो न इसकी। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप ऐसा करना, आप ऐसा करना कि आप आठ महीने के बाद मुझसे पूछना, मैं हर बात का जवाब दूंगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष: बोलो-बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कितने महीने के बाद मैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, आठ महीने के बाद पूछना और मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आज तो आपको पता नहीं है न? आज तो आपको पता नहीं है न? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बता दो न। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप माथा मत लगाओ, इनको बोलने दो ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आज तो पता नहीं है न आपको ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय सभापति महोदय, इनसे यह पूछिये कि ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब मेरा समय शुरू होगा अब। नहीं, होगा अब ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप जब हमारे साथ रहते हो न तब तो राज में रहते हो, हमारे खिलाफ जाते हो तो राज में नहीं रहते हो आप इसलिए आपका मूल ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे आपने खूब प्रलोभन दिये मंत्री बनाने के। राजेन्द्र सिंहजी आ गये, सांवरलालजी आ गये और हमारे रामनारायणजी विश्‍नोई दूसरे लोग आ गये। माहिर आजाद ने आपका मंत्री पद ठुकरा दिया और उस वक्त भी कांग्रेस के साथ रहा और आज भी हूँ। मैं फासिस्टवादी और साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जा सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुनिये, मूल धर्म में वापस आओगे कि मंत्री बन जाओगे? ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप लोट कर आओ माहिर साहब। लोट कर आओ, माहिर साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आह-आह, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से तो आप कांग्रेस के विरोधी रहे हैं ना? मूल रूप से तो आप कांग्रेस के विरोधी रहे हैं न? ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह दिन याद करो आपकी जवानी, जो आपने कांग्रेस के विरोध में निकाली, वह दिन याद करिये विश्वविद्यालय के इसलिए कह रहे हैं। इस सदन में कह रहे हैं, यहां लोट कर आओ। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजेन्द्रजी, आपका चरित्र, आप चूरू में तो ताज़ियों पर छबील लगाते हो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब भी लगाता हूँ। अब भी लगाता हूँ। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनाम बांटते हो और जब आर.एस.एस. वाले आते हैं तब कहते हैं कि मेरा मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी भी लगाता हूँ। अभी भी लगाता हूँ। 20 साल से लगा रहा हूँ। अभी भी लगा रहा हूँ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इन सब बातों को छोड़ो। आपको मैं जानता हूँ। आप मुझे जानते हो। बिना कपड़ों के भी देखा है आपने ओर मैंने एक दूसरे को। इस गहराई में मत जाइये। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब ज्यादा आगे मत बढ़ना। ज्यादा आगे मत बढ़ना। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, उससे आगे नहीं जा रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह कौनसा कमरा है जिसमें आप दोनों बगैर कपड़े के रहे थे? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने भी आपको बी.जे.पी. के खिलाफ कालवी साहब की रैलियों में देखा है इसलिए आप मत जाओ और यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से रामनारायणजी डूडी कहां थे? कहां थे रामनारायणजी डूडी? बताओ आप? गंगारामजी कल तक हमारे साथ, यह कहां थे? उपाध्यक्षजी, रामनारायणजी, इसलिए इस गहराई में मत जाइये। आप इस बिल पर ही चर्चा करने दीजिए आज। ... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है। बढ़ा देते हैं और अब मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस बिल पर लगभग 36 माननीय सदस्य बोलेंगे। उसके बाद मैं दो और अधिनियम आने वाले हैं, कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करें और माननीय सदस्य को मानसिक रूप से परेशान नहीं करें आप लोग।

विधेयक पर विचार

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): थैंक्यू साहब। आसन का धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, माननीय घनश्यामजी, राजेन्द्रजी से यह तो पूछ लो कि यह राजेन्द्रजी और माहिर आजाद साहब कौन से सर्किट हाउस में बगैर कपड़ों को सोये थे। ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तो हॉस्टल में रहते थे यूनिवर्सिटी में।... (व्यवधान) हम तो हॉस्टल में साथ रहते थे। आप कहां, जब तो बच्चे थे आप। हां।

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा जब आज की तारीख में एक बिल पेंडिंग है तो सिद्धांततया और कानूनी तौर पर हमको बिल नहीं लाना चाहिए था और फिर भी चूंकि मैं मानता हूं कि इसका पॉलिटिकल कम्पेलशन है, आप लोग अपने दिमाग से तो चलते नहीं हो, आपका दिमाग तो नागपुर है।

नागपुर से आपको निर्देश मिलेंगे वह आपको करने हैं और हाथ खड़े कर रहे हैं, आपको तो चाहे वह सही हो चाहे गलत हो इसलिए जब आप इसको ले ही आये तो फिर मैं उस बिल के संबंध में कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। करना यह चाहता हूँ और उससे पहले मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, माननीय सभापति महोदय, यहां हमारे गृह राज्य मंत्रीजी अमरारामजी बैठे हैं, हमारे सुरेन्द्र गोयलजी, मंत्रीजी बैठे हैं, हरिश कुमावतजी चले गये और भी कई पुराने माननीय सदस्य हैं। आप इनको पूछ लें यहां पर बैठे हैं, यह चश्मदीद गवाह है। जैसा जुबेर भाई ने कहा, मैं भी उन लोगों में से हूँ। जब हम कमेटी ट्यूर पर गये तो मैंने रामेश्वरम् में, पूछ लो इनसे 22 कुण्डों का स्नान किया या नहीं किया?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): किया-किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनसे पूछ लीजिए आप। यह गवाह है, मैं हर साल तिरूपति बालाजी के दर्शन करने जाता हूँ और तिरूपति ... (व्यवधान) सुनिये-सुनिये आप। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माहिर आजाद साहब ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): हिन्दू धर्म में आस्था है इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी हिन्दू धर्म में बहुत अस्था है और हम यह मानते हैं कि ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह देखिये, यह देखिये इसलिए जो नये मैम्बर्स आये, जिनको जानकारी नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माहिर आजादजी, आप गंगा सागर भी गये कलकत्ता गये, नहीं-नहीं, वहां पर चाँदी की थाली में किसने खाना खिलाया और आपको किसने खिलाया, यह बताओ? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गंगासागर भी गया हूँ। वह अलग बात है। माननीय सभापति महोदय, सही कह रहे हैं। मैं गंगासागर भी गया हूँ क्योंकि सुना है कि सारे तीर्थ बारबार, गंगासागर एक बार। मैं हर साल तिरूपति बालाजी जाता हूँ और बृहस्पतिवार के दिन जाता हूँ। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि बाकी दिन तो बालाजी के दर्शन होते हैं केवल यही तक होते हैं और बृहस्पतिवार को उनका मुकुट ऊँचा कर दिया जाता है तो नेत्र सहित दर्शन होते हैं। बृहस्पतिवार को दर्शन करने जाता हूँ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक ही जगह नहीं गये, सब जगह गये हैं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक ही जगह नहीं, सब जगह। तो मैं आपको निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि हिन्दुस्तान का शायद कोई तीर्थ बचा नहीं होगा जहां हम नहीं गये हो और पूरी आस्था के साथ नहीं गये हो इसलिए मैं आपसे यह निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि यह बात ... (व्यवधान) आप सुन रहे हो यह बात? अब यह सुन रहे हो यह बात?

श्री सभापति: कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेगा, मैं बाहर निकाल दूंगा। ... (व्यवधान)

spp/usc/20. 3. 2008/17. 00/3e

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, सभापति महोदय, कोई धर्म उठाकर आप देख लें। हिन्दू धर्म में जब यह भजन शुरू करते हैं तो कहते हैं जय जगदीश हरे। जगदीश यानि पूरे जगत का ईश्वर। हिन्दू ईश नहीं कहा है, केवल हिन्दुओं का ईश्वर और इस्लाम मजहब में जब कुरान की तिलावत शुरू की जाती है तो पढ़ते हैं अलहमदू लिल्लाहे रब्बील आलमीन, रब्बू मुसलिम नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का रब, रब्बू आलमी यानि पूरे आलम का। छोटी सी बातकहता हूँ कि एक ट्रेक्टर होता है, उस ट्रेक्टर में एक स्टेयरिंग होता है। उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। हम उस ट्रेक्टर में दो स्टेयरिंग लगा दें एक आगे और एक पीछे और दो ड्राइवर बिठा दें। दोनों ड्राइवरों को कह दें कि ट्रेक्टर चलाओ, क्या ट्रेक्टर चल सकता है? घनश्याम जी, जब एक छोटा-सा ट्रेक्टर दो ड्राइवर होने पर नहीं चल सकता तो इस दुनिया को, इस संसार को, इस प्रकृति को, इस कुदरत को, इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति भी दो नहीं हो सकती। इसको चलाने वाली ताकत एक है। चाहे आप उसको खुदा कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे God कह दो। एक शायर के अलफाजों में मैं कह सकता हूँ। एक शायर ने सही कहा है कि कितने अवतार हुए, कितने पैगम्बर आये ..(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप बैठिये। आप नीचे बैठिये। ..(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब एक और विद्वान खड़े हो गये।..(व्यवधान)..

श्री सभापति: मैं फिर दुबारा आपसे कह रहा हूँ बैठिये। (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सारा फलो खत्म कर दिया। मैं यह निवेदन कर रहा था एक शायर ने सही कहा है कि -

'कितने अवतार हुए, कितने पैगम्बर आये,
कितने अवतार हुए, कितने पैगम्बर आये,
तू न आया, पर तेरे पैगाम बराबर आये।

सारे महापुरुष उसका संदेश लेकर आये। सबका संदेश एक है। मैं भी इस बात का समर्थक हूँ कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिये। चूंकि धर्म बना है, सभापति महोदय, धारणा से। धर्म की जो उत्पत्ति हुई है धारणा से, कि आदमी की क्या धारणा है, वह क्या धारण करता है? उसकी नियति क्या है? मैं उदाहरण आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी की अपनी धारणा होती है, उसका विश्वास, आत्म-विश्वास होता है। मेरी माताजी है, 75 साल की हैं। उन्होंने आज तक एलोपैथिक दवा नहीं ली, वह होम्योपैथी की दवा लेती हैं। उनका विश्वास होम्योपैथी में है। मेरे पिताजी ने कभी एलोपैथी की दवाई नहीं ली, वह आयुर्वेद और यूनानी दवा, जड़ी-बूटी वाली दवाई लेते हैं। बुखार हो गया तो वह जोशांदा पी लेते थे और काढ़ा पी लेते थे। उन्होंने वैसा इलाज लिया। मैं डायबिटिक हूँ। मैं बिना एलोपैथी के जिंदा नहीं रह सकता। मैं एलोपैथी इंसुलिन लेता हूँ तो यह अपनी अपनी धारणा है। कई बार आदमी ऐसा भी करता है कि एक चीज से फायदा नहीं होता है तो दूसरी चीज भी करता

है। आप किसी निःसंतान व्यक्ति की कल्पना करके देखो कि कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसकी शादी हुए 8-10 साल हो गये और उसके संतान नहीं है तो, सभापति महोदय, आप उसको कहीं भी भेज दोगे न, कहीं किसी का हाड़ गढ़ा हुआ है और वहां कह दो हाड़सा बाबा की मजार है तो वह वहां भी चला जायेगा चादर चढ़ाने के लिये कि शायद मुझे यहां से संतान प्राप्त हो जाये। वह धर्म नहीं देखेगा, वह तो कैसे उसके संतान पैदा हो, उसके लिए जाएगा। लेकिन वह जा रहा है किसी के बताये हुए रास्ते पर। आज मैं मेरे पड़ोस में, जहां मैं रहता हूँ घाटगेट पर, बहुत सारे ऐसे अग्रवाल समाज के लोग हैं जिन्होंने जैन पंथ स्वीकार कर रखा है। कटारिया साहब, आप एग्नी करो, हैं कि नहीं? बताइये आप। औरी आप इस बात को कानून में ला रहे हो कि जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं निहायत अदब से आपसे पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री महोदय, 18 अप्रैल, 2005 को R. S. S. के प्रमुख आदरणीय के.सी.सुदर्शन जी कहां थे? आपके पास तो प्रोग्राम रहता है न, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवें, नेता आवें, अपने महापुरुष आवें तो उनका बकायदा प्रोग्राम रहता है। वह कहां थे? वह थे अमरापुरा आश्रम, ब्यावर में। वहां क्या कर रहे थे? आपको भी पता है, हमें भी पता है। नहीं पता हो तो मैं बता दूँ क्या कर रहे थे? वहां जो लोग थे, उनका शुद्धिकरण कराकर वापस उनको हिन्दू धर्म के अंदर शामिल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तारीख भी बता दी, जगह भी बता दी, नाम भी बता दिया। माहिर आजाद और जुबेर खान, हम हिन्दुस्तान के सारे तीर्थों में जा आये आस्था से तो तो आपको मंजूर और अगर कोई हिन्दू कह दे कि मैं भी आज ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर चढ़ायाऊँ। मैंने मन्नत मांगी है तो वह आपको अच्छा नहीं लगे। कहो, कि यह काहे का हिन्दू है, यह वहां जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिये प्लीज। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ...(व्यवधान).. सभापति महोदय, मुझे इनसे बचा लो आप। मुझे इनसे बचा लो आप। ..(व्यवधान).

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। आप लोग बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह बात कर रहे हैं कि कलमा नहीं आता होगा। मैं पूरी कुरान सुनाऊँ क्या कंठस्थ यहां? पूरी कुरान सुनाऊँ (व्यवधान)...

श्री सभापति: जब आपका नम्बर आवे, तब बोल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गीता के श्लोक सुनाऊँ? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रामायण का श्लोक सुनाऊँ, किसका सुनाऊँ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं सुनाऊँ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां सुनाओ, सुनाओ। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बैठिये। ..(व्यवधान)..

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, आज तो यह सब वोट के लिए तो कलमा पढ़ लेंगे। अगर इनको पता पड़ जाये ना कि मुसलमानों के 10 प्रतिशत वोट मिलना है तो यह सब आर.एस.एस., बीजेपी, सब कलमा पढ़ लेंगे, रात की रात पढ़ लेंगे,

क्योंकि वोट के लिए तो बिल ला रहे हो। वोट के लिए कलमा पढ़ा, धन्यवाद, महाराज जय हो। वोट के लिए कलमा तो पढ़वाया मैंने आपको। मैं, सभापति महोदय, ..(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे यहां तो हैं। हमारे यहां तो वो ही वो हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं-नहीं, हम तो स्वेच्छा से मान रहे हैं। हम उसकी नहीं मान रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर आर एस एस के प्रमुख आर्वे और 1972 के पहले मेवात क्षेत्र में इस तरीके के कार्यक्रम होते थे, अब तो मेव जागृत हो गये, पढ़-लिख गये और शिक्षित हो गये। और आज ब्यावर को केन्द्र आपने बना रखा है। मैं यह कहता हूं उसको तो आप अच्छा माने, उसके लिये तो आपका बजट में भी प्रावधान है, नहीं हो तो आर.एस.एस.में मुझे बता देना। आदिवासी क्षेत्र में अगर ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करे तो वह आपको अच्छा नहीं लगे। या कहीं बाइमेर में तबलीगी जमात चली जाये तो आपको बुरी लगे, जबकि वह या तो आसमान के ऊपर की बात करते हैं या जमीन के नीचे की, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मैंने उस रोज भी कहा था वह या तो यह कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो कब्र में आपका जन्नत से ताल्लुक कर दिया जायेगा और आप खुदा के खौफ से डरो, खुदा आसमान के ऊपर है। वह बात ही नहीं करते दुनियादारी की। लेकिन आपको उनसे डर लगता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिये। मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे कोई उदाहरण बता दें कि पाँच साल, आपसे पहले 1998-2003 तक का राज इस राजस्थान में कांग्रेस का रहा, उस कांग्रेस के राज में कहीं धर्मान्तरण हुआ हो। कहीं एक जगह या कोई ग्रुप में या इंडिजुअल या कैसे भी कहीं धर्म परिवर्तन किया हो, आप मुझे बता दें। आपका चार साल से, सवा चार साल से राज है। इन सवा चार साल के अंदर बता दो कि कहीं इस तरीके की घटनाएं हुई हों और उसको आपने रोकने का काम किया हो। आप हमारा धर्म निरपेक्ष जो तंत्र है ..(व्यवधान)... राज का कोई धर्म तो है नहीं ..(व्यवधान)... हमारा राज का तो कोई धर्म नहीं है। हम तो ..(व्यवधान)...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कोटा याद कर लो, कोटा। उस समय फोर्स लगी थी वहां। ..(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और कुछ कहना हो तो कह लें, मैं रुक जाता हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जब एक भी इस तरीके का उदाहरण हमारे सामने नहीं आया, फिर हम इस तरीके का कानून काल्पनिक तौर पर, कल्पना के तौर पर बना रहे हैं। हमारा पोलिटिकल कम्पलशन हो सकता है, यह बात मानता हूं। मैं कई बार कई जगह मेरे मुसलिम भाई कहते हैं कि मदन दिलावर जी ने यह किया। मैं कहता हूं उनसे कि यह बताओ अगर वह यह काम नहीं करेंगे तो उनको हिन्दू वोट कैसे मिलेंगे? मुस्लिम लीग तकबीर अल्ला हो अकबर का नारा नहीं लगाये तो उसको मुसलमान वोट क्यों देगा? वह धर्म निरपेक्षता और सेक्युलरिज्म का तो आपका पालिटिकल कम्पलशन है और वह मैं यहां उद्धृत नहीं करना चाहता। एक मीटिंग के अंदर बात भी आ गयी थी। कटारिया साहब गुस्सा भी हो

गये थे कि रखवाओ तो रखवाओ, नहीं रखवाओगे तो मैं कह दूंगा। यह सही बात कह देते हैं ईमानदारी की। तो यह बिल रखना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस उद्देश्य से आप रख रहे हो कि इस उद्देश्य से आप दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित कर सकें या दूसरे धर्म के लोगों को नाजायज तौर पर डरा-धमका सकें, उनको कानून का डर दिखाकर फंसा सकें या आप इस धर्म के नाम पर कि हम धर्म स्वातंत्र्य बिल ले आये, हिन्दुओं के वोट आप बहुमत में ले सको, इन दोनों में से किसी मकसद में आप कामयाब होने वाले नहीं हो, क्योंकि प्रदेश की जनता अच्छी तरह से इस चीज को जान चुकी है। अपने पहले भी मंदिर बनाने के नाम पर ईंटें इकट्ठी की और पैसा इकट्ठा किया। मैं बड़े अदब से पूछ रहा हूँ वह कौनसे गोदामों में रखी हुई हैं? कहीं रखी हुई है? किसके गोदामों में रखी हुई है? वह पैसा कौनसे बैंकों में है? नेशनल बैंक में है कि सेंट्रल बैंक में, यूको बैंक में है, कहां है? इसलिए यह नहीं, यह सारी चीजें छोड़ दीजिये। भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आपको अनुशासित पार्टी कहती थी, सैद्धांतिक पार्टी कहती थी, वह सिद्धान्त सब खत्म हो गये। आपका पॉलिटिकल कम्पलेशन तो यह है कि कैसे वोट लें, कैसे राज करें और उसके लिए अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो आप स्वयं अनैतिक कार्य करते हुए नहीं चूक रहे हो। ..(व्यवधान)... मैं इसलिए यह बात आपको, सभापति महोदय, कहना चाहता हूँ कि जुबेर खान के दो बच्चे हैं, मेरे भी एक बच्चा है, राजेन्द्र जी राठौड़ जानते हैं। 1985 में ऑपरेशन करा लिया नसबन्दी का। भले ही उस वक्त हमको मुल्लाओं ने कहा होगा, आप काफिर हो गये, फलानां हो गये, क्यों ऑपरेशन कराया? लेकिन हमारी अपनी एक सोच थी कि आबादी लिमिटेड रहनी चाहिये और हमने उस चीज को अपनाया। अब आर.एस.एस.कहे कि यह मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और फिर सुदर्शन जी कह दें कि नहीं, आप पाँच पाँच बच्चे पैदा करो तो आप उसको जायज करार दे दो। यानि जो बात दूसरा कहे तो गलत और आप कह दो तो सही। इसलिए मेरा निहायत अदब के साथ आपसे निवेदन है कि आप वोट के लिए, सत्ता के लिए अपने सिद्धान्तों को बेचने का काम मत कीजिये।

Msr/usc/1710/3f/20032008/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं/1

और आप कह दो तो सही इसलिए मेरा निहायत अदब के साथ आपसे निवेदन यह है कि आप वोट के लिए, सत्ता के लिए अपने सिद्धान्तों को बेचने का काम मत कीजिए, आपके जो सिद्धान्त हैं उन पर ही रहिये। कभी आप महाराष्ट्र के अन्दर सम्मेलन करते हो तो आप सोशलिज्म और सैक्युलर उसको अपना लेते हो और फिर दो सीट रह जाए तो फिर आप कट्टरपंथ की तरफ चल जाते हो। आज आप गुजरात के पैटर्न की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, नाम तो हिमाचल का ले रहे हो कि हिमाचल ने पास कर दिया लेकिन आप जाना चाहते हो गुजरात के पैटर्न पर।

माननीय सभापति महोदय, मैं साफ तौर पर यह बात कह सकता हूँ कि गुजरात और राजस्थान में फर्क है, ना यहां सोहराबुद्दीन है ना यहां पर एनकाउण्टर का मामला है, ना यहां

पर गोधरा है इसलिए राजस्थान में आपकी चाल नहीं चलेगी। राजस्थान में चाहे आप धर्म स्वातंत्र्य बिल ले आओ, चाहे और दूसरे बिल ले आओ, राजस्थान में आने वाला कल कांग्रेस का होगा। ऐसा काला कानून कितना ही आप बना लो, इसका कोई फर्क राजस्थान की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपके इस काले कानून का मेरे दल की तरफ से सख्त विरोध करता हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उसके बाद भी आप इसको अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ला रहे हैं लेकिन लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गये हैं, ना तो इससे अल्पसंख्यक डरेगा, ना जैन डरेगा, ना सिख डरेगा, न मुसलिम डरेगा और ना इससे हिन्दू खुश होगा।

अंत में एक शेर कह कर अपनी बात खतम करना चाहता हूँ। आप किसी को कितना ही भयभीत करने की कोशिश करें, बातिल कहते हैं दुश्मन को, एक शायर ने सही कहा है कि 'बातिल से दबने वाले ए आसमा नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तेहा हमारा, तोहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसां नहीं मिटाना नामो निशां हमारा।' धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सी.डी. देवल।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, पाँच बज गये। ...(व्यवधान)... एक आना है स्टेटमेंट सरकार का, आ रहा है स्टेटमेंट एक सरकार का ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान)... पठान बने, ये तो बताओ क्या तुम मुसलमान बने?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह भी सुन लो अगर आप सुनना चाहते हो तो। मैंने कहा नहीं, यह हिन्दू धर्म की विडम्बना है। हमारे यहां तो यह कहते हैं खड़े हो कर यह कि सब में मेहमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ...(व्यवधान)... यह किताब आकोदियाजी ने लिखी है, एस.टी. के व्यक्ति हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं और इसमें जो लिखा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रजी सराधना। (अनुपस्थित)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: एक मिनट।

माननीय सदस्य श्री नन्दलालजी पूनिया। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमारजी। माननीय सदस्य श्री भवरू खानजी। माननीय सदस्य श्री महादेव सिंहजी। माननीय सदस्य श्री प्रहलादजी गुंजल। माननीय सदस्य डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, सदन में मेरे से पूर्व के साथियों ने, माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर ने यह बात की कि हम एक नया इतिहास रचना चाहते हैं और यह विधान सभा राजस्थान की वो विधान सभा है जहां कानून का पालन किया और जहां परम्पराओं का निर्वहन किया आज वही विधान सभा संसदीय परम्पराओं का पूरा उल्लंघन करना चाहती है।

संसदीय परम्पराओं के बारे में आर्टिकल 200 के अन्तर्गत यह बात सही है कि यह नेगेसन नहीं किया गया है कि एक बिल जब पेंडिंग है तो दूसरा बिल नहीं लिया जाए, नेगेसन नहीं किया गया है पर संसदीय परम्पराएं इस बात की कम्पेल करती हैं हमें सोचने के लिए कि आज दिन तक, आजादी के बाद अब तक जितने भी बिल पेंडिंग हैं प्रेसिडेंट की असेंट के लिए उन बिलों के सम्बन्ध में किसी भी सदन ने वो बिल पेंडेंसी के समय नया बिल नहीं लाये और यह सरकार एक नया इतिहास रचना चाहती है, एक नयी संसदीय परम्परा का निर्वहन करना चाहती है, मैं समझता हूं कि इस संसदीय परम्परा को निर्वहन कर हम इस सदन की गरिमा को कम कर रहे हैं।

यह वो सदन है जिस सदन से एक साधारण परिवार से पैदा होकर विधान सभा की इस फ्लोर का उपयोग लेकर माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत उप-राष्ट्रपति बने। संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करने का इतिहास राजस्थान में यदि उठा कर देखें तो उन में भैरोंसिंहजी शेखावत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और भैरोंसिंहजी शेखावत जिस पार्टी के सदस्य हैं उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जब उनको खण्डहर और किले कहे और उसके बाद इस तरह का बिल लाये तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि परम्पराओं का निर्वहन करने का तो अपने नियम ही बना लिया है, न परम्पराओं का निर्वहन करना है, न संसदीय प्रणाली में जो कानून व्यवस्था है उसका पालन करना है। संविधान में यह व्यवस्था लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री होंगे, संविधान में लिखा हुआ है कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर डिफाइन कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गये हैं कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम आज रिकोगनाइज करते हैं चीफ मिनिस्टर को हम रिकोगनाइज नहीं करते हैं पर क्योंकि हम एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं और नया इतिहास बनाने में अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करना चाहते हैं इसलिए नये इतिहास को बनाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। सभापति महोदय, इस बात से हम सब, सदन को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

यह बिल जो लाया गया है वो आर्टिकल 25 के अन्तर्गत जो यह प्रोविजन किया गया है, माननीय सभापति महोदय, कि "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion." इस प्रोविजन में जो आर्टिकल 25 और 26 है, आर्टिकल 25 और 26 के होते हुए पार्लियामेंट में भी दो बार यह अटेम्प्ट किये गये कि हम इसको बिल को लाया जाए। 1954 में भी किया गया, सभापति महोदय, और बैकवर्ड क्लासेज के बारे में प्रोविजन करते समय भी यह व्यवस्था की गयी। सभापति महोदय, एक तो इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन बिल है, 1954 और दूसरा बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल, 1960, यह दो बिल पार्लियामेंट में भी लाये गये और पार्लियामेंट में यह बिल पास नहीं हुए। पार्लियामेंट में डिस्कस करने के बाद यह निर्णय किया गया कि इन बिल की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अलग-अलग

स्टेट में जिसमें कांग्रेस का भी आप एग्जाम्पल देंगे, हिमाचल का भी एग्जाम्पल देंगे, आप गुजरात का भी एग्जाम्पल देंगे, और भी एग्जाम्पल देंगे, मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल देंगे पर 1977 के एक केस के फैसले के बाद जब यह केस फैसला बना, कह दिया गया कि स्टेट कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में जो प्रोपोगेट करने की व्यवस्था है उस प्रोपोगेट को रेगुलेट करने के प्रैक्टिस करने के लिए कानून बना सकते हैं। यह एक लिवरेज मिल गया जिस लिवरेज का उपयोग लेकर राजस्थान सरकार ने भी 2006 में बिल बनाया। सभापति महोदय, अब यह आज भी यह टैस्ट करना आवश्यक है कि 1977 का, 76 का जो भी फैसला है, आप 76 के ऐरा को तो एमरजेंसी का ऐरा कहते हैं आप तो एमरजेंसी के ऐरा में नियम और कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठीक नहीं मानते हैं, आज उस 76 और 77, जिसका भी जो कैसे है, खडस केस का आज दिन तक रिव्यू नहीं हुआ है। उसके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, रेज किये गये हैं वो फंडामेंटल इश्यूज आज भी रिलेवेंट हैं। यह रिलेवेंट हैं कि क्या स्टेट कानून बना सकता है, क्या यूनियन कानून बना सकती हैं। यदि स्टेट कानून बनायें और यूनियन कानून बना दें, यूनियन के कानून आलरेडी प्रोविजन हैं हेट्रेड एण्ड रॉयट करने के सम्बन्ध में सब प्रोविजन लिखे हुए हैं। उन कानून को मेन्टेन करने के लिए कानून बना हुआ है, सेण्ट्रल एक्ट कानून बना रखा है और डी.एम. और सरकार की ड्यूटी बनती है कि हम व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करें।

अब मुझे बतायें कि 77 में आपका राज था, बाद में भी भैरोंसिंहजी मुख्यमंत्री रहे, सार साल से भी आपका राज है, आप उदाहरण देकर बतायें हमें कि आपके उस कानून की व्यवस्था होने के बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि आप कानून व्यवस्था को बनाने में असफल रहे इसलिए बिल को लाने की आवश्यकता है। आपको जस्टिफाइ करना पड़ेगा। आप यह बिल यह ला रहे हैं कि हम पब्लिक पीस को मेन्टेन करना चाहते हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है कि हम रेगुलेट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस बिल के माध्यम से गृह मंत्रीजी मुझे यह बताएं, गृह मंत्री हुए साढ़े चार साल हो गये हैं, एक उदाहरण दें, भैरोंसिंहजी शेखावत के समय में भी मंत्री रहे हैं, इसका उदाहरण दें आप कि राजस्थान में पीस ऑफ ट्रिक्विलिटी कब खतम हुई जिसमें यह बिल लाने की आवश्यकता पड़ी? हम एक उदाहरण नहीं दे सकते। हमारे पास केसेज रजिस्टर नहीं हैं तो क्या मैं यह मान लूँ, माननीय गृह मंत्रीजी, कि आपके द्वारा यह बिल रखवा कर आपकी पार्टी के नेता आपको इनकाम्पिटेंट शो करना चाहते हैं क्या? आपकी काम्पिटेन्सी नहं है कि चार साल तक आपको यह अधिकार था कि, भाई, कानून व्यवस्था ठीक ढंग से रखें, कानून व्यवस्था के अन्तर्गत यह काम होना चाहिए और काकनू व्यवस्था के अन्तर्गत यह बिल ला रहे हैं। इसका सीधा इन्फ्लूंस यह निकलता है, सभापति महोदय, कि यह चार, साढ़े चार साल में रिलीजियस जो यह प्रोपोगेट करने के लिए जो कन्वर्जन करने के लिए जो लोग अटेम्प्ट करते थे, चाहे व्यक्ति करें, चाहे संस्था करें, उनको रोकने में सरकार असफल रही है। यह उसका सीधा मतलब निकला जाए। यदि यह मतलब नहीं है तो दूसरा मतलब है, सभापति

महोदय, जो ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरा मतलब इसका यह है कि हमारा कोई अदर मोटिवज है, अदर मोटिवज पीस ऑफ ट्रिंक्युलिटी नहीं है। कानून व्यवस्था मेन्टेन करने के लिए हम नहीं ला रहे हैं, कानून व्यवस्था मेन्टेन करने के लिए तो अलग-अलग स्टेट्स के सामने समस्या आ जायेगी। उसमें यूनियन बिल, क्या केन्द्र बिल बनावे या स्टेट बिल बनावे, यह अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया है। आप जब यह फैसला करना चाहते हैं, सभापति महोदय, तो आपको विक्ट्री याद है गुजरात की गुजरात की जीत याद है। सभापति महोदय, लोकतंत्र में गम्भीर प्रश्न खड़ा हो गया है कि लोकतंत्र में कानून के माध्यम से हम ऐसा कानून बनायें जिस कानून से कुछ समाज के वर्गों में भय पैदा हो जाए।

Ars/usc/1720/3g/20032008/1 अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

और कुछ बड़े समुदाय को हम कंसोलिडेट कर दें वोट बैंक के लिए, यह आधार बनाकर हमने लोकतंत्र में विजय प्राप्त की है गुजरात में। सभापति महोदय, यह उदाहरण है गुजरात का, गुजरात का उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि कैसे हम वोट बैंक को कंसोलिडेट करें। जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, सात परसेंट माइनोरिटी है गुजरात में दैट्स आल, सात परसेंट माइनोरिटी, पार्टी अफोर्ड कर सकती है सात परसेंट वोट को नाराज करने के लिए अफोर्ड कर सकती in order to consolidated 93%. They did it successfully. एक बार नहीं, दो दो बार किया है। गुजरात में सक्सैसफुली एक आदमी, एक क्रिमिनल उसको आधार बनाकर हमने वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। यह कमाल है माननीय सभापति महोदय, कम्युनिकेशन का, यह कमाल है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और आज उसी स्ट्रेटेजी को सफल बनाने के लिए अपने ही साथियों की इनकाम्पीटेंस को भी, सारी दुनियां जानती है कि सबसे काम्पीटेंट, ओनेस्ट, डेडिकेटेड इंटीग्रिटी का कोई होम मिनिस्टर है तो गुलाब चन्द कटारिया है। उसकी काम्पीटेंस को नेगलैक्ट कैसे करें, कैसे मैसेज दें कि नहीं, यहां पर संस्कारवान लोग ठीक ढंग से सरकार नहीं चला रहे हैं, यहां तो गैर संस्कारवान लोग सरकार ठीक ढंग से चला रहे हैं। इसलिए इस बिल को लाने की जुरत कर ली।

तो चाहे संसदीय परम्पराओं में नया इतिहास बनाना हो तो नया इतिहास भी बनायेंगे, नया इतिहास वो बनायेंगे जिनको संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है, नया इतिहास वो बनायेंगे जिनको संस्कारों में विश्वास नहीं है, नया इतिहास वह बनायेंगे जिनके लिए लोग प्रश्न उठाकर पूछते हैं कि कैसे नियम बनाये, कैसे कानून बनाये, कौनसे नियम और कानून से स्टेट के एक्सचेकर को पैसा खर्च करके कुछ लोगों को फायदा देवें, वह लोग नई परम्परा बनायेंगे। सभापति महोदय, नई परम्परा तो आप बना ही रहे हैं। न केवल इसमें पहली बार, पहली बार राजस्थान के इतिहास में इंडीविज्युअल आदमी को स्टेट एक्सचेकर से पैसा देंगे। टेम्पटेशन, वोट लेने के लिए महिलाएं खाता खोलेंगी तो 1500, किसान की डेथ है तो भी कोई तकलीफ नहीं क्योंकि भारत सरकार ने किसान का वेवर कर दिया है, टैक्स तो हमने

फैसला कर दिया है कि टैक्स आपको कोई तकलीफ नहीं, किसान के कोई ऋण बाकी है, नहीं चुकाए कोई चिन्ता नहीं, 1500 रुपये देंगे, यह नया इतिहास है। इससे वोट लेकर राज में आना चाहते हैं। राज में आना चाहते हैं ब्राइव करके बाकी तो इलेक्टोरल प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिसेज हैं पर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेम वर्क में कांस्टीट्यूशनल एक्सचेकर का पैसा लोगों को देकर वोट लेने का काम करना चाहते हैं। वह सरकार इस बिल के माध्यम से एक भ्रम में रहकर कदम उठाना चाहती है और मैं कहना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से, यह राजस्थान की परम्परा नहीं रही है, राजस्थान की गौरवशाली परम्परा रही है। राजस्थान में राजाओं का राज भी रहा है पर राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द रहा है। महाराणा प्रताप की बात करते हैं हम, महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की बात करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में किन किन लोगों ने भाग लिया, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि महाराणा प्रताप की संस्कृति के हम वाहक हैं और वाहक होने के बाद यह बिल क्यों लाना चाहते हैं।

यह बिल लाना चाहते हैं सभापति महोदय, कैसे उन लोगों में भय पैदा करें, आप हिमाचल का उदाहरण देना चाहते हैं, हिमाचल के उदाहरण में बताइये इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर्ड एक्ट में रजिस्टर्ड सोसायटी इंस्टीट्यूशन को बेन करने का अधिकार है, आप मुझे बताइये आप, पचास साल की यहां राजस्थान में ऐसी बहुत सी सोसायटियां होंगी जो अच्छा काम कर रही हैं पर उनके मन में भय पैदा करने के लिए एल्योरमेंट, एल्योरमेंट में डिफाइन कैसे करेंगे? आपने इसमें जो प्रोवीजन किया, कोई आदमी किसी को भी इम्प्लीकेट करना चाहे, आप यह एफ आई आर दर्ज करवा दीजिए कि यह संस्था यह काम कर रही है, इन्होंने मिलकर धर्म परिवर्तन करवाया, उस संस्था की सारी प्रोपर्टी को हम जब्त कर लेंगे, इसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे, यह भय का वातावरण नहीं है? आपके पास है पुलिस एक्ट में प्रोवीजन है, क्रिमिनल एक्ट में प्रोसीक्यूट करिये, सजा दीजिए उनको, नहीं हमें यह नहीं करना। ब्लैकट पावर ले ली हमने कि हम खुद ही खड़ा करेंगे। एक कम्प्लेंट खड़ी करेंगे और कम्प्लेंट की जांच करवायेंगे और जांच करवाकर उस संस्था की सारी प्रोपर्टी को हम कर लेंगे। यह अटेम्पट है राजस्थान में मुसलमानों को कमजोर करने का नहीं है, युनूस खां जी मंत्री हैं, यह तो मुझे मालूम है, यह बिल लाने से पहले कैबिनेट में पास हुआ होगा, युनूस खान जी ने हां भरी होगी।

यह एक बहुत स्माल सेगमेंट आफ माइनोरिटी जिसको कहते हैं क्रिश्चियन, उनको भय पैदा करके क्योंकि मालूम है कि क्रिश्चियन का वोट परसण्टेज ज्यादा नहीं है तो टारगेट कर रहे हैं माइनोरिटी के नाम पर कि क्रिश्चियन की समाल कम्युनिटी को उनको सिग्नल देना चाहते हैं। उस सिग्नल का उपयोग माइनोरिटी जो मुसलमान हैं उसको बताना चाहते हैं कि लुक यदि तुमने हमें वोट नहीं दिया तो यह तो एक एक्जाम्पल है, यह आने वाले समय में हम इसी तरह का एक्जाम्पल आपके लिए भी करेंगे। इस भय के वातावरण का दोहन करके सत्ता में कैसे आएँ, उसके लिए एक स्टेप बढ़ाने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूँ यह बिल आप लाकर करना चाहते हैं पर यह न भूलें आप राज में क्रिश्चियन हैं पर आप भी बहुत सी संस्थाएं बना रहे हैं, आपकी संस्था भी बहुत प्रोपोगेट कर रही है। आदिवासी इलाके में कर रही है, आदिवासी इलाके में क्या स्थिति है यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी इलाके में कौन आदमी जो क्रिश्चियन बन गया, कौन क्रिश्चियन बन गया उसकी लिस्ट उठाकर देखें तो अपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सदस्यों का सामने आ जाएगा कि उस समय कब क्रिश्चियन धर्म अपनाया और आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने हुए हैं पर मैं कहना चाहता हूँ कि यह काउंटर प्रोडेक्टिव होगा। अपन भी संस्था चलाते हैं, आदिवासी संस्था चलाते हैं वहां भी अपन यह काम कर रहे हैं, हम भी यह काम कर रहे हैं, बताएं मुझे।

तो इस एक्ट में आप प्रोवीजन रख रहे हैं। अच्छा किया आपको सदबुद्धि दी कि आपने इसमें रिलीजन को डिफाइन नहीं किया है। अब मुझे बताइये लॉ मंत्री जी, मुझे जानकारी नहीं है कि मैं किस कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ। यदि आपने इस एक्ट में रिलीजन को परिभाषित ही नहीं किया है तो आपके इस एक्ट के प्रोवीजन क्या हैं? आपको मालूम है कि रिलीजन को प्रभावित करना ही नहीं है। आपने एकजाम्पल दे दिया जे वर्मा का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हिंदू इज ए वे आफ लाइफ हिन्दू धर्म नहीं है, इधर लिख दिया ओरिजनल रिलीजन, अब ओरिजनल रिलीजन को कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं हिन्दू धर्म में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। आपकी ओपरेशनल डेफिनेशन में रिलीजन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, रिलीजन की डेफिनेशन आपने नहीं सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को उठाकर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हम धर्म की परिभाषा नहीं कर सकते। उन्होंने लिमिटेड कहा है कि ये ये प्रैक्टिसेज हों, जैसा आपने फरमाया कि प्रोपोगेट हो, धर्म हो तो सिख को उन्होंने मान लिया, सिख धर्म को मान लिया, बौद्ध धर्म को मान लिया, जैन धर्म को मान लिया, इनको तो उन्होंने कह दिया कि यह धर्म हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उनको धर्म माना है, अब मुझे बताएं कि यदि वह जैनी आदमी धर्म में है तो वह हिन्दू ओरिजनल में जाएगा या इसमें जाएगा, समझाएं मुझे फिर तो यह जो उदाहरण दिया है सारे फोर फादर में, सारे माइनोरिटी के आदमी सब हिन्दू हैं तो फिर ओरिजनल रिलीजन को डिफाइन कौन करेगा। इसका मतलब है कि हमें इस एक्ट से किसी को कुछ नहीं करना है खाली सिग्नल देना है और इस एक्ट को हमें मालूम है कि वोट बैंक के लिए कैसे उपयोग में लेना है।

मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए यह आपको अच्छा लग रहा है, आज तो आप समझते हैं कि लोकतंत्र का इतिहास पाँच साल बाद खतम हो जाएगा, हिन्दुस्तान में सौ साल तक इतिहास रहेगा लोकतंत्र का। उस लोकतंत्र के इतिहास में भविष्य में क्या हो, उसकी बात सोचकर हम निर्णय करें, तब जाकर उस निर्णय का लाभ समाज को मिलता है और देश को मिलता है। इसलिए माननीय राठौड़ साहब, पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर, अपने आपको गौरवान्वित नहीं करें नया संसदीय इतिहास बनाने के लिए, वैसे ही आपने, सरकार ने ऐसे इतिहास बनाये उसके लिए आप गौरवान्वित हैं। उसमें मुझे तकलीफ नहीं है लेकिन इस

प्लेटफार्म के माध्यम से खड़े होकर यह कहने का दुस्साहस नहीं करें कि हम संसदीय प्रणाली में एक नया इतिहास बना रहे हैं। मैं समझता हूँ सभापति महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है जिसके ऊपर संवैधानिक दृष्टि से भी अभी बहुत से निर्णय होने बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि यह जो मैंने कुछ बातें नोट की, मैं चाहूँगा कि मंत्री जी जवाब दें तब उसमें जरूर बताएं, आप मुझे बताएं कि इस बिल के आने के बाद केन्द्र और राज्य के रिलीजन के सम्बन्ध में बिल बनाने के लिए काम्प्यूटिंग और उसमें आपस में झगड़ा खड़ा होगा कि नहीं होगा, मुझे बताएं।

दूसरा, यह बताएं कि क्या बिल यूनियन राइट्स को इन्फ्रेंस करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा है, सब चीजों का नेगेशन अपने पास है। मैं समझता हूँ, सभापति महोदय, यह भी बताने की आवश्यकता है कि आर्टिकल 25 में जो प्रोपोगेशन है, जिस प्रोपोगेशन के लिए कांस्टीट्यूशन के इस इन्टरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट के साने जजमेंट हैं उसे प्रोपोगेशन करने के लिए हर चीज अलाऊ है, एक्सेप्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन और प्रोपोगेशन के बीच में एक थिन लाइन है। उस थिन लाइन को डिफाइन करने के लिए यह बिल लाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि अब नया, लोकतंत्र में बाबरी मस्जिद का गिरना, लोकतंत्र में गुजरात की सरकार का जीतना, लोकतंत्र में इस सरकार का दुस्साहस, उसमें वोट के लिए सरकार के एक्सचेकर के पैसे को देना, उसे बाद नये सिरे से आवश्यकता है कि हम इस कन्वर्जन की परिभाषा को ठीक ढंग से डिफाइन करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह गुजरात की जनता का अपमान कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं सम्मान करता हूँ आपका भी, आप सम्मान करें, मेरा अपना सोच है, मैं मेरे सोच को तो आपके सोच में नहीं जोड़ सकता। आपका सोच है, आप सम्मान करें, आपको मुबारक। मेरा सोच है, मैं अपने सोच को एक्सप्रेस करूँगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ ईमानदारी से क्योंकि मेरे सब साथियों ने पहले भी कह दिया है, पहली बार इतिहास में हम कांस्टीट्यूशन हैड, जिसका हम गर्व कर रहे थे, राजस्थान की महिला, राजस्थान की गवर्नर आज हिन्दुस्तान की प्रथम नागरिक बनी हैं, यह सदन बाई टेकिंग दिस लेजिसलेशन, यह कानून का प्रस्ताव लेकर हम संविधान की सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला का अपमान कर रहे हैं और अपमान करने के लिए राजेन्द्र राठौड़जी तन सिंहजी की जयंती याद आयेगी, वसुन्धराजी को तन सिंहजी की जयंती याद आयेगी, यह प्रतिभाजी की जयंती भी लोकतंत्र में याद रहेगी, इसी इतिहास को बनाने के लिए, आप उनका अपमान करने के लिए फिर दोबारा भेजना चाहते हैं। आपको मालूम है गवर्नर वो थीं, उन्होंने रिजैक्ट किया, अब आप आशा कर रहे हैं वही व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में उसे असेंट दे देगा। यह आपको मालूम है, कानूनन मालूम है कि असेंट आयेगी नहीं, बिल पास होगा नहीं पर आप एक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला का अपमान करने के लिए इस सदन के प्लेटफार्म का उपयोग करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतिहास के रिकार्ड में होना चाहिए कि यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर राजेन्द्र राठौड़ जो राठौड़ लिगेसी की बात करता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनके पास जायेगा नहीं, माननीय सदस्य।
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वसुन्धराजी तन सिंहजी की जयंती मनाने की बात करती है।

श्याम/अरूण 20.03.2008 17.30 3h

वह भी एक नया इतिहास बना दिया है कि संसदीय परंपराओं का उपयोग करते हुए सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक महिला का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं, यह भी रिकार्ड में जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह उनके पास जायेगा ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय के पास ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं, आप सहमत हों या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं चाहता हूँ कि मैं गंभीरता से अपनी बात को समाप्त करूँ, उससे पहले मैं माननीय कटारिया साहब, आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल राजस्थान की संसदीय परंपराओं के खिलाफ, काले कानून के रूप में याद रखा जायेगा। यह बिल राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए याद रखा जायेगा। यह बिल आपकी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी साबित नहीं होगा और मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय कटारिया जी, इसमें कोई हेठी भी नहीं है। कोई भी आपकी मंशा है, हम भी मानते हैं कि कनवर्जन नहीं होना चाहिए, पर मुझे बतायें कि आपने इसमें डिफाइन किया है अल्योरमेंट का, अल्योरमेंट के संबंध में आप डेफिनेशन कैसे करेंगे, आप देखिये उसमें लिखा है कि " 'allurement' means offer of any temptation in the form of – (i) any gift or gratification, either in cash or kind; or (ii) grant of any material benefit, either monetary or otherwise;" अदरवाइज में तो अपन फ्री हैं, रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपने जो प्रोविजन लिखा, उसमें लिखा है कि "... that the funds of the body have been used, or are being used or are contemplated ..." That word used is 'contemplated'. " ... are contemplated to be used for conversion; .." यह कैसे पता लगायेंगे कि इस संस्था को यह पैसा उसके उपयोग में आयेगा। यह निर्णय कौन करेगा, यह वह डिप्टी एस.पी. करेगा, यह डी.एम. करेगा कि मुझे सपना आया है, रात को सपना आया, वह सपना कुछ मंत्रियों को तो आता ही है, वह बोलेगा कि कोटा की वह संस्था है, वह यह काम करेगी, सपना आ गया, सपना आते ही उसका रजिस्टर्ड करके केस में बंद कर देंगे, यह कांटम्प्लेटेड वर्ड जो है, यह किस संस्था, जो काम करने वाली है को भी मिसयुज करने के लिए आप जो प्रोविजन कर रहे हैं वह प्रोविजन माननीय गृह मंत्री जी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, नम्बर एक, इसमें आपने रिलीजन

को डिफाइन नहीं किया है, जब आपने रिलीजन को डिफाइन नहीं किया तो ओरिजनल रिलीजन क्या होगा। नम्बर दो, मेरा अधिकार है व्यवसाय ढूँढने का, मेरा अधिकार है पार्टी चूज करने का, मेरा अधिकार है मकान बनाने का, मैं किस धर्म को कांग्रेस से अडाप्ट करूँ उस पर पालिसिंग का काम सरकार करेगी। मुझे डी.एम. से परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं इस धर्म को मानूँ की नहीं मानूँ। मुझे परमिशन दें कि नहीं दें और धर्म कौनसा उसकी परिभाषा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि ऐसा कानून जिसमें रिलीजन को डिफाइन नहीं किया है और आगे बढ़ना चाहते हैं यह तो बहुत खोटा, गलत कानून होगा, मैं समझता हूँ कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप ऐसा मानते हैं कि हिन्दू वे ऑफ लाइफ है तो फिर धर्म का वायलेशन कहाँ हुआ, इसका मतलब यह पूरे जिस प्रिमेसेज पर आप कानून बना रहे हो उसकी जो क्रक्स, आत्मा है, वह है रिलीजन और रिलीजन आपने लिखी ही नहीं तो एक्ट में वायलेशन किसका होगा। लेकिन चूंकि हमें चुनाव में जाना है, झगड़े हैं और संस्कार और गैर संस्कारों के झगड़े हैं। पैच अप करना जरूरी है, पैच अप तो करना ही पड़ेगा। चाहे तो गडिया जी के लिये करो, चाहे इसके लिए करो, यह पैच अप करने में राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुझे आपसे निवेदन करना है, यह लोकतंत्र के इतिहास में, राजस्थान की संसदीय परंपराओं के खिलाफ होगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको करना है तो फूलपुफ करो और कटारिया जी को मालूम है, पुलिस एक्ट बनाया, हमने कितनी मीटिंगें की, राजस्थान को गर्व है इस बात का कि हमने एक अच्छा पुलिस एक्ट बनाया। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपकी मंशा किसी भी धर्म को मानने वाले आदमी को, टेम्पटेशन से, बेइमानी से धर्म पलटता है तो वह रोकना चाहिए। यदि आपको करना है तो मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेजो, थोरो डिस्कस करो और एक नयी चीज बनायें जिससे यदि हम आज उदाहरण बनाना चाहते हैं तो लोग कह सकें कि राजस्थान के इस बिल का फॉलो हम कर रहे हैं। तब तो हम इतिहास बनायेंगे और बाकी जो हम यह काम कर रहे हैं, यह इतिहास नहीं है। यह हम पॉलिटिकल ऐम्स को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिकल ऐम्स को पूरा करने वाले बिल के समर्थन में हम नहीं खड़े हो सकते हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करो और इस बिल को काले अध्याय के रूप में राजस्थान के इतिहास में याद रखा जायेगा। मैं मेरी पार्टी की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था नहीं बिगाड़ें, हमें इस बात के लिए कम्पेल नहीं करें कि राजस्थान में हम विधान सभा में कानून बनाने के लिए आये हैं। ऐसे कानून का विरोध करने के लिए यदि हमें पार्टी को भी खड़ा करना पडा तो निश्चित रूप से हम वह काम भी करेंगे और मैं नहीं चाहता कि हम राजस्थान में ऐसी गलत परंपराओं का निर्वहन करें। अच्छा कानून बनें, दूरदर्शी कानून बनें, जो बेइमान आदमी है, जो धर्म परिवर्तन के लिए बेइमानी करता है उनको सजा

मिले और ऐसा बिल कानून बनाने के लिए लेकर आये हैं वह मैं समझता हूँ कि वह कानून हम सबके हित में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करें।

श्री सभापति: पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, पाँच बजे का टाइम था, अब 5.35 हो गये हैं।

श्री सभापति: माननीय मुख्य सचेतक जी, मंत्री जी तैयार हैं क्या वक्तव्य देने के लिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): बिलकुल तैयार हैं।

श्री सभापति: दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले प्रस्ताव ले लेते हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कौनसे प्रस्ताव को, चलने तो दें अभी ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम यहीं बैठे हैं, कहीं जायेंगे नहीं ...(व्यवधान)
जवाब देने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान) यदि कोई दिक्कत नहीं हो, एतराज नहीं हो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री रामनारायण जी मीणा।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री संयम जी लोढा।

श्री संयम लोढा (सिरोही): सभापति महोदय, किसी कवि ने कहा है कि 'मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बाटो इंसान को।'

सभापति महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में आज एक ऐसे बिल पर जो इस सदन में तीसरी बार आया है, दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार में, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहूँगा कि 3 नवम्बर, 1970 को भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त में राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश हुआ था, तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री विशम्भर नाथ जोशी ने इस बिल को पेश किया था और उसके बाद यह बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया था, 21 नवम्बर को और फिर लैप्स हो गया।

सभापति महोदय, उस वक्त वह दौर था कि जब इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी, अजमेर जिले में मिल रही थी, दक्षिणी राजस्थान में मिल रही थी। लेकिन आज पक्ष हो, चाहे प्रति पक्ष हो, कोई भी सदस्य इस बात को नहीं कह सकता है कि प्रलोभन के आधार पर राजस्थान में धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है और मैं यह समझता हूँ कि 60 साल से भी अधिक परिपक्व हमारी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर आज हमारी मानसिकता यह है कि प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है तो ऐसा वही लोग सोच सकते हैं जो हिन्दू धर्म की गहराई को नहीं समझते हैं, हिन्दू धर्म की शाश्वतता को नहीं

समझते हैं, जो इस महान और गौरवशाली धर्म में दूसरे सभी तत्वों को अनुप्राणित करने की क्षमता को नहीं समझते हैं।

सभापति महोदय, कितना खूबसूरत धर्म है, कितना नैसर्गिक बोध है, लेकिन जब हम धर्म के आधार पर लोगों के कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर काम नहीं करना चाहते और अपने कुत्सित स्वार्थ के लिए धर्म के प्रयोग का इरादा रखना चाहते हैं। जब हमारे दिमाग में ऐसा बिना किसी प्रयोजन के बिल लाने की सोच उत्पन्न होती है।

सभापति महोदय, हम अतीत पर नजर डालें और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र तो यहां तक कहते हैं कि भगवान राम का काल दस लाख साल पुराना है तो पिछले दस लाख साल से हिन्दू धर्म की जो व्यवस्था चल रही है, जो सनातन संस्कृति चल रही है, क्या हिन्दू धर्म की संस्कृति दस लाख साल किसी कानून की मोहताज रही है। पिछले दस लाख साल से जिस धर्म को लोगों की आत्मा को परिष्कृत करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ी। अपने अंतस की चेतना के बल पर जिस धर्म ने लोगों के जीवन को लाभान्वित करने का काम किया, क्या आज दस लाख साल के बाद में वह हिन्दू धर्म इतना कमजोर पड़ गया कि उसको राजस्थान सरकार के इस कानून की जरूरत पड़ गयी है।

jyg/akt/20.3.8/17.40/3j

उसको राजस्थान सरकार के इस कानून की जरूरत पड़ गई? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, मैं कोई राजनीतिक आधार पर आप पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, न राजनीतिक आधार पर इस सदन में बात कहना चाहता हूं लेकिन अगर सच्चाइयों के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में, अपने हृदय के अंतरतल की गहराइयों के साथ में अगर मन में यह सोच है कि जो लोग जन्म के आधार पर हिन्दू हैं, उनका हम भला करना चाहते हैं, इस हिन्दू धर्म को आदर्श के रूप में लोगों के सामने रखना चाहते हैं तो एक प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान की जनता के सामने आएंगे, चाहे हम हों चाहे वह आप हो। माननीय सभापति महोदय, उसके लिए बहुत मजबूत इरादों के साथ हिन्दू धर्म की व्यवस्थाओं को बदलना होगा लेकिन हिन्दू मन से भी जाते हैं, क्यों लोग हिन्दू धर्म छोड़कर जाते हैं? क्या आपने इस पर विचार करने की चेष्टा की है? क्या आपने हिन्दू धर्म की आंतरिक कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा की है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महान स्वप्न दृष्टा और क्रांतिकारी विचारक डाक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरी जिन्दगी इस हिन्दू धर्म की आंतरिक कमजोरियों से जूझते रहे, बहुत भारी हृदय के साथ, पिछली सदी के चौथे दशक में उनको कहना पड़ा कि मैं किस धर्म में जन्म लूं, यह तो मेरे हाथ में नहीं है पर मैं किस धर्म में मरूंगा, यह मैं तय करूंगा। लगातार वह संघर्ष करते रहे और वह धर्म को बहुत महत्व देते थे, वह यह कहते थे कि शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत है, मस्तिष्क को चलाने के लिए विचारों की जरूरत है और आत्मा को चलाने के लिए धर्म की जरूरत है। ऐसे एक महान विचारक ने 24 मई, 1956 को मुम्बई में घोषणा की कि मैं हिन्दू

धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा और माननीय सभापति महोदय, 14 अक्टूबर, 1956, दशहरे का दिन जिसको हमारा मुल्क विजयादशमी के नाम से मनाता है, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय के नाम से मनाता है, उस दिवस को उन्होंने चुना। लाखों लोगों के साथ जो हिन्दू धर्म में पैदा हुए थे, जब उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का फैसला किया तब खुद बाबा साहब ने अपने मुंह से उच्चारण किया, बुद्धम् शरणम् गच्छामि। क्या 1956 के बाद भी इन 52 सालों के अंदर हमने इस बात से सबक लिया कि एक ऐसा महान विचारक, हिन्दू धर्म को छोड़कर चला गया। इन 52 सालों के अंदर और उसके बाद भी क्या हिन्दू धर्म की कमजोरियों को दूर करने की हमने चेष्टा की? नहीं की। ... (व्यवधान)... मेरे ऊपर आप कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय मुख्य सचेतकजी, आप अपने माननीय सदस्यों से आग्रह करें कि वे बैठे-बैठे न बोलें।

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि आप उस विचारधारा से आते हैं, उस संगठन के संस्कारित व्यक्ति हैं जो हिन्दूत्व के नाम पर चलता है, हिन्दूत्व नाम को ओढ़ता है और हिन्दूत्व के नाम पर जीने की कसमें खाता है और दावे करता है। हिन्दू धर्म के किसी भी सन्यासी का भण्डारा होता है, हिन्दू धर्म के लोगों के द्वारा उसका आयोजन होता है, आप क्या बता सकते हैं कि उस भण्डारे के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए खाने की अलग से व्यवस्था क्यों होती है? क्या 60 सालों के हमारे प्रजातंत्र ने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया है? आज भी राजस्थान के तमाम गांवों के अंदर उन भण्डारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदमियों को अलग बैठकर खाना पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ऐसी बात मत करो।

श्री संयम लोढा (सिरोही): मैं साक्षी हूँ। ... (व्यवधान)... मैं देखता हूँ, जाता हूँ सब जगह ... (व्यवधान)... आपके ऐसा करने से कुछ नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सबको लांछित करने का काम कृपया मत करो। ... (व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम बोलने दें इसका मतलब आप लांछित किए जाओ, यह अधिकार आपको किसने दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरे हिन्दू धर्म को लांछित करने का काम मत करो, सभी लोगों को लांछित करने का काम मत करो।

श्री संयम लोढा (सिरोही): आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप अपनी कमजोरियों को दूर करिए। अपनी कमजोरियों को दूर करिए, मैं यह कह रहा हूँ। ... (व्यवधान)... आपके खड़े होने और इस प्रकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप हिन्दू हैं और हम हैं, हमारा भी हम है यह कहने का। ... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कमियों को दूर करना चाहिए, कोई एक भण्डारा हमें बता दे। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहना क्या चाहते हैं? यह फिर बांटना चाहते हैं, यह उस गरीब का और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। कौनसा भण्डारा है जिसमें अलग पंक्ति होती है, आप पूरे धर्म को लांछित कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई भण्डारा ऐसा नहीं है, कोई मंदिर ऐसा नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ऐसा भण्डारा कहां दिखा आपको? आप गलत बयानी करते हो। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): यदि आप कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा उन भण्डारों की। ...(व्यवधान)...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): हिन्दू धर्म को कलंकित करने का काम इस राजस्थान के पवित्र सदन में आपने किया है। ...(व्यवधान)... इसको कलंकित नहीं होने देंगे हम। ...(व्यवधान)...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): भारतीय जनता पार्टी धर्मान्तरण करवाती है यह दिखा-दिखा कर, डरा कर वोट लेना चाहते हो, यह आप वोटों की राजनीति कर रहे हो। ...(व्यवधान)... यह कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भण्डारों में नहीं जाने देते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह कौनसे भण्डारे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का भण्डारा अलग होता होगा, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भण्डारा होता नहीं है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सभी समाज, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए आप, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इनके विधान सभा क्षेत्र में होता होगा, राजस्थान में ऐसा भेदभाव हमने कहीं नहीं देखा।

श्री सभापति: आसन इसका उत्तर देगा, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): यह संविधान तो अनुसूचित जाति के थे उन्होंने बनाया, संविधान बनाया अनुसूचित जाति के आदमी ने। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह भेदभाव आपकी मानसिकता में है। यह आपकी आत्मा में है, आपकी पार्टी की आत्मा में है, जिसके नाम के आगे 'हरि' लिखा हुआ है, उस जन का आप अपमान करना चाहते हो और उन सारे महापुरुषों को अपमानित करना चाहते हो, उन सारे देवी-देवताओं को अपमानित करना चाहते हो, जिनके नाम के हम भण्डारे

लगाते हैं, यह हमारी संस्कृति का अंग है, गांव-गांव में भण्डारे लगते हैं, एक पंक्ति में राजा, रंक, हरिजन, ब्राह्मण, सब एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सब साथ में एक मंच पर, एक दरी पर बैठकर जीमते हैं। इनके यहां कांग्रेस का अलग से कोई भण्डारा लगता होगा, इनका कोई अलग से भण्डारा होगा, इनके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई अलग से भण्डारा लगता होगा। ... (व्यवधान)...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपके वहां सोनिया गांधी का भण्डारा लगता होगा सोनिया गांधी का जो भारत की संस्कृति को, यहां की संस्कृति को नहीं मानती। ... (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम 36 कास्ट के वोट लेकर इस राजस्थान विधान सभा में पहुंचते हैं। एक जाति के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। यह सभी धर्मों के वोट मिलते हैं तब हम इस राजस्थान विधान सभा में पहुंचते हैं, 36 कौमों के वोट लेकर आ जाते हैं और फिर वहां वोट लेते समय तो नहीं कहते यह बात, आज यह सदन में बात कहते हैं। ... (व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आधे से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट के लोग इधर भारतीय जनता पार्टी में हैं, जीतकर आए हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): 33 में से 27-28 विधायक इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हैं, और माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोसिंहजी ने कुछ किया तभी 27 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ... (व्यवधान) ... इनके राज में नहीं रहे इसलिए भटके आ रहे हैं इसलिए कांग्रेस का भण्डारा लगा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): शिड्यूल्ड कास्ट जिसकी तरफ देखना बंद कर देता है वह सत्ता में नहीं रहता है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हमेशा राज में रहती है और उसने राज आपसे छीन कर ले लिया इसलिए आपको कांग्रेस का भण्डारा याद आ रहा है। ... (व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसकी तरफ नहीं देखती है उसका राज बदल जाता है। यह बदलते हैं राज को।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): इटली की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिए। ... (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप यह बताइए, आप महाजन हैं और मैं मेघवाल हूं, बताइए क्या फर्क है? बताइए?

श्री संयम लोढा (सिरोही): मैं आसन को सम्बोधित कर रहा हूं, आपको जो कहना है आप आसन से कहिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप बता दीजिए, कुछ फर्क है? यह बताइए आप कि यह फर्क है आपमें और मुझ में, क्या फर्क है? आप भी महाजन हैं और मैं भी महाजन हूं,

व्यापार करे सो व्यापारी, बिणज करे सो व्यापारी, महाजन वही होता है जो व्यापार करता है। आदमी अपने कर्म के आधार पर जाना जाता है। ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): मेरे तो खानदान में किसी ने व्यापार नहीं किया, हमने तो लोगों की भलाई के लिए काम किया है। ... (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इसलिए आप यह जात-पांत और धर्म के झगड़े छोड़कर इस राजस्थान की जनता के लिए सार्थक बहस कीजिए। ... (व्यवधान).... फिर वही बात। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया?

श्री संयम लोढा (सिरोही): कांग्रेस के राज में शुरूआत हुई है।... (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह जात-पांत के झगड़े डालकर वोट ले लिए, अब मुसलमान इनको वोट देते नहीं है, यह धर्म स्वातंत्र्य वाला विधेयक लाए हैं, कांग्रेस के साथ में एक भी मुसलमान नहीं है इसलिए इनको यह करना पड़ रहा है।

श्री सभापति: बैठिए। देखिए, हिन्दूओं का सबसे पवित्र त्यौहार होता है कुम्भ का मेला, उसमें हिन्दुस्तान के सारे साधु, संत, एकांतवासी, तपस्वी और हर जाति का आदमी आता है, इसलिए हिन्दुस्तान में छुआछूत है ही नहीं। बस सही है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, व्यवहार में इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। आज भी कस्बों के अंदर शिड्यूल्ड कास्ट का टीचर, गांव आदमी जब शहर में नौकरी में ट्रांसफर होकर शहर जाता है...।

Gpc/akt/20032008/1750/3k

अपने परिवार के साथ रहने आता है, अपना आत्मालोचन करें आपकी बस्ती में कोई उसको मकान किराये पर देता है क्या? उसी शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती में जाकर उसको मकान किराये पर लेना पड़ता है। क्या आपने व्यवस्था ठीक करने का काम किया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह सदन है, क्या इन्होंने तय कर लिया कि आज बिल पर बोलते-बोलते ये राजस्थान के अनुसूचित जाति के लोगों को लांछित करना चाहते हैं?

श्री संयम लोढा (सिरोही): लांछित नहीं करना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर क्यों समय जाया कर रहे हो?

श्री संयम लोढा (सिरोही): ईमानदारी से उनका दर्द इस सर्वोच्च सदन के अंदर रखना चाहता हूं, उनका दर्द रखना चाहता हूं, उनकी पीड़ा रखना चाहता हूं। .. (व्यवधान)...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सदस्य एक भी उदाहरण तो बताएं .. (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कांग्रेस के कहने से .. (व्यवधान).... यह रिकार्ड पर है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कितने लोगों को घर दिलाया, कितनों को बसाया? .. (व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आपने मरवाया है। आपके सामने से जूते ..(व्यवधान).. इसीलिए शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, यह पता है आपको।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 1995 से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पंचायत राज में मौका मिला और आज दिन तक आप लोगों ने राज किया। कभी ऐसा किया आप लोगों ने? ..(व्यवधान)..

श्री संयम लोढा (सिरोही): उस कास्ट ने राजीव गांधी को ..(व्यवधान).. जिसने यह क्रांतिकारी आदेश किया है ..(व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 1995 में माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पंचायत राज में भागीदारी का मौका दिया। कितना राज किया आप लोगों ने? एक भी उदाहरण बताओ। ..(व्यवधान)..

श्री संयम लोढा (सिरोही): आपने क्या दे दिया? ..(व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): घड़ियाली आंसू बहाकर ..(व्यवधान)..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि। संविधान निर्माता कौन थे, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। संत रैदास, भक्त शिरोमणि मीरांबाई के रूप में जाना जाता है या नहीं?

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय सभापति जी, ऐसा दकियानूसी बिल लाये हैं यह तो यहां हालत है और यह बिल जाने के बाद पूरा प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में झुलसेगा। इसको वापस ले लें आप। ..(व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह आपका काम है सांप्रदायिकता भड़काने का।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): यह बेमतलब का ऐसा काला कानून आप ला रहे हो। ..(व्यवधान)..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप मुसलमानों के वोट पक्के करना चाहते हो ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि। इस राष्ट्र के संविधान के निर्माता कौन थे, बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर। महाभारत के रचयिता कौन थे, इनको पूछो। ..(व्यवधान)..

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): डा. भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप कांग्रेस वालों ने तो उनको हराया था। ..(व्यवधान)..

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): आपने उनको कभी भी विद्वान नहीं माना।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उन्हीं की वजह से राष्ट्र का निर्माण हुआ है।

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ ..(व्यवधान)..

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): यह बिल आप वापस करो। इसका भी वही हश्र होगा जो पहले हुआ है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अणची बाई। ..(व्यवधान).. 33 परसेंट आरक्षण किसने दिया, डा. भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने दिया। पंचायत राज 1994 में इसमें कई सदस्य, 90 परसेंट सदस्य ऐसे हैं जैसे माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने पंचायत राज एक्ट बनाया, नाथूसिंह जी गुर्जर उस समय पंचायत राज मिनिस्टर थे, शिड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण किसने दिया पंचायत राज में? माननीय भैरोंसिंह जी ने दिया। महिलाओं को आरक्षण किसने दिया, माननीय वसुंधरा जी राजे ने।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय सभापति जी, आप बोलने दे रहे हैं?

श्री सभापति: आपकी बात आ गई, बैठिए आप।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): ये क्या बोल रहे हैं आप इनको बिठाओ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आज कांग्रेस की ..(व्यवधान).. इसलिए ये ..(व्यवधान).. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ..(व्यवधान)..

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, ये अनर्गल कर रहे हैं। आपने व्यवस्था दी है उसको मान नहीं रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप कहो तो आपके सामने आ जाऊं जनरल सीट पर चुनाव लड़ने।

श्री सभापति: आप बिलकुल सही बात कह रहे हैं माँ मीरां के गुरु भी रैदास ही हुए थे। ..(व्यवधान).. बोलिए।

श्री संयम लोढा (सिरोही): मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप जैसे आदमी के सामने मेरी क्या औकात है? चुनाव लड़ने की मेरी कहां औकात है?

श्री सभापति: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत हो गया, बैठिए आप।

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पिछली अनेक शताब्दियों और सदियों की ओर हम नजर डालें तो हिन्दू धर्म ने ऐसे अनेकानेक संत दिये जिन्होंने हम लोगों को यह संदेश देने की चेष्टा की कि नर ही नारायण है, जांत-पांत पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि होई। स्वामी रामानंद जी ने चौदहवीं सदी में यह बात कही थी और-

रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय,

टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप क्यों तोड़ रहे हो धागे को?

श्री संयम लोढा (सिरोही): रहीम, रसखान, अनेकानेक ऐसे स्वप्नदृष्टा हमारे मुल्क में हुए जिन्होंने इस देश की शाश्वत, जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिन्दू

धर्म के अंदर पुजारी का काम आज भी वंशानुगत आधार पर क्यों हो रहा है? क्यों वे लोग जिन्होंने सदियों से उस वंचित तबके के शोषण का काम किया है आज भी इस पूजा की कमान उन्हीं के हाथ में क्यों है? क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी को आप मंदिर में पुजारी बनाते हो? माननीय सभापति महोदय, वंशानुगत आधार पर अक्ल हो या नहीं हो, धर्म का ज्ञान हो या नहीं हो, धर्म की जानकारी हो या नहीं हो एक शोषण का चक्र आज भी स्थापित कर रखा है। ..(व्यवधान).. आप मजाक में मत लीजिए तिवाड़ी साहब। आप जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से इस हिन्दू धर्म ने अंबेडकर जैसे महान विचारक को खो दिया और आज मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब अंबेडकर ने जो सुझाव दिया था, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था कि मंदिरों में पूजा की व्यवस्था परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। आप बाकायदा उसकी एक एग्जाम कंडक्ट कीजिए, जो व्यक्ति उन मानदण्डों पर खरा उतरेगा वह मंदिरों के अंदर पुजारी का काम करेगा। तब यह हिन्दू धर्म की कमजोरी दूर होगी तब हिन्दू धर्म के अंदर शोषण की व्यवस्था खत्म होगी ..(व्यवधान).. बिलकुल कराएंगे, कमिटमेंट है हमारा और जब तक आप यह नहीं करेंगे यह आपका अंदर का सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आपने ठेका ले लिया हम ही पूजा करेंगे, हमारे बाद हमारी पीढ़ियां करेंगी और वे लोग जो हजारों साल से आपकी बनायी हुई वर्ण व्यवस्था के आधार पर हाशिये पर बैठे हुए हैं, किनारे पर बैठे हुए हैं उनको हिन्दू धर्म की मुख्य धारा में आने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। हिम्मत करिये, आपका तो खाली भारत नहीं, पूरी दुनिया की हिन्दू संस्कृति का ठेका है विश्व हिन्दू परिषद, उन ठेकेदारों को कहो कि अपने घर को ठीक करो।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उन्होंने कर दिया, नहीं तो ऐसे दुष्ट लोग इस देश को खा जाते।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): घंटा बजाने का अधिकार इनको मिलना चाहिए।

श्री संयम लोढा (सिरोही): सभापति महोदय, वह आदमी जिसने जन्म तो हिन्दू धर्म में लिया है और जन्म के आधार पर उसका जो शोषण हो रहा है। ..(व्यवधान)..

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): चुनावों के बाद आपको तो यह अधिकार वैसे ही मिल जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम तो सिर्फ पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण होते हैं तो यादवों में होते हैं। हम तो सिर्फ पुजारी हैं, हम क्या करते हैं? अब ज्यादा दिक्कत हो तो ममता जी को कहो, क्योंकि इनके घर वाले देवता जी कहलाते हैं, इनके साथ करो जो कुछ करना है। हम तो वैसे ही ब्राह्मण हैं। ..(व्यवधान)..

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): घण्टा तो हम लोगों को ही बजाना पड़ता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यादव शाकम्भरी में बजाते हैं, ये राजपूत खाट्टश्यामजी में बजाते हैं। कोई जाति नहीं है जो सब जगह न बजाती हो।

श्री संयम लोढा (सिरोही): हमारी तो पीड़ा आप दोनों से ही है। इस मामले में दोनों ही एक हो। इस मामले में कोई पार्टी नहीं है, वैसी ही व्यवस्था चलाने के पक्ष में चल रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ।

मोहन/अरूण/अशोधित प्रति प्रकाशनार्थ नहीं/20032008/1800/31

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान)... फिर तो बैकलॉग पूरा करना पड़ेगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब आप माननीय सदस्यों को बोलने क्यों नहीं दे रहे ? ...(व्यवधान)... फिर आप कहोगे कि लेट हो रहे हैं हम सब लोग।

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो यह शोषण आधारित व्यवस्था हमारे ही पूर्वजों के द्वारा लाई हुई है उसको खत्म करने की दिशा में ईमानदार प्रयास करने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, इनका खास थर्स्ट रहा है, अवयस्क, महिला, दलित और आदिवासी इनके मामले में इन्होंने दूसरों से ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा जन्म के आधार पर आप भी जैनी हैं, मैं भी जैनी हूँ। जैन धर्म के अंदर कितने लोग कितने बच्चे, जैन धर्म में दीक्षित होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो यहां नहीं थे, इन्होंने महावीर जी ने तो कह दिया कि जैन धर्म तो है ही नहीं, हम तो हिन्दू धर्म को ही मानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा है कि जन्म के आधार पर तो कटारिया साहब और संयम जी जैन हैं पर कर्म के हिसाब से संयम जी राजेन्द्र जी के साथ हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनके और गृह मंत्री जी के कर्म मिलते हैं क्या ? यह तो गजब हो गया, तब ही तो डिफरेंस नहीं रहा पूरी पोलिटिक्स में ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय तिवाड़ी जी, क्या आप राजेन्द्र जी के कर्म खराब मानते हैं क्या ? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखो, माननीय संयम जी, दोनों पार्टी के माननीय सदस्य आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए, अब आप।

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जब से कानून मंत्री जी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है, इनकी खोपड़ी घूमी हुई है ...(व्यवधान)... चार साल जो नहीं किया, अब यह लम्बे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं महारानी जी के आगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो कटारिया जी बीच में हैं वरना ऐसे ही लेट के पहुंच जाते।...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब यदि सभी माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो उत्तर हो जाए।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो इसका उत्तर दिलवा दें। ... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्योंकि काफी मौलिक विचार आ गये हैं।

श्री सभापति: सब के मौलिक विचार आ गये हैं ... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उत्तर आ जाने दो, आपके मौलिक विचार तो सब आ गये ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): अब आपको कड़वा लग रहा है, इसका मेरे पास कोई इलाज थोड़े ही है ... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई कड़वा नहीं लग रहा है ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): इसका इलाज थोड़े ही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई कड़वी नहीं लग रही है, आप जितना चाहो बोलें, हमारे लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप ... (व्यवधान) ... यह जो सिरोही ही तरफ जो मंदिर वगैरह गिरे हैं, मूर्तियां खंडित हुई हैं उसके बारे में। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: चलिए, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढा (सिरोही): ठीक है, आपकी जो आज्ञा है, मैं उसका पालन करूंगा। मैं दो बातें और निवेदन, सभापति महोदय, करना चाहता हूं, जैन धर्म में यह परम्परा है कि बाल दीक्षा होती है जिसमें हर जाति वर्ग के लोग दीक्षित होते हैं ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिल पर बोलें आप ... (व्यवधान)...

श्री संयम लोढा (सिरोही): बिल पर ही बोल रहा हूं, यही सब आपके प्रावधान हैं। अब आप उसमें और आपकी जो जानकारी में होगा कि उन दीक्षाओं को लेकर के कई तरह के विवाद वेस्टेड इंटरैस्ट के लोगों के द्वारा खड़े किये जाते रहे हैं। अब यह आपका कानून आने के बाद में क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा और जो लोग जैन साधुओं के साथ में रह कर उनके सानिध्य में रह कर सन्यास की भावना में जो रम जाते हैं और पूरा शिक्षण होने के बाद में जिनकी दीक्षा होती है, आप यह ऐसा कलक्टर और एस.डी.एम. और इनको अधिकार दे रहे हो, यह पूरे समुदाय के साथ छेड़छाड़ करने की वह चेष्टा करेंगे, ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक आदिवासी की मौत होती है, एक्सीडेंट से हो, बल से हो, क्या होता है, मेरे जिले में भी आदिवासी हैं, पूरा का पूरा समुदाय जाकर के उसके घर पर धावा बोल देता है, पैसा वसूल करता है 60 साल में हम हिन्दू धर्म की अपनी इस कमजोरी को तो दूर नहीं कर पाए, पूरा पुलिस बल लेकर के हम बैठे हुए हैं, पूरा यह लॉ-एण्ड-ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सब लेकर के बैठे हुए हैं, उसकी हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता इसकी है कि इस विधान सभा में भाषण करा के अपने वोट पक्के कैसे कराएं,

सब को मालूम है कि बिल आने के बाद भी इसके रूल्स बनेंगे, वापस रूल को अगले विधान सभा में रखना पड़ेगा लेकिन नहीं, राजनीति करनी है हमको।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम राजनीतिक आदमी हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है धर्म के बारे में बोलने की, पांच साल के लिए चुने हुए हम लोग हैं, कल चले जाएंगे और इस हर विधान सभा के अंदर वन थर्ड लोग वापस आते हैं, टू थर्ड नहीं आते हैं, धर्म जिन लोगों का विषय है, उनको उनके पास रहने दीजिए, धर्म की व्यवस्था का संचालन उनको करने दीजिए, हम यहां चुन कर के आ गये, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी 10 लाख वर्ष पुरानी संस्कृति को भी छिन्न भिन्न करने का हमने ठेका ले लिया है या जनता ने हमको मंडेट दे दिया है इसलिए मेहरबानी करके, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र शब्दों में सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ यह इस पर छेड़छाड़ आप मत करिए, हमारी धर्म, संस्कृति हमारे मूल्यों से अनुप्राणित है, हमारी कमजोरियां होंगी, हमारे लोग दूर करेंगे, हमारे लोग ठीक करेंगे, इसमें हम जैसे लोगों को पार्ट नहीं बनना चाहिए इसलिए आपके माध्यम से मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ...(व्यवधान)... प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कमाल है, एक घंटा लगेगा अभी, एक डेढ़ घंटा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आसन की व्यवस्था हो गई है, मंत्री जी उत्तर देंगे ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, अगर आप एक को अलाउ करेंगे तो फिर करना पड़ेगा इसलिए रहने दीजिए।

श्री सभापति: बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बैठो, बैठो, बत्ती लाल जी। ...(व्यवधान)... हो गया ...(व्यवधान)... क्या बात है, अभी रात को 12 बजे तक बैठना होगा, रात को 12 बजे तक, बैठो तो बैठो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिए, आप लोग बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): यह कैसे संभव होगा। माननीय हमको मौका मिल जाए, धर्म का मामला है ...(व्यवधान)... आसन का आदेश तो शिरोधार्य करता हूँ पर मान्यवर, हमारा अधिकार है कि हम यदि धर्म पर नहीं बोलेंगे तो ...(व्यवधान)...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मुझे भी इस बिल के ऊपर बोलने के लिए मैंने भी मेरा प्रस्ताव दिया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। यह बिल सामान्य बिल नहीं है, यह बिल मजाक का बिल नहीं है, इस बिल पर मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे विचार रखना चाहता हूँ, उसके बाद

माननीय मंत्री जी जवाब दें इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। यह मेरा अधिकार है, एक सदस्य होने के नाते उस अधिकार का हनन नहीं किया जाए ... (व्यवधान)... आप मेरी रक्षा करें।

श्री सभापति: मैं समझता हूँ सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आ गये हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए, यदि मैं कोई बात रिपीट करूँ तो आपने मुझे बोलने नहीं दें आप। मैं एक बात रिपीट नहीं करूँगा, जिस प्रकार से धर्म का हवाला देकर के हम मखौल कर रहे हैं, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अगर आप इनको अलाउ करें तो पहले जिनका नाम है, पहले उनका नाम पुकारें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, तो बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनका नाम तो 35वें नम्बर पर है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, तो बोलने दें उनको, बोलने दीजिए आप ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आपने उनको अनुमति प्रदान की है तो फिर सिक्वेस से नाम पुकारें आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, तो बोलने दीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, तो बुलाइए ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, मैं सदन में एक घंटे से महसूस कर रहा हूँ, आप कोई भी सींसियर नहीं हैं बोलने के लिए, हंसी मजाक हो रही है, एक दूसरे पर कमेंट हो रहे हैं।

सुरेन्द्र/अरुण/20.3.2008/18.10/3m

सब के सुझाव आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं इस सदन की परम्परा की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य देते हैं, उनको बोलने का अधिकार रहता है लेकिन जब सारे तथ्य आ जाते हैं तो आसन कभी भी उस चर्चा को समाप्त करके मंत्री जी को जवाब देने के लिए कह सकते हैं इसलिए सदन में मैं समझता हूँ कि सारी बातें आ गई हैं और इसलिए आप मंत्रीजी को बुलाकर इसकी चर्चा समाप्त करा सकते हैं।

श्री सभापति: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उत्तर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बात कही है, यह परम्परा तो नहीं है। सारे सदन को कन्वींस करने के बाद या तो आप माननीय सदस्य को यह कहें कि आपको थर्ड रीडिंग में बोलने का मौका दिया जाएगा यदि प्रस्ताव दिया है, या फिर एक सर्वानुमति कायम करने के बाद तो यह होता है नहीं तो नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): थर्ड रीडिंग में बोल लेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग में उनको बुलवा दें। थर्ड रीडिंग में इनको बुलवाने का आश्वासन दे रहे हैं?

श्री सभापति: हां, तीसरी में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि शायद इस विधेयक का जो नामकरण किया है वह ही आपकी सारी शंकाओं को निर्मूल कर देता है। इसमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है। यह न हिन्दू पर प्रतिबंध लगा रहा, न मुसलमान पर लगा रहा है, न क्रिश्चियन पर लगा रहा, न कोई जैन पर, न सिक्ख पर। सबको अपने-अपने धर्म को पालने की स्वतंत्रता है। डर उसको लग रहा है जो इस कानून को तोड़ने के काम करने का अभ्यस्त हो गया है। उसको भय है। इस कानून में न तो किसी को सजा होने वाली है, अगर आप अपने सीधे-सीधे रास्ते जाओगे तो कानून अपनी किताब में पड़ा रहेगा। कानून कोई आपको सजा देने थोड़े ही दौड़कर आता है। कानून तो तब काम में आता है जब कोई कानून को तोड़ता है। तो हमको पहले से ही चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों दिख रहा है? कोई समस्या है ही नहीं। मैं विषय को लम्बा नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल कुछ बिन्दुओं को जिस पर यह हुआ कि यह बिल आ सकता है या नहीं आ सकता है, पैण्डिंग है फिर क्या स्थिति बन गई, यह बन गई, मैं बहुत ज्यादा कोई इसकी लम्बी हिस्ट्री में और कोई भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं। इसके पीछे जो भावना थी वह केवल मेरी नहीं है। इस देश में, इसको लाने का विचार कोई मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, या कोई मेरी पार्टी के द्वारा लाया हुआ उत्पन्न नहीं है। जिस महात्मा गांधी को आप, मैं और सारा देश जिसको मानता है, उस व्यक्ति के जो शब्द थे उसको मैं केवल कोट कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं उससे कुछ लाभ लेना चाहता हूं या मेरी उसमें कोई मंशा है।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"यदि मेरे विधान बनाने का अधिकार हो तो मैं निश्चयपूर्वक धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाऊंगा।" यह मैंने नहीं कहा, महात्मा गांधी ने इतने वर्षों पहले कहा। क्योंकि उस समय के जो हालात थे उन हालात के कारण से जिसको आप पब्लिक आर्डर कहते हो, वो पब्लिक आर्डर कई जगह उसके कारण से बिगता था, आज भी बिगड़ रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अपने इस प्रदेश में बिगड़ रहा है। इसको कैसे रोका जाए इसकी चिंता थी, इसकी नहीं कि कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहे, बदले न। किसको मनाही है? अगर किसी समझदार को समझाकर के कोई अपने धर्म में उसको कन्वर्ट करना चाहता है जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैन साधु बन रहा है। जैन साधु कोई यों ही तमाशबीन की तरह थोड़े ही बन सकता है। वर्षों तक उसके पीछे-पीछे लगा रहता है, परिवार वालों, समाज की, सब की उपस्थिति में खड़ा रखकर सब की स्वीकृति लेने के बाद कोई जैन साधु बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्टी में छिपकर के और कहीं कोई गोरखधंधे करके धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसा नहीं होता है। इस कारण से आपने देखा कि जो पूर्वाचल की बात कही, वो ही

नहीं, आप और हममें से जो लोग आदिवासी क्षेत्र को जानते हैं और देखते हैं, मैं ईमानदार से आपको यह कह रहा हूँ कि आज भी आप में से कोई जाकर के इंटिरियर एरिया में देखे तो किस तरह से लोगों को आज भी कन्वर्ट किया जा रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लोकतंत्र का कि 60 साल बाद भी हम उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी ताकत नहीं दे पाये। आज भी वहां चिकित्सा नहीं पहुंच पाई, आज भी उसके बच्चों को और प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा पाये। उसकी मजबूरी है, उसकी गरीबी उसको खा रही है। लेकिन यह सब के सब लोग वहां जाकर इस जंगल में अपने इस श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता क्या पड़ी? कहीं न कहीं हमारे जैसे बुद्धिमान को भी एक-आध को तो कोई न कोई बनाता। तो यह जो इसके पीछे भावना है कि किसी भी लोभ, लालच, डर या और किसी तरीके से बनाता है उसको रोका है। जो अपने तर्क के आधार पर किसी को बनाना चाहता है उसे आज भी कोई नहीं रोक रहा है। कौन रोकता है? यह कानून उसके लिए कुछ काम का ही नहीं है, कानून बिल्कुल बेकार है उसके लिए। यह कानून तो उन लोगों के लिए है जो इन बातों को तोड़ते हुए काम करते हैं उनके लिए है। मैं सोचता हूँ कि इस बात को आप समझ गये होंगे। धर्मान्तरण से होने वाली राष्ट्रीय और सांस्कृतिक क्षति देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा को चुनौती है या नहीं? ईमानदारी से। हम अपनी राजनीतिक पार्टी से थोड़े ऊपर उठें और ऊपर उठने के बाद देखें कि इस देश का जो नक्शा, देश की आजादी के समय से लेकर अब तक बना है और जहां-जहां भी अशांति है, जहां-जहां भी इस प्रकार का जिसको पब्लिक आर्डर कहते हैं वह चाहे राजस्थान में हो, चाहे और किसी जगह अगर टूटता है तो इसके कारण से टूटता है या नहीं? इस सच्चाई को हमें मन से स्वीकार करना चाहिए, भाषण से नहीं या तर्कों के आधार पर नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं इसको कोई राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। जिस राज्य में भी धर्मान्तरण की घटनाएं सामने आने लगी हैं उनका प्रभाव प्रदेश की सांस्कृतिक और कानून व्यवस्था पर पड़ने लगा है। तो यह धर्म स्वातंत्र्य कानून उसके लिए लाया गया है। यह कोई आज पहली बार हमने शुरू किया है ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश ने सब से पहले, यह जिस किताब का जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया था, जो नियोगी कमेटी आई थी, इसका गठन कोई भारतीय जनता पार्टी ने या भारती जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया, मध्यप्रदेश की उस समय की सरकार ने एक अधिकृत यह आयोग बनाया और इसमें भी उस समय के जो भी राज्य में व्यक्ति थे, भवानी शंकर नियोगी, ये मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, ये उसके मैम्बर थे। घनश्याम सिंह जी गुप्ता जो उस समय स्पीकर रहे थे वो भी इसके मैम्बर थे। ऐसे 8-10 प्रोमिनेंट इसमें थे। प्रोफेसर जॉर्ज भी इसके मैम्बर थे। सबको मिलाकर के किया था। ऐसा भी नहीं है कि कोई हिन्दुओं ने बना दिया, इसमें मुसलमान भी सदस्य के रूप में थे। कोमाखान, ये भी इसके मैम्बर थे। सबको मिलाकर के बनाया। उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर के बना याथा। उन्होंने सारा देखने के बाद जो अपनी रिकमंडेशन दी है उसके आधार पर इस कानून को लाने का सब से पहले प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ 1968 में। यह 1968 में

जो कानून लाया वो क्या है? जिस मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन ही हैं उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाए। देश के भीतर विदेशी मिशनरियों का बड़ी संख्या में आना अवांछनीय है और उसकी रोकथाम होनी चाहिए। यह रिकमंडेशन उनकी है, उस आयोग की है। उन्होंने अपनी 10वीं रिकमंडेशन की उसको आप उस समय देखिये। जो धर्म परिवर्तन अनुचित ढंग से किये जाते हैं उन पर उचित नियंत्रण रखा जाए और उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता हो तो कानून बनाया जाए। यह 1956 की उनकी रिपोर्ट है उसके आधार पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले 1968 में ही मध्यप्रदेश में इस कानून को लाया गया। इसी तरह से अरुणाचल में बना और उड़ीसा में भी 1968 में कानून बना। दोनों कानून में से उड़ीसा का भी कानून बनने के बाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, मध्य प्रदेश का भी चैलेंज हुआ। मध्य प्रदेश के कानून में तो कोई विपरीत फैसला नहीं किया इस बिल बनाने का लेकिन उड़ीसा के हाई कोर्ट ने विपरीत अपना फैसला दिया और उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वास्तव में यह कानून बनाने का अधिकार राज्य को है या नहीं है और उन्होंने जो अनुच्छेद 25 है उसकी भी पूरी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह जो अपना प्रोपेगेंडा जिसको हम कहते हैं, वह तो आप प्रचार-प्रसार करो, उसको कोई रोक नहीं है, किसी को भी रोक नहीं है लेकिन इसके आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं हो। इस एक बिन्दु पर उन्होंने माना कि इसमें बनाया जा सकता है। यह विषय केवल हमने यहां से शुरू नहीं किया, हमने तो आप सब लोगों की राय को लेते हुए जो समस्या है उस समस्या का निदान निकालने का प्रयास किया है। हमने कोई नई उत्पत्ति या नई सोच या नया कोई विचार पैदा किया हो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। लोकसभा में पिछड़ी जाति आर्थिक संरक्षण बिल, यह आपके प्रकाशवीर शास्त्री जी ने लोकसभा में रखा। इसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही डाक्टर रामसुभग सिंह इस विधेयक के समर्थन में जो उन्होंने अपने विचार रखे, जिस प्रकार से हमारे दलित भाइयों को आर्थिक शोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है उसी प्रकार से उनकी धार्मिक शोषण से भी रक्षा की जानी चाहिए। इसी तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रणवीर सिंह ने भी उस समय-यह विधेयक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।.....

vkj/akt/1820/3n

सेक्युलर के नाम पर बाहर के देशों से आये करोड़ों रुपयों के बल पर धर्म परिवर्तन को सहन नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इस देश के राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन ने अपने विचार उस समय भी दिये, उसमें देखिये, धर्म परिवर्तन के लिए किसी के साथ बल प्रयोग या प्रलोभन का क्या औचित्य है जबकि जिस धर्म में किसी व्यक्ति का धर्मान्तरण किया जा रहा है, स्वयं में पूर्णता का दावा नहीं कर सकता इसलिए धर्मान्तरण की निंदा की जानी चाहिए और इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। यह डाक्टर राधाकृष्णन ने इस देश की उस समय की परिस्थितियों को देखकर उसके अनुसार अपनी बात कही।

यह जैसा मैंने कहा था कि उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना निर्णय किया तो इस अपील में उड़ीसा और मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) में उल्लंघन को चुनौती दी गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने, उनका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। उनका जो कहना था, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। इसको उन्होंने किया है और आर्टिकल के परन्तुक (2) में यह व्यवस्था थी कि राज्य धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य कोई लौकिक क्रिया-कलापों पर नियंत्रण या रोकने सम्बन्धी कानून नहीं बनायेगा। यह कानून उसमें कहीं भी उसको नहीं रोकता। यह उन्होंने अपने उस फैसले के द्वारा दिया तथा उसके बाद भी यह जो कांस्टीट्यूशन की बात है।

इसके बाद आपने देखा कि 1977 में यही जो फैसला है आपका, यह रेमंड्स बनाम मध्य प्रदेश और अन्य, राज्य में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 908, संविधान के अनुच्छेद 25(1) में जिस बात की अनुमति दी गई, वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म से अंतरित करने या धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है बल्कि अपने धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या द्वारा अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। संवैधानिक पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था कायम करने का प्रावधान करने के उद्देश्य से है क्योंकि यदि जबरदस्ती किये जाने वाले धर्मान्तरण को प्रतिबन्धित नहीं किया गया होता तो उन राज्यों में लोक अव्यवस्था पैदा हो जाती। यह उनका सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है, उसमें है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक राज्य की सरकार को यह अधिकार है कि वह परिस्थिति के अनुसार राज्य में इस प्रकार के कानून को बना सकती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को जबरन भय, लोभ, लालच से धर्मान्तरित नहीं कर सकता और ऐसा करना अपराध है। यह कोर्ट की वर्डिंग है और अब उसके आधार पर ही यह कानून बना है। अब हमने जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को जहां से शुरू किया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया। राजस्थान में भी इस काम को 1970 में प्रारम्भ किया सबसे पहले। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 1970 प्रस्तुत किया गया। राजस्थान के कई कट्टर धर्मानुयायी पिछड़े क्षेत्रों के गरीब समुदाय के लोगों को प्रलोभन या भय से धर्मान्तरण की घटनाएं राज्य सरकार की जानकारी में आईं। 1970 में चौथी विधान सभा के नवें सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 1970 तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 21.11.1970 को सलेक्ट कमेटी को सौंपा। सदन में 18.5.1974 को चौथी विधान सभा में 10वें सत्र में टेबल किया गया। लेकिन यह बिल लैप्स इसलिए हो गया था, यह आगे

नहीं बढ़ पाया, क्योंकि यह सलेक्ट कमेटी के पास ही पड़ा था और विधान सभा डिजोल्ड हो गई थी और उसके कारण से वह बिल वहीं का वहीं रह गया, बाकी जो पहला प्रयास हुआ राजस्थान में, वह उसके बाद, उस समय जो सदस्य वहां थे, उसमें समाज कल्याण के मंत्री ने इसको मूव किया था। विश्वम्भर नाथ जोशी और सतीश चन्द्र अग्रवाल, भैरोंसिंह जी, बाकी सब लोगों ने इसमें बहस में भाग लेकर, सब लोगों का यही मानस बना था और बाद में कहा कि नहीं, इसको और अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए इसको सलेक्ट कमेटी को दे दिया जाये। सलेक्ट कमेटी के भी जो मेम्बर बनाये गये, उसमें मूलचन्द डागा, गोकुल प्रसाद शर्मा, किशन लाल शर्मा, रघुनाथ विश्वाई, शीशराम ओला, गोकुल चन्द, ये सारे के सारे लोग उसमें थे, सतीश जी भी थे, बाकी सारे लोग थे। इन सब लोगों की राय थी लेकिन मैंने जैसा कहा कि वह बिल वहां सलेक्ट कमेटी में रह जाने के कारण इसको उस रूप में ला नहीं पाये, बाकी यह पहला प्रयास था।

हमारे यहां जो आपको लगता है कि नहीं, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने जैसा कहा कि आज भी आप उस आदिवासी क्षेत्र में जिसमें इंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का कोटड़ा-झाड़ोल, उस तहसील में आज भी अगर आप जायेंगे तो यह गतिविधियां हैं। यह जरूर है कि उस गतिविधियों के कारण से समय-समय पर जिस प्रकार की कार्यवाही होती है। आपने देखा कि कोटा में जिस प्रकार से हुआ, अजमेर में जिस प्रकार की घटना हुई, उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, बांसवाड़ा में जिस प्रकार की घटना हुई। नये-नये धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को इकट्ठा करके अपने विद्यालयों में लाना और वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, उसका दूसरा गुण विरोध करता है, फिर पुलिस की प्रजेंस वहां होती है और जैसे-तैसे करके उस काम को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोटा का हुआ। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने और सबने इसी सदन में थे हम, कोटा में जिस प्रकार से हुआ, आन्ध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, कहां-कहां से लोगों को ट्रेनों से लाया गया। लोगों ने उसका विरोध किया और जब उनको स्टेशन पर पकड़कर टीवी और मीडिया ने उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात के लिए कहकर लाये, क्या कहने के लिए आये यहां, क्या काम करने के लिए आये? उनके वर्सन आज भी रिकार्ड पर दर्ज होगा। केवल लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर यह काम किया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि "हकीकत" पुस्तक के नाम पर जो वातावरण बना और सारे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना, इसको हम पब्लिक आर्डर के रूप में नहीं कह सकते। मतलब यह है कि इस सारी गतिविधियों पर कैसे हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह मंशा नहीं है कि हम किसी को क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का है ही नहीं। किसी को भी नहीं रोका है कि इसको छूट है और इसको छूट नहीं है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि 7 अप्रैल 2000 को राज्य सरकार ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश प्रचलित कानून 1970 राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया तथा अध्ययन कर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 तैयार किया गया जिसे राजस्थान विधान सभा द्वारा 7 अप्रैल,

2006 को हमने पास किया। एक मई के दिन इसे महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजे जाने पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा विधेयक में संवैधानिक खामियां दर्शाई गईं। परन्तु संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन अपने संदेश के साथ माननीय सदन में वापस भेजने की बजाय विधेयक पर स्वीकृति रोककर महामहिम राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजे जाने का निर्देश दिया। विधेयक पर उनका आदेश अंकित है। अब इसमें आप देखेंगे, क्योंकि वह इतने महामहिम हैं। मैं कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं हूँ। उन्होंने अपना रोकने पर जो लिखा है कि " मैं इस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकती हूँ", एक और दूसरा जो उन्होंने आगे लिखा है "व राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखती हूँ"। दो चीजें नहीं हो सकती यानी 200 के अन्दर जो हमको अधिकार दिया गया है, वह बिलकुल स्पष्ट है कि जिस सैक्शन के बारे में हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 200 की हमने पालना नहीं की, वह नहीं की। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 200 है, वह अपने आपमें बिलकुल चार चीज हमको कहता है और यह गवर्नर के लिए है, विधेयक को स्वीकृति देना या विधेयक वा स्वीकृति देने से रोक देना या विधेयक को प्रस्तुत होने के उपरान्त जितना जल्दी हो सके, अपने संदेश के साथ माननीय सदन को पुनः विचारार्थ भेजना या महामहिम राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजना। अब यहां जो उन्होंने शब्द लिखे हैं उसमें न तो उन्होंने उसको, दोनों चीजें लिखी हैं, किस रूप में है, कैसे वह भेजा गया....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के कृत्य पर चर्चा नहीं हो सकती कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या गलत लिखा है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पार्ट एण्ड पार्शल है। उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, चर्चा नहीं है। कदापि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह कटारिया साहब माफी के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान) कटारिया साहब, माफ करना। आप यह माफ करना... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं नहीं, उन्होंने क्या लिखा है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। यह गलत परम्परा है। (व्यवधान) इस पर चर्चा हो ही नहीं सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...यह इतना सेंसिटिव मामला नहीं है। लेकिन यह राज्यपाल महोदय पर आज दिन तक चर्चा हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य हैं, वह तो बतायेंगे ना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय राठौड़ साहब, एक वरिष्ठ मंत्री सीनियर मंत्री से करवाये, इसमें यह लिखा है, वह लिखा है, फलाना लिखा है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप मत करिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपसे और उनसे क्षमा मांगते हुए, मेरी यह कोई मंशा नहीं है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये तथ्य रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...सैक्शन जो आपको अनुच्छेद 200 में अधिकार है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): जानकारी लेने का अधिकार है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको उस अनुच्छेद के अनुसार आपको पालन करना होगा। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप अपने पास रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं....

Jkj/akt/18.30/3o/20.3.2008

आप अगर राष्ट्रपति को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं लेकिन दोनों काम का ही जगह, एक ही भाषा में संभव नहीं है और इसके कारण से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि इसके कारण से क्या पोजीशन बनेगी, यह वास्तव में यहां रूका है या वहां गया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर क्या कहने से आप मानते हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप क्या देख रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारी रोकने की जिम्मेदारी नहीं बनती...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने संविधान के आर्टिकल 200 का भी आपके सदस्यों ने भी जिक्र किया है। (व्यवधान) आपमें से ही बहुत से वक्ताओं ने आर्टिकल 200 का जिक्र किया है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसा हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत ही काम करना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा नहीं हो सकती इस बात पर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राज्यपाल महोदय को पैसा हम ही वोट ऑन अकाउंट से देते हैं, सब चर्चा हो सकती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या करना चाहिए था, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस पर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उनको क्या पावर है और क्या किया, उनको विशेषाधिकार है..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने क्या कहा है और क्या गलत किया है इस कारण..(व्यवधान) यह चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): He has a privilege. नहीं-नहीं, गलत बात।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह विधान सभा महामहिम राज्यपाल महोदय को भी यहां से ही पैसा जाता है, हम चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देखिये, मुख्य सचेतकजी, गलत परम्परा नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दोषी खुद ही हो और गलत परम्परा कायम मत करिये...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गलत परम्परा मत डालिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत सी ऐसी गलत परम्परा...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): You are absolutely wrong.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आपको इसमें कोई भी गलत लगे तो...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, I strongly object.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर। ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी थी। हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी थी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्टिकल 200 की आपने भी व्याख्या की है, मंत्री महोदय भी व्याख्या कर सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो फैसले की नहीं की, इन्होंने तो फैसला ही कह डाला कि गलत है। यह व्याख्या नहीं हो सकती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हरिमोहनजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, कर सकते हैं। चैलेंज कर रहे हो क्या।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप, व्याख्या हमने भी करी है, हरिमोहनजी, एक मिनट, आप व्याख्या कर सकते हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो बोल लो...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सुनिये, व्याख्या हमने भी की, आप भी कर सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बस।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन यह कहना कि वह या तो रोक सकता था या भेज सकता था...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह नहीं कह सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोनों काम किये, और उनके एक्ट पर आप चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक्ट के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह लिखा हुआ है इसमें, यह हण्ड्रेड प्रतिशत लिखा हुआ है (व्यवधान) यह आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है..

श्री उपाध्यक्ष: यह आर्टिकल में ही लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और इसके अलावा भी हम चर्चा कर सकते हैं..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह आर्टिकल में नहीं है क्या लिखा हुआ, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और आप उसको और...(व्यवधान)

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): महामहिम राज्यपाल को भी कांस्टीट्यूशन के दायरे में रह कर ही काम करना होता है, करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शत-प्रतिशत गलत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नो, वह कुछ भी करे, उनकी गाड़ी पर नम्बर क्यों नहीं होते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि मैं इसलिए यह विषय को कोट कर रहा हूँ कि एक्ट को 2008 में...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, मैं प्वाइंट आफ आर्डर, प्वाइंट आफ आर्डर है मेरा, आप बिराज जाओ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर नियम 272 के अन्तर्गत है। इसमें लिखा हुआ है शब्द, उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा। इसमें यह 11 में लिखा है, राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा। (व्यवधान) अ

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आक्षेप कहाँ हो रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): " .. reflect upon the conduct of the President or the Governor of any State." माननीय गृह मंत्रीजी महामहिम राज्यपाल महोदय के और महामहिम राष्ट्रपतिजी के बारे में वहाँ यह कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते, यह उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति यह विधायिका...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह उच्च, यह आप सब ने माना है, वह यह है, उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति के...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, मैं बोल तो लूं, उसके बाद बोल लेना आप, आपको कौन रोकता है but let me complete first. आप मेरे को पहले बोलने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, बोलें, बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं यह आग्रह कर रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के हैड हैं, वह हमारे आदरणीय हैं, वह महामहिम हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना, उनके बारे में किसी भी प्रकार का यह वक्तव्य देना, यह रिफ्लेक्ट करता है, इस नियम के अन्तर्गत वह उनकी चर्चा नहीं करें, उनको कोट नहीं करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, साफ लिखा हुआ है। (व्यवधान) मंत्रीजी, एक मिनट आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल का नाम...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): "272. Rules to be observed while speaking.- A member while speaking shall not (vi) use the name of the President or the Governor for the purpose of influencing the debate..."

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप कल्लाजी से ज्यादा योग्य हो क्या, आप कल्लाजी से ज्यादा विद्वान हो क्या।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपने...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप डिबेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते। आप इन्फ्लुएंस, डिबेट रिप्लाई दे रहे हैं और आप उनके कर्तव्य, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यह नई परम्परा मत डालिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप लोगों ने चर्चा नहीं की...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमें भी चाहते हैं हम आसन का मान करना छोड़ दें। आपको रक्षा करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ से चर्चा, आपकी तरफ से महामहिम राज्यपाल का आपने नाम नहीं लिया क्या फिर डिबेट के अंदर। (व्यवधान) बराबर लिया है कि साहब, उन्होंने राज्यपाल का दर्जा...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या बात कर रहे हो। कंटेम्प्ट आफ द...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाम थोड़े ही लेते हैं।(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): What transpired between the Governor and the Government (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप गलत परम्पराएं डाल रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का आक्षेप माननीय गृह मंत्रीजी ने नहीं किया है लेकिन महामहिम राज्यपाल...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कह क्या रहे हैं, आप सुनें तो सही।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप माननीय मंत्रीजी हैं, आप कह सकते हैं लेकिन please don't quote what the Governor has written. That is not relevant.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरी आप बात सुन लें तो शायद आपको संतुष्टि हो जायेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यस, यही है। आप कहिये पर आपको...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कहिये पर आप तो फाईल के नोट को कोट कर रहे हैं, विशेषाधिकार है...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन वह दोनों कर लिये और वह लिख देते...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): चलो, कोट नहीं करेंगे लेकिन यह 2008...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यस, आप अपनी गलती मान लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): का बिल हम क्यों लेकर आये, क्या ऐसे कारण बन गये...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके पीछे यह मंतव्य था क्योंकि या तो लौट करके हमारे पास आता बिल, हम फिर से विचार करके उस पर जो भी आगे करना था वह करते और अगर उन्हें भेजना भी था तो राज्य सरकार के जिस प्रोसीजर के थ्रू वह जाता है, अब मुझे आप...(व्यवधान) एक सैकण्ड। ना। यह आपका राजस्थान कार्यविधि...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह हमारा आब्जेक्शन है। यही आब्जेक्शन है कि उनको क्या पावर थी, उन्होंने क्या एक्सरसाइज की, यह आप चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह आप नहीं कर सकते, यह आप नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कोई चर्चा नहीं हो रही। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह टोटली इल्लीगल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट। जनरल क्लॉज एक्ट का कह रहे हैं। यह कार्यविधि अधिनियम की बात कर रहे हैं। कार्यविधि अधिनियम की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान ली, हम आपके बहुत आभारी हैं, वह रिकार्ड पर लायें, ठीक रहेगा। आप बेकार में लाये हैं, अच्छा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): शायद मेरी बात आप, मेरी बात पूरी सुन लेंगे तो शायद आपको यह प्रश्न खड़ा करने का नहीं आयेगा। हम यह 2008 में बिल लेकर आने की मजबूरी क्या हुई। क्यों इस स्थिति में..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये पहले, पूरा सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक-दो मिनट दे दें आप मेरे को। यह जो जानकारी हमको मई 2006 में मिली, एक मई 2006 को, उसका तो पत्र उन्होंने हमारे थ्रू दिया कि, मैं उसको आगे बताऊंगा, लेकिन जो कोई भी राष्ट्रपति को भेजेंगे तो भेजने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियम हैं, इसके नियम 50 के तहत व्यवस्था है कि राज्यपाल अगर कोई भी चीज रिकमण्डेशन जो भी वह भेजेंगे, वह भेजेंगे तो उसका एक प्रोसीजर है। वह प्रोसीजर हमारे पास जब कोई चीज है ही नहीं, हमारी जानकारी में ही नहीं आई, हमारे जिस प्रोसीजर से हमको जानकारी मिलती है और हमारे थ्रू और हमारे विभाग के जैसे यह जो 50 का 2 है, जहां राज्यपाल यह निर्देश दे कि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाना चाहिए या कि विधान मण्डल को किसी संदेश के साथ लौटा दिया जाना चाहिए, वहां राज्यपाल के सचिव द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव तथा विधि सचिव के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह जायेगा थ्रू सैक्रेटरी होम, लॉ सैक्रेटरी और उसके बाद जायेगा, आज दिन तक हमारे रिकार्ड पर यह नहीं है कि यह वास्तव में यह बिल राष्ट्रपतिजी के पास हमारी इस प्रक्रिया में से नहीं गया और इसके कारण से हमें इसके जो अधिकृत कागज के आधार पर जो हमें जानकारी चाहिए, वह इस प्रोसीजर से जाती है तब तो हमारे डिपार्अमेंट के ध्यान रहता है कि यह राष्ट्रपतिजी को किस तारीख को कब भेजा, किस रिकमण्डेशन के साथ भेजा। इस प्रोसीजर से हमारे रिकार्ड से नहीं गया, इसके कारण से हमको इसकी जानकारी जो मिलनी चाहिए थी वह हमें नहीं मिली।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मतलब गलत काम किया क्या, राज्यपाल ने गलत काम किया, यही कहना चाहते हो क्या आप कि थ्रू प्रोसेस नहीं गया, गलत किया, यह कहना चाहते हैं क्या। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कहना चाहते हैं आप कि सरकार की जानकारी में यह बात नहीं है, यह बोल कर...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाओ रिकार्ड पर। लाओ न रिकार्ड पर यह बात। (व्यवधान) हाँ, रिकार्ड पर लाओ कि हां साहब, राज्यपाल महोदय ने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, यह मैं कह रहा हूँ यह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाइये रिकार्ड पर यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): गृह मंत्रीजी नहीं कह रहे, मैं विधि मंत्री के नाते कह रहा हूँ कि राज्यपाल महोदय के यहां से वह ***हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा। ठीक है, ठीक है। कहिये आप यह, कहिये इस बात को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह क्या बात हुई, गलत हुआ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गलत परम्परा डाल रहे हैं आप, आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। यह सदन की परम्परा नहीं रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राज्यपाल महोदय के..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सदन की परम्परा नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप गवर्नर पर लगा रहे हैं, गवर्नर के कंडेम को रिकार्ड बना रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गवर्नर की बातें जब सदन में हो रही थीं तो आप आसन पर थे, यह काले कारनामे मत करवाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कानून मंत्री, राजस्थान का कानून मंत्री, आपको यह भी ज्ञान नहीं हो, राजस्थान के कानून मंत्री को, यह क्या कानून है यहां। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्या बात हुई...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कोल एण्ड शकधर संसदीय कार्य और प्रक्रिया के नियम, पृष्ठ 34, राष्ट्रपति की शक्तियां...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) यह यहां बिल पर चर्चा न करके राज्यपाल के निर्णय को भी चुनौती दे डाली, इसलिए संविधान, राज्यपाल महोदय के निर्णय तक को चुनौती दे डाली..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बहस करो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कहने को कुछ नहीं है...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक कभी भी राज्यपाल के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है लेकिन विधि मंत्री ने राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दी है...(व्यवधान)

Lpm/akt/1840/3p/2032008

*** शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो बोल रहे हैं बिहार में क्या हुआ था? झारखण्ड में क्या हुआ था? एक-एक घंटे तक राज्यपाल महोदय के ...(व्यवधान)...पर चर्चा हुई थी इसमें क्या हुआ? ...(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... पर विषय उसने सदनों को इस संदेश के साथ लौटाया हो, उस पुनर्विचार किया जाए यदि वह सदनों द्वारा संशोधन ...(व्यवधान)... नहीं उसने चुना ...(व्यवधान)... फिर से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति जी क समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, यदि वह अनुमति नहीं रोक सकता, यह राष्ट्रपति के लिए भी है, यह राष्ट्रपति जी के लिए भी है, आप यह पढ़िये, आप यह पढ़िये ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)....

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार राज्यपाल के निर्णय को चुनौती यहां सदन में दी गई है ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप सुनिये, माननीय सदस्य पहले सुनिये ...(व्यवधान)....

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): और विधि मंत्री द्वारा इस प्रकार की चुनौती देना यह महामहिम राज्यपाल महोदय का घोर अपमान है। राज्यपाल महोदय के इस घोर अपमान को यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान).... व्यवस्था नहीं देने देंगे क्या? ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य ...(व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान).... सदन का समय व्यर्थ किया जा रहा है, महामहिम के किसी आचरण पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप सुनिए बात ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य ...(व्यवधान)....

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति जी भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करते हैं, उनके भी अधिकार असीमित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अधिकार भी असीमित नहीं है ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान).... इनके पास कहने को कुछ नहीं है ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जवाब दे रहे हैं मंत्री जी ...(व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान).... यह जवाब सुनना नहीं चाहते, यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं मंत्री जी का, यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। कहने को तो कुछ है नहीं, आज यहां ढोंग रच रहे हैं ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है लोकतंत्र की हत्या आपको और हमको ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान).... सब टेबिल कर देता हूं जो भी है उसको और क्या है? ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लिए ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य गृहमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्य आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उस पर व्यवस्था देने दीजिए मुझे ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उस पर व्यवस्था देने दीजिए मुझे ...(व्यवधान).... व्यवस्था देने दीजिए मुझे माननीय सदस्य ...(व्यवधान)....

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ⁰⁰⁰ ...(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कहने दीजिए। माननीय सदस्य आप, माननीय सदस्य पहले जवाब तो सुनिए, कर देंगे आपके कहने से, आप हाउस नहीं चलाना चाहते हो? मत चलाइए आप, माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा यह बैठिए आप, सब रक्षा होगी, संविधान के आर्टिकल की रक्षा होगी, संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। माननीय सदस्य ...(व्यवधान).... आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते, जवाब ही नहीं सुनना चाहते आप, जवाब सुनना पड़ेगा आपको, जवाब दे रहे हैं वह, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, जवाब आने के बाद ही यह व्यवस्था दूंगा मैं ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरी व्यवस्था दी जाएगी। व्यवस्था देंगे, व्यवस्था देने के लिए समय भी देंगे माननीय सदस्य ...(व्यवधान).... तो व्यवस्था नहीं देंगे क्या? माननीय सदस्य व्यवस्था देंगे ...(व्यवधान).... आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उस पर व्यवस्था ...(व्यवधान).... आप व्यवस्था नहीं सुनना चाहते, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर माननीय कल्लाजी ने उठाया है उस व्यवस्था दी जाएगी ...(व्यवधान).... उस पर व्यवस्था को सुनना नहीं चाहते आप ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन के आदेशों की बार-बार अवहेलना करना, माननीय मंत्री महोदय इस सदन के माध्यम से राजस्थान के अवाम को बताना चाह रहे थे कि धर्म स्वतंत्रता का जो बिल लेकर के आये हैं, यह पूरे

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राजस्थान में, पूरे देश में ...(व्यवधान).... काम किया है ...(व्यवधान).... आज सब धर्म के मानने वाले लोग हैं ...(व्यवधान).... जो धर्मांतरण के नाम पर ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही है तो उस पर ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य व्यवस्था दी जाएगी ...(व्यवधान).... व्यवस्था को नहीं सुनना चाहते, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य वह आपने आप व्यवस्था में आ जाएगी ...(व्यवधान).... आसन की व्यवस्था को सुन लीजिए, आसन की व्यवस्था को सुनिये आप ...(व्यवधान).... और कोई बात ...(व्यवधान).... आपका जवाब सुनेगा आसन और कोई बात कही है ...(व्यवधान).... उसको हम हटा देंगे ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य जवाब दे दिया ...(व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहे तो गृहमंत्री जी टेबिल कर देंगे अपने भाषण को ...(व्यवधान).... उत्तर को टेबिल कर देंगे ...(व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मान लो मैं आसन को यह अधिकार दे रहा हूं, मैं आसन को यह अधिकार दे रहा हूं अगर मेरी कोई बात उपाध्यक्ष महोदय मैं आसन को अधिकार दे रहा हूं अगर कोई मेरी बात ऐसे लगे जो मर्यादा के विरुद्ध है, वह आप उसे कटवा दीजिए, अंकित नहीं करिए मुझे कोई चिंता नहीं लेकिन जो संविधान की जो बात है ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले जवाब तो सुने, पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था ...(व्यवधान).... पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर आसन की व्यवस्था दी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी ...(व्यवधान).... आसन की व्यवस्था होगी ...(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी कोई भी बात अगर नियमों के विरुद्ध हो तो आप अंकित नहीं करे, कह दिया मैंने, मेरी कोई भी बात अगर विधान सभा के नियमों के प्रतिकूल हो तो अंकित नहीं करिए, निकाल दो उसको, कह दिया मैंने ...(व्यवधान).... कर लिया है, कर लिया है ...(व्यवधान).... खेद कर लिया है बैठ जाओ ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: आप सुने तसल्ली से पहले ...(व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई बात ऐसी कहीं है जो नियम के विरुद्ध हो, आप उसे निकाल दीजिए ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष का आचरण ठीक नहीं है, मंत्री जी का जवाब तो सुनना पड़ेगा ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। कल्ला साहब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दी जाएगी, और कोई भी ...(व्यवधान).... कल्ला साहब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय बीकानेर से आने वाले सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उसके ऊपर व्यवस्था दी जाएगी और जो भी कोई बात होगी, जो भी अगर गैर संपादित कोई भी टिप्पणी हुई है, उसको हटा दिया जाएगा ...(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ⁰⁰⁰

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का जिस तरह का आचरण है, यह राजस्थान की जनता के लिए, वह सब लोग जो अपना धार्मिक आचरण स्वतंत्रतापूर्वक ...(व्यवधान).... चाहते हैं और जिस तरह से ...(व्यवधान)....

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान).... धर्मांतरण करने का जो काम हो रहा है ...(व्यवधान).... देने का काम ...(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था उसके ऊपर सुनकर के व्यवस्था दी जाएगी ...(व्यवधान).... आप व्यवस्था को ...(व्यवधान).... कोई आसन की व्यवस्था को नहीं सुनना चाहते, आसन की व्यवस्था आप नहीं सुनना चाहते हो माननीय सदस्य ...(व्यवधान)....

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, जो हो सकता था, इनकी जो शंका है एक पेंडिंग बिल रहते हुए दूसरा पेंडिंग बिल जा सकता है कि नहीं जा सकता है कानून दृष्टि जो भी मैं अपना उत्तर इकट्ठा करके लाया हूं, मैं चाहूंगा अगर इनकी मंशा नहीं है सुनने की तो मैं इसको टेबिल करना चाहता हूं आपकी इजाजत हो तो मैं टेबिल करता हूं। ...

Bhs/akt/20.3.08/18.50/3q

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। पाइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर आप कोई व्यवस्था लेना चाहते हैं ? ...(व्यवधान)... नगरीय विकास मंत्री।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

माननीय सदस्य, नगरीय विकास मंत्री स्टेटमेंट देना चाहते हैं। नगरीय विकास मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। दीजिये स्टेटमेंट।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 18 मार्च, 2008 को ...(व्यवधान)...

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं सदन की कार्यवाही आगे ले रहा हूँ माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान)... पास करायें।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2

श्रीमती अनिता भदेल एवं श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना जो संशोधन दिया है उसको वापस लेती हूँ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 4

श्री हरिमोहन शर्मा, श्री महिपाल सिंह यादव, डॉ.बुलाकीदास कल्ला, श्री जुबेर खान (माननीय सदस्य बोलने के खड़े नहीं हुए) श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 5

श्री टीकमचन्द कान्त संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री टीकमचंद कांत (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6 से 8 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 से 8 स्वीकार किया जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008

डॉ. नाथूसिंह गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

डॉ. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

(सदन में नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):(व्यवधान)... वो पढ़ देते हैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष: हां, पढ़िये। ... (व्यवधान)...

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे – श्री संयम लोढा, डॉ. सी.पी.जोशी, श्री जुबेर खान, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री बाबूलाल नागर, डॉ. बुलाकीदास कल्ला, श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया, श्री अमराराम धोद, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री तगाराम चौधरी, श्री कन्हैयालाल मीणा, श्री राकेश मेघवाल, श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, श्रीमती राजकुमारी शर्मा। (माननीय सदस्य बोलने के खड़े नहीं हुए)

श्री रामनारायण मीणा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित) ... (व्यवधान)...

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

डॉ. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2

डॉ. बुलाकीदास कल्ला – संशोधन प्रस्तुत करेंगे। ... (व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी उपस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. नाथुसिंह गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डॉ. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय के निर्णय के बारे में मंत्री ... (व्यवधान)... दे इससे ज्यादा खेदजनक बात प्रजातंत्र में हो नहीं सकती और *** उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकार का बचाव करें यह *** हम कतई उम्मीद नहीं करते थे। आपसे प्रतिपक्ष की रक्षा की हम उम्मीद करते थे उपाध्यक्ष महोदय, परंतु *** लेकर के इस सदन की कार्यवाही को चलाया ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ... (व्यवधान)...

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ... (व्यवधान)... इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे। सरकार और *** रवैये से खिन्न होकरके हम वाक आउट करते हैं।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

कैलाश/अरुण 20.03.08 19.00 4a

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण किया है और यह कहा है कि राज्यपाल महोदय की किसी भी भूमिका के बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती, (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के संकलन

*** शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

दो की तरफ दिलाना चाहता हूँ। कई सदन में इस तरह के अवसर आये हैं और एक इसी तरह का अवसर पहले आया था जिसमें एक विधेयक महा महिम राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति महोदय को भेजा और उसके कारणों को सदन में स्पष्ट करने के लिये जब मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तब यह बात चली कि उनके नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उस समय जो उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी वह मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं लेकिन मेरी धारणा है कि कोई भी बिल अगर वापस लौट कर आता है तो माननीय सदस्यों को उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिये। किन् प्रश्नों पर राज्यपाल महोदय ने उसे लौटाया इसके बारे में विचार करने की, उनकी परिस्थिति की जानकारी करने की माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्री जी अपनी बात कह रहे थे धर्म स्वातंत्र्य बिल क्यों लौटाया गया, राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश के साथ क्यों भेजा गया उन पूरी बातों पर अपनी बात कह रहे थे और इस पर माननीय रसद मंत्री जी ने कहा कि जब यह बिल से संबंधित है तो बिल से संबंधित उनके द्वारा किये गये कृत्य की यहां चर्चा हो सकती है और बिना किसी जानकारी के आज प्रतिपक्ष ने महत्वपूर्ण बिलों पर भाग नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त जैसा बिल जो आज पारदर्शिता के लिये, स्वच्छ शासन के लिये यह सरकार ले कर आ रही है उस पर इन्होंने भाग नहीं लिया और सुबह से जिस बात की चर्चा कर रहे थे अजमेर के यूआईटी के चेयरमैन के बारे में, पूरा उत्तर सरकार के पास है, सरकार ने जांच बैठा दी। पहले इन्होंने कहा कि स्टेटमेंट होना चाहिये और आज खुद वापस चले गये, यह गैर जिम्मेदाराना कृत्य इन्होंने किया है।

श्री उपाध्यक्ष: यूडीएच मिनिस्टर का स्टेटमेंट करा दें क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करा दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था चेयर की है, अगर आपका हुकम होगा तो सरकार स्टेटमेंट देने के लिये तैयार है, करा दीजिए।

शासकीय वक्तव्य

नगर विकास न्यास, अजमेर का सीडी प्रकरण

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 18 मार्च, 2008 को श्री अरुण उपाध्याय, उप नगर नियोजक की वार्तालाप की सीडी से संबंधित समाचार प्रकाशित होने एवं सीडी प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने श्री अरुण उपाध्याय, उप नगर नियोजक के तुरंत प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा के आदेश जारी कर दिये गये हैं एवं उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया है। श्री धर्मेश जैन, अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास ने उक्त प्रकाशित समाचारों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल में किये गये कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह करते हुए स्वेच्छा से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है जिसे राज्य सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है तथा जिला कलक्टर, अजमेर कमो अग्रिम आदेशों तक अध्यक्ष, नगर विकास

न्यास, अजमेर के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। समाचार पत्रों में जिस सीडी का हवाला दिया गया है उस सीडी की सत्यता की जांच पुलिस विभाग की सीआईडी क्राइम ब्रांच से करवाई जायेगी। न्यास के अन्य विषयों के संबंध में भूतपूर्व अध्यक्ष ने स्वयं जांच का आग्रह किया है और इसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार इस विषय में जांच के संबंध में उच्च स्तर पर समुचित निर्णय लेगी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढा, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री जुबेर खान, डा. बुलाकीदास कल्ला, डा.सी.पी.जोशी, श्री बाबूलाल नागर, श्री अमराराम धोद, श्री भरत सिंह, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री सुभाष चंद्र बहेडिया, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री हेमराज मीणा, श्री रामनारायण मीणा, श्री देवीशंकर भूतडा, श्री तगाराम चौधरी, श्री कन्हैयालाल मीणा, श्री रामप्रताप कासनिया, श्री राकेश मेघवाल, श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, श्रीमती राजकुमारी शर्मा, श्री रामचन्द्र सराधना। (माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री जवाब देंगे (व्यवधान) हो गया जवाब।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2, श्री भरत सिंह संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रभुलाल सैनी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से जो भी संबंधित बिन्दु थे वह मैंने आपकी अनुमति से टेबल कर दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: पारित किया जाये वह बोलो ।

विधेयक का पारण

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहे उन्हें अनुमति दी जायेगी, कोई सदस्य नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 25 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.07 बजे मंगलवार दिनांक 25 मार्च, 2008 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):, 156
 डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री):, 5, 57, 62
 डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):, 33, 36,
 37, 38, 39, 40, 54, 62, 67, 68, 72,
 73, 74, 75, 76, 78, 84, 86, 87, 88,
 89, 97, 160, 168, 169, 170, 174,
 181
 डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):, 25, 32, 33,
 34, 35, 36, 37, 38, 65, 86, 137,
 146, 159, 160
 डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):, 19, 37, 38,
 39, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 61, 62,
 63, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 101,
 106, 107, 115, 137, 143, 144,
 171, 172, 173, 174
 डा. सुरेश चौधरी (भादरा):, 8, 20, 21
 मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):, 1, 2, 3, 4,
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35,
 45, 114, 119, 121, 122, 123, 124,
 125, 126, 127, 128, 129, 130,
 131, 132, 133, 134, 135, 137,
 166, 167, 168, 169, 170, 171,
 172, 173, 174

श्री अमराराम (धोद):, 9, 10, 23, 24, 32,
 33, 34, 35, 36, 37, 62, 65, 99,
 100, 101, 102, 108, 146
 श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह):, 63,
 131
 श्री अशोक बैरवा (खण्डार):, 36, 56, 59,
 60, 62
 श्री उपाध्यक्ष:, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54,
 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67,
 68, 72, 128, 167, 168, 169, 170,
 171, 172, 175, 176, 177, 178,
 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
 श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री):, 67,
 167
 श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं
 पंचायती राज मंत्री):, 1, 82, 156
 श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाइ):, 25, 56, 65
 श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):, 24, 25,
 26, 45, 47, 48, 49

- श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री):, 41, 42, 66, 67, 68, 84, 89, 121, 159, 160, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178
- श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):, 34, 35, 86, 87, 89, 97, 99, 129, 156, 157, 160, 173, 174
- श्री जुबेर खान (रामगढ़):, 33, 34, 39, 54, 56, 62, 63, 68, 71, 87, 90, 93, 98, 100, 101, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 125, 126, 130, 131, 156, 157, 159, 170, 171, 174
- श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):, 62, 63, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 151
- श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):, 90, 94, 97, 98, 99, 170, 184
- श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):, 61, 100
- श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी):, 64
- श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):, 10, 150, 153, 178
- श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 27, 102
- श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वन एवं पर्यावरण मंत्री):, 71, 72
- श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):, 38, 39, 87, 89
- श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री):, 184, 185
- श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):, 14, 15, 16, 17, 19
- श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):, 11, 12, 13, 23, 25, 87, 109, 114, 115, 152, 153
- श्री बन्तीलाल (टोडाभीम):, 159
- श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):, 7, 8, 10, 25, 26, 129, 135, 150, 151
- श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण):, 157
- श्री भरत सिंह (दीगोद):, 17, 118
- श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):, 7, 9
- श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):, 9, 87, 88, 89, 108, 122, 155
- श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):, 8, 9, 10, 11, 12, 62, 102, 108, 129, 134, 149, 176, 178, 179, 180
- श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):, 13, 42, 43, 76, 89, 94, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 143, 146, 149, 157, 159, 167, 168, 169, 170, 174, 181
- श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर):, 94, 98, 101, 153, 154, 155
- श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):, 10, 29, 30
- श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):, 72, 150, 151, 152, 153, 154
- श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):, 8, 15, 16, 18, 20, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 79, 81, 88, 89, 100, 101, 106, 113, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 149, 150, 152, 155, 158, 159, 160, 166, 167, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183
- श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री):, 55, 56, 57, 59
- श्री रामचन्द्र जारोडा (मेड़ता):, 25, 26, 27
- श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):, 14, 49, 50
- श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):, 24, 25
- श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):, 28, 45, 71, 89, 93
- श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा):, 90, 101
- श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री):, 48
- श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर):, 51, 52
- श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):, 8, 9, 11, 28, 29, 35, 36, 39, 42, 43, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 94, 100, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
- श्री सभापति: 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 97, 98, 99, 101, 103, 109, 110, 114, 118, 119, 124, 129, 130, 131, 132, 134, 137, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160
- श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):, 11
- श्री सी. डी. देवल (रायपुर):, 33, 34, 35, 37, 39, 40
- श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा):, 98
- श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली):, 23, 27, 28, 29

श्री सुरेश मीणा (करौली):, 29	श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):, 8, 33,
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):, 52, 53, 58,	34, 35, 36, 45, 58, 60, 61, 62,
93, 103, 106, 107, 108, 109, 114,	182
115, 121, 122, 123, 124, 132,	श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व):, 87,
157, 166, 167, 168, 169, 172,	123, 124, 179
173, 174	श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर):, 63, 76,
श्री हीरालाल (निवाई):, 21, 22, 23, 25,	77
26, 137, 150	श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर):, 78, 79,
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):, 18, 28	80, 81